

नये युग की नारी

लेखक
मोहनसिंह सेंगर

प्रकाशक
किताब महल • इलाहाबाद

प्रथम संस्करण • १९४७

लेखक द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक—जे० के० शर्मा, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद
प्रकाशक—किताब महल, इलाहाबाद

बहन सावित्री को

अपनी बात

नर और नारी का भेद शारीरिक ही नहीं, मानसिक अथवा मनो-वैज्ञानिक भी है। किन्तु इस भेद की समग्रता की तह में ही दोनों की मौलिक ऐक्यता का प्रकृत रहस्य भी छिपा है। उसीसे प्रेरित नर और नारी ने एक-दूसरे का पूरक बन कर एक ऐसी अक्षुण्ण इकाई को जन्म दिया है, जो घर, परिवार, समाज और सृष्टि का मूलाधार है। यही इकाई विश्व-मानवता के भविष्य—मानव-सभ्यता और सस्कृति के विकास-चक्र—की घुरी अथवा केन्द्र-विन्दु है। मानव-समाज का सुख, समृद्धि और अभ्युदय बहुत-कुछ इसी इकाई की शक्ति, दृढता, स्वाभाविकता एव सद्भाव-पूर्णता पर निर्भर करते हैं। अस्तु—

सुकरात के शब्दों में नर और नारी इस इकाई के दो अर्द्धांश हैं, जिन्हें जोड़ने-वाली शक्ति है प्रेम। पर दुर्भाग्यवश आज ससार के अधिकांश भागों में नर और नारी का पारस्परिक पूरक-सम्बन्ध अपनी यह स्वाभाविकता कायम नहीं रख सका है। सृष्टि के उष काल में जो नर और नारी दो स्वतंत्र, उन्मुक्त, स्वपथगामी एव स्वच्छन्द भ्रमणों के रूप में एक हो कर सृष्टि की धारा बनते थे, आज मानो उन्हें दो अलग-अलग टवों में भर कर एक नाली में बहा दिया जाता है। यही आज के समाज का क्रम है। वे कब किससे मिले और सयुक्त धारा बन कर किस दिशा में बहे, इसके निर्णय में उनका कोई हाथ नहीं। उनके जीवन, जीवन-साथी और जीवन के पथ एव दिशा का निर्णय माता-पिता अथवा सरक्षक ही करते हैं। जो जितनी नम्रता, निर्विरोध एव मूकता के साथ इस निर्णय के आगे नतशिर होकर निर्द्वारित दिशा में चल पड़ते हैं, वे उतने ही बड़े समझदार, आज्ञाकारी, आदर्शवादी और सद्गुणी समझे जाते हैं। जहाँ आदर्श के नाम पर मान-

सिक दासता ने हमारे जीने के अधिकार और स्वातन्त्र्य पर इतना बड़ा ताला लगा दिया हो, वहाँ अनीति एवं अनाचार के सिवा और पनप ही क्या सकता है ?

जब नर का सभ्यता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, जब वह संस्कृति की अपेक्षा पशुता के ही अधिक निकट था, नारी के साथ उसका सम्बन्ध—पशुओं ही की भाँति—शारीरिक-भर था। प्रकृति ने नारी की देह को नर से कोमल और कम बलवान बनाया है, अतः सहज ही वह उस पर पशु-बल से विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि वह नारी से अधिक बलवान है, अतः उसका चाहे जैसे उपयोग-दुरुपयोग कर सकता है। नारी के मन में भी पशु-बल की यह भ्रान्ति विश्वास बन कर जम गई कि वह नर से दुर्बल है, अतः उसे उसकी इच्छा का आदर करना चाहिए। जैसे-जैसे मानव-समाज सभ्यता की ओर पग बढ़ाता गया, पुरुष-निर्मित व्यवस्था की आधार-शिला ही मानो यह बन गई। पुरुष नारी से बलिष्ठ एवं स्वतन्त्र है, और नारी नर से दुर्बल एवं उसपर निर्भर करनेवाली। इस प्रकार नारी नर की दासी और फिर सही मानो में उसके पाँव की जूती बन गई। उसकी आँखों में नारी-देह से आगे और कुछ देखने की जैसे क्षमता ही नहीं रही। नारी भी परिस्थितिवश अपना 'स्व' और स्वतन्त्र अस्तित्व भूल-सा गई।

युग-परिवर्तन के साथ नारी की गुलामी के बाह्य रूपों में भी गौण परिवर्तन हुए। सृष्टि की धात्री, घर की लक्ष्मी, देवी, माता आदि के नामों से वह पूजनीया बनाई गई, पर उसके पाँव की बँड़ी नहीं खोली गई। दासता की इस वन्दना को अपना गौरव समझ नारी अपने पाँवों की बेडियों का भान भूल गई और अपने-आपको कैद करनेवाले नर-पिशाच में उसने देवता अथवा परमेश्वर नाम के अर्थ और अस्तित्व-हीन व्यक्तित्व की कल्पना की। इससे नारी का मन और शरीर ज़रूर खो-सा गया, पर उसकी आत्मा गहरी नींद में सोई या खोई नहीं। बलात्कार और अनाचार

की ठोकरो से आहत उसके 'स्व' ने एक दिन उसके विवेक को जगाया और नारी ने जहर तथा अग्नि द्वारा और बाद में बुद्धि-बल से नर के अधिकार की अनधिकारपूर्णता के खिलाफ विद्रोह किया। अनेक स्थानों में आज यह विद्रोह सामाजिक अथवा कानूनी जामा पहन चुका है और तेजी से नारी की खोई हुई स्वाधीनता एवं समानता को पुन प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है—यद्यपि इसकी प्रगति अभी बिल्कुल सामान्य एवं धीमी है।

मानव-इतिहास में नारी की दासता गुलामी का निकृष्ट उदाहरण है। रूसी क्रान्ति के पिता लेनिन ने इस गुलामी के विरुद्ध सबसे पहला सक्रिय कदम उठाया। उन्होंने ललकारा कि जब तक आधी मानवता घरों में कैद है, उसकी उन्नति संभव नहीं। रूसी नारियों की मुक्ति ने मानो नारीत्व की परिभाषा ही बदल दी और विश्व के अन्यान्य भागों में नारी-स्वातन्त्र्य-आन्दोलनों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया। वैज्ञानिकों ने नर और नारी के शारीरिक एवं मानसिक वैषम्य की भ्रान्ति को निरर्थक एवं खोखला सिद्ध किया। फलतः सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनीतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में नारी ने नर के समान ही कौशल दिखाना आरंभ किया। यद्यपि अन्यान्य देशों में रूसी नारियों की इस समानता एवं स्वतंत्रता की काफी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, तथापि नारी-स्वातन्त्र्य के शत्रुओं ने रूसी महिलाओं की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के मिथ्या एवं धिनौने विवरणों को प्रचारित कर अपने-अपने देशों में नारी की दासता को आदर्श, सच्चरित्रता, धर्म, परिवार और समाज की अक्षुण्णता के नाम पर कायम रखने की घृष्ट चेष्टाएँ भी कीं। अनेक देशों में तो जीर्ण दासता-ग्रस्त नारी स्वयं भी रूसी महिलाओं के स्वातन्त्र्य-स्वाच्छन्द को देख कर सशक हो उठी। पर नारी-स्वातन्त्र्य का आन्दोलन इन सब भ्रान्तियों तथा विघ्न-बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ता गया। ब्रिटेन में पहले महायुद्ध के बाद स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ, जब कि क्रान्ति के जनक फ्रांस की

स्त्रियों को अभी दूसरे महायुद्ध के बाद मताधिकार प्राप्त हुआ है ! पर यूरोप के अनेक देशों की स्त्रियों को आज भी नागरिकता का यह प्राथमिक राजनीतिक अधिकार तक प्राप्त नहीं है ! फिर भी सामाजिक और अर्थ-नीतिक दृष्टि से आज वे वैसी गुलाम कदापि नहीं हैं, जैसी कि अरब, एशिया, अफ्रीका आदि की महिलाएँ हैं ।

संसार के विभिन्न देशों के नारी-आन्दोलनों का विहंगम सिंहावलोकन करने के बाद जब हमारी आँखें अपने देश की ओर आकर रुकती हैं, तो लज्जा और निराशा से सिर झुक जाता है । कहने के लिए यहाँ की स्त्रियों को नाम-मात्र के लिए मताधिकार प्राप्त है, पर विवाह-विच्छेद अथवा पैतृक सम्पत्ति का अधिकार उन्हें आज भी नहीं है । मनु महाराज की कृपा से जन्म से मृत्यु तक पुरुष की अधीनता ही उसका सबसे बड़ा धर्म और आदर्श है ! इतने बड़े अन्याय और अधर्म पर आधारित है तथा-कथित हिन्दू-कानून ! जो भारतीय बहने निरक्षर हैं और ग्रामों की मध्य-युगीन परिस्थितियों में जन्मती-पलती हैं, उनका इस पाशविक दासता से ऊपर न उठ सकना तो समझ में आता है । पर जो बहने शहरों में रहकर नई तालीम हासिल करती हैं और वैज्ञानिक युग की सभी आधुनिक न्यायों से लाभ उठाने की सुविधा जिन्हे प्राप्त है, उन्हें जब हम अपनी दासता पर 'नारीत्व के आदर्श' और 'मातृत्व के गौरव' के आन्तिपूर्ण नामों से गर्व करते देखते हैं, तो आश्चर्य के साथ खेद भी होता है । इनमें से कुछ ने यद्यपि नए जमाने की हवा में तितली बन कर अपनी पाश्चात्य बहनों से भी आगे और ऊँचा उड़ने की चेष्टा की है, पर मानसिक गुलामी और तज्जनिता दुर्बलता से मुक्त वे भी नहीं हो सकी हैं । उनकी वह शिक्षा, जिसने इस तरह की भावनाओं को जन्म दिया है, न सिर्फ अधूरी ही है, बल्कि नारी के अनुपयुक्त भी । कदाचित् इसीलिए हमारे देश का नारीत्व अपने अस्तित्व एवं स्वातन्त्र्य के महत्व को भूला हुआ-सा है । जिन्होंने सामाजिक स्वातन्त्र्य की अथवा अर्थनीतिक स्वावलम्बन की ओर कदम बढ़ाया भी,

उन्हे कुछ ऐसे अप्रिय एव अप्रत्याशित अनुभव हुए कि उन्हे भी प्राचीन आदर्शों (?) का ही कायल होना पडा ।

हम यह नहीं कहते कि जो पुराने आदर्श है, वे सब बेकार और घातक है । पर यह सिद्ध करना अनावश्यक होगा कि हजारो वर्ष पहले के ये आदर्श आज के समाज और उसकी आवश्यकताओं के लिए उसी रूप में उपयुक्त नहीं रहे हैं । प्राचीन आदर्शों के अनावश्यक मोह और उनके मिथ्याभिमान से मुक्त हुए बिना हमारा उद्धार संभव नहीं । आज का युग नारी को देवी कह कर आदर्श, धर्म, परिवार या समाज के नाम पर सोने-चाँदी की जज़ीरो से जकड रखना कदापि सहन नहीं कर सकता । नर और नारी के शारीरिक वैषम्य को आवार बना कर आज किसी को किसी से श्रेष्ठतर सिद्ध करने की चेष्टा करना हास्यास्पद है । आज का युग विज्ञान का युग है । यन्त्रो ने मानव के शरीर-बल को बहुत-कुछ गौण बना दिया है । इस युग में बहुत कम काम ऐसे हैं, जिन्हे पुरुष कर सकता हो और स्त्री नहीं । आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में नारी समान रूप से नर के साथ कदम मिला कर आगे बढ़ रही है । जीवन-संग्राम में यदि भारतीय नारी को जान-बूझ कर पिछडना नहीं है, उसे नर के अधीन हो कर नहीं रहना है, यदि उसको केवल नर के मनोरजन का खिलौना और उसके बच्चो की माता ही नहीं बनना है, तो उसे अपने अस्तित्व, स्वातन्त्र्य, स्वावलम्बन आदि के महत्व को ठीक-ठीक समझना एव उसी के अनुरूप अपना जीवन बनाना होगा ।

इसी दृष्टिकोण से लिपिबद्ध किए गए अपने कुछ स्फुट विचारों का यह संग्रह आज लेखक सर्वसाधारण के सामने रखने का साहस कर रहा है । कोई उपदेष्टा, प्रचारक या विशेषज्ञ वह नहीं और न ही उसका यह दावा है कि वह नारी-स्वातन्त्र्य एव स्वावलम्बन की कोई योजना पेश कर रहा है । उसने जो-कुछ देखा, सुना, सोचा, समझा, उसीको स्फुट लेखों के रूप में अपने देश की बहनों के विचारार्थ रखा है । विभिन्न अवसरों पर

लिखे जाने के कारण इनमें कहीं-कहीं कुछ विरोधाभास अथवा प्रसामजस्य-सा भी झलकता है। इसका एक कारण यह है कि लेखक जहाँ प्राचीनता का कटु आलोचक है, वहाँ वह मौजूदा आधुनिकता का १०० फीसदी समर्थक भी नहीं। प्राचीन आदर्शों एवं अर्वाचीन जीवन की आवश्यकताओं का एक विवेकपूर्ण समन्वय ही उसका मूलोद्देश्य है। उसकी एकमात्र कामना यही है कि आज की भारतीय नारी अपने बारे में—अपनी स्थिति, अधिकार, स्वतंत्रता, भविष्य आदि के बारे में—स्वयं सोचे और अपने लिए स्वयं निर्णय करे एवं उस पर अमल करे। ऐसा सोचने के लिए यदि यह संग्रह उसे कुछ भी सुभाव या प्रेरणा दे सका, तो लेखक अपना परिश्रम सार्थक समझेगा।

‘विशाल भारत’ कार्यालय
कलकत्ता १ जनवरी, १९४७

मो० सि० सेंगर

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
अपनी बात	५
नई सस्कृति और नारी	१३
नये युग की नारी १	२४
नारी, विवाह और समाज	४०
हिन्दू-स्त्रियो को तलाक का अधिकार	५२
स्त्रियाँ और युद्ध	६४
विश्व-शान्ति और स्त्रियाँ	८०
पजाब की जाग्रत महिलाएँ	९२
नारीत्व की लाञ्छना	९८
जीवन-साथी का चुनाव	११३
'क्या हम ज़हर खा ले ?'	१३२

नई संस्कृति और नारी

जिस समय आदमी युवावस्था की चरम-सीमा पर पहुँच कर, जरा-जीर्ण हो, एक दिन अपनी इह-लीला समाप्त कर देता है, उसी प्रकार समय का एक हिस्सा भी—जिसे युग कहा जाता है—अपनी उपयोगिता की चरम-सीमा पर पहुँच कर एक दिन खत्म हो जाता है और उसका स्थान एक अधिक उपयोगी नया युग ले लेता है। जिस प्रकार एक या कुछ आदमियों के मरने से ससार सूना नहीं हो जाता, ठीक उसी प्रकार समय के किसी खास हिस्से—युग-विशेष—के खत्म हो जाने से यह नहीं समझना चाहिए कि अब मान-वता का भविष्य निविड अन्धकारमय है, अथवा जो नया युग आरम्भ हो रहा है, वह ससार के लिए पिछले युग से कम कल्याणकारी होगा। एक आदमी जब मर जाता है, तो उसके घरवालों के लिए रोना-धोना एक अन्ध-परम्परा-सी बन गई है। पर उसके घरवालों से कोई पूछे कि सदा-सर्वदा वह जीवित कैसे रह सकता था ? फूल खिलने के बाद एक-न-एक दिन तो मुर्झायगा ही—चाहे वह कितना ही सुन्दर और सुगन्धि देनेवाला क्यों न हो। जीव नामधारी जितने भी प्राणी हैं, वे अपने भौतिक विकास की चरम-सीमा पर पहुँचने के बाद मुर्झा कर एक दिन अवश्य खत्म होंगे—यही उनके विकास और अस्तित्व की स्वाभाविक क्रिया और प्रतिक्रिया है। जीवन और मरण उनके विकास के दो छोर हैं। उत्पत्ति में समाप्ति के और समाप्ति में नई उत्पत्ति के बीज निहित हैं। जीव के विकास का यह चक्र एक भौतिक क्रिया-मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसे जीव या आत्माके आवागमन के साथ नत्थी करना ठीक न होगा।

इस विकास का कोई निश्चित माप-दण्ड नहीं है। मोटे रूप में हम 'युग' और 'कल्प' को पेश कर सकते हैं—किन्तु उनकी अवधि सदा एक-सी

और निश्चित रही है, यह कदाचित् विवादास्पद है। जीव के विकास का यह माप-दण्ड भी परिस्थितियों के साथ बदलता और छोटा-बड़ा होता रहा है। जीव के विकास की धारा ने जब कभी सहसा पलटा खाया है, तो उसके साथ समय का यह माप-दण्ड या 'युग' भी बदला है। चूँकि मानवी-विकास की गति-विधि सदा एक-सी नहीं रही है, अतः 'युग' की आयु और उसकी छाप भी विभिन्नता एव विषमता लिए हुए रही है। कभी 'युग' शताब्दियों में बदले हैं, तो कभी वर्षों, महीनों और दिनों तक में। हमारे विकास की धारा आज तो उस बौद्धिक घरातल पर से गुजर रही है, जहाँ क्षण-क्षण में उसका रूप और प्रवाह, दिशा और वेग, बदल रहा है अथवा कहना चाहिए कि बदल सकता है। प्रारम्भिक विकास की अवस्था को हम पार कर चुके हैं। अब विकास की जिस सीढ़ी पर हम चढ़ना चाहते हैं, उसमें और पहली सीढ़ी में यद्यपि अन्तर बहुत नहीं है, तथापि बौद्धिक सङ्घर्ष इतना प्रबल और तीव्र है कि पथभ्रष्ट होने की सम्भावना अधिक से अधिकतर होती चली जा रही है। पर इस खतरे से डरने के वजाय सावधान होने की विशेष आवश्यकता है।

प्राचीनता का मोह

यह जानते हुए भी कि जो आदमी मर गया है, वह अब जीवित नहीं हो सकता, हम उसके शव के चारों ओर बैठ कर जोर-जोर से रोते हैं और आग में फूँक कर उसके हाड-मांस के शरीर को राख करके भी स्मृति-पट पर या कागज और स्याही के सहारे उसे 'जीवित' रखने का यत्न करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम एक बीतनेवाले 'युग' का मोह भी आसानी से नहीं छोड़ पाते। जिन्होंने कम-से-कम परिश्रम करके अधिक-से-अधिक आराम या लाभ उठाया है, वे भला विषमता या शोषण के युग का खात्मा कैसे वर्दाश्त करेंगे? किसी भी तर्क या दलील से उन्हें इस बात का विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि जो युग अपनी उपयोगिता खो चुका है, अपने

चरम-विकास को पहुँच चुका है, वह तो खत्म होगा ही—किसी व्यक्ति, समाज या देश-विशेष के द्वारा नहीं, अपने-आप। कोई मानवी शक्ति, प्रतिगामिता, षड्यन्त्र और गुटबन्दी उसे खत्म होने से रोक नहीं सकते। यह एक सर्वथा दूसरी बात है कि उसके खात्मे का उपकरण या सहारा कोई भी और कही भी बने। आदमी जब मरता है, तो कोई-न-कोई वीमारी उसके अन्त का कारण बनती है। इसी प्रकार एक युग जब अपनी समाप्ति की स्थिति में पहुँचता है, तो कभी कोई प्रतिगामी सफलता उसके अन्त को कुछ दिन और आगे खिसका देती है और कभी कोई सामूहिक प्रयत्न, जिसे शब्दान्तर और स्थिति-विशेष में विद्रोह अथवा क्रान्ति कहा जा सकता है, उसके अन्त को जरा और निकट ले आता है। इसे युगो का परिवर्तन-काल (Transitory Stage) कह सकते हैं। इसमें जहाँ पिछले युग के अन्त के आसार खूब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, वहाँ नये आनेवाले युग के अग्र-चिन्ह भी उतने ही स्पष्ट हो जाते हैं। यह स्पष्टता युग-विशेष के सहायक या अवरोधक व्यक्तियों की शक्ति या परिस्थितियों की प्रबलता पर अवलम्बित है।

आज हम इसी तरह के युग-परिवर्तन-काल में से गुजर रहे हैं। खत्म होनेवाले युग का अन्त हमें सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो नया युग आ रहा है—वर्तक कहना चाहिए कि जिसका शीर्षण हो चुका है—उसकी सम्भावनाएँ और शक्तियाँ भी हमें बहुत-कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। मानवता का कल्याण इसी में है—जहाँ तक कि हमारा अपना खयाल है—कि पुराने युग को, जिसने विपमता, शोषण, दुराचार, अमानुषिक अत्याचार, स्वच्छन्दता, एकाधिकार, पाशविक-शक्ति की प्रबलता आदि के द्वारा हमें भगडालू, खोखला और भाई-भाई का दुश्मन बना दिया है, जल्दी-से-जल्दी खत्म किया जाय और नये युग को जल्दी-से-जल्दी लाने का प्रयत्न किया जाय।

भविष्य या नये युग के सम्बन्ध में आज हम दो तरह की कल्पना-

धाराएँ देख रहे हैं। पहली कल्पना-धारा है निहित हितोवालो की, जो शोषण, एकाधिकार और पाशविक बल के सहारे आज कोट्याधीश और लाखों मनुष्यों के भाग्य-विधाता बने हुए हैं। वे भली भाँति जानते हैं कि नये युग की व्यवस्था कैसी भी क्यों न हो, वह अमानुषिकता, विषमता, शोषण, अन्याय, अनधिकार, अत्याचार और बेईमानी के आधार पर खड़ी हुई मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था से मिलती-जुलती कदापि नहीं हो सकती। इसीलिए वे अपनी सारी सम्पत्ति और खून तक देकर दूसरों की सम्पत्ति को हड़प जाने और उनका खून पीने की इस व्यवस्था को कायम रखने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अपने नीच स्वार्थों के लिए आज वे मानव-कल्याण और सभ्यता, शान्ति तथा सस्कृति की दुहाई देकर पुराने युग के अन्त और नये युग के आरम्भ में विलम्ब कर रहे हैं। जो कुछ हो, निहित हितोवालो का इस प्रकार का दुष्प्रयत्न समझ में आ सकता है।

दूसरी कल्पना-धारा है निम्न मध्य-वर्ग की, जो बहुत ही स्पष्ट तथा आशा और उत्साहप्रद है। पर इसके होते हुए भी सबसे बड़ा खतरा आज इसी वर्ग को है। इसके एक बहुत बड़े भाग के पास तन, ढँकने और पेट भरने तक की सुविधा नहीं है। अतः कल पूरी रोटी मिलने की आशा में आज मिलनेवाली आधी रोटी भी यह छोड़ दे, यह इससे एक ऐसे त्याग की आशा करना है, जो शायद यह कर न सके। यह आधी रोटी भी इसे उस वर्ग से मिल रही है, जिसे मिटाये बिना इसे पूरी रोटी कभी मिल नहीं सकती। इसे भुलावा देने, वरगलाने और पूरी रोटी पाने के लिए नये युग को लाने का प्रयत्न करने से रोकने के लिए तरह-तरह के प्रलोभनों और चालों से काम लिया जा रहा है। और कदम-कदम पर इसे मिलनेवाली आधी रोटी भी न देकर भूखो मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसके सामने भविष्य का अधिकतम अन्धकारमय चित्र खींचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके लिए मौजूदा मार्ग और व्यवस्था ही कल्याणकारी है। आनेवाले युग में इसको अपनी मेहनत का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाने

दिया जायगा और सारी सुख-सुविधाओं से वञ्चित कर दिया जायगा। आदर्श और सिद्धान्त नाम की कोई चीज इसके जीवन में नहीं रह जायगी। ऐसी दशा में आश्चर्य ही क्या, यदि भविष्य की आशङ्काओं ने इसके मुसी-वतजदा दिल को प्राचीनता या मौजूदा युग के मोह में फँसा लिया हो और युगान्तर के स्थान पर यह अपने शोषण और अधिकारापहरण में थोड़ी-सी रियायत और सुविधा-भर से सन्तुष्ट हो जाना चाहता हो। पर इस तरह युग-परिवर्तन को कब तक टाला जा सकता है ?

स्त्रियो का कर्तव्य और दायित्व

ऊपर की पक्तियों में हमने सक्षेप में यह दिखाने का यत्न किया है कि निहित-हितो और निम्न मध्य-वर्ग में प्राचीनता का मोह किस लिए है। निहित हितोवालो की बात के समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, पर मध्य-वर्ग का मोह जरा परेशानी पैदा करनेवाला है। जिनमें आत्म-विश्वास की कमी है, वे भविष्य को सदा आशङ्कामयी दृष्टि से देखते हैं। वे यही समझते हैं कि न-मालूम कल क्या होगा ? पर जिनमें आत्म-विश्वास पर्याप्त मात्रा में है, वे भविष्य की आशङ्का से घबरा नहीं जाते और हमेशा यही सोचा-समझा करते हैं कि कल कैसा भी हो, पर आज से तो अच्छा ही होगा। मध्य-वर्ग में आत्म-विश्वास की जो कमी है, वह उसके शोषण और पीडन के इतिहास पर दृष्टिपात करने से आसानी से समझ में आ जाती है। पर समय का तकाजा है कि उसे अपने-आपमें वह आत्म-विश्वास पैदा करना चाहिए, जो उसको अधिकारी और हितो की इस लड़ाई में धोखे से बचाये।

निम्न मध्य-वर्ग में भी यदि कोई अर्किचन और अधिकार-विहीन वर्ग कहा जा सकता है, तो वह है स्त्रियो का। उनकी लड़ाई का क्षेत्र देश और समाज से भी पहले घर है। आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से पहले उन्हें सामाजिक और वैयक्तिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़

रहा है। ऐसी स्थिति में नये युग के निर्माण में उनका कर्तव्य और दायित्व दोहरा हो जाता है—स्वयं नई व्यवस्था के लिए लड़ना और अपने पुरुषों (पतियों, भाइयों और सन्तान) को उसके लिए तैयार करना।

• नारी सभी देशों और समाजों में अधीन, अधम, अधिकार-विहीन, गीड़ित, शोषित और आश्रित रही है। पाँव की जूती बना या सर्भक कर भी पुरुष ने उससे वही काम लिया, जो किम्बहुना उसकी पूजा कर— उसे देवी, सती और लक्ष्मी के पद पर आसीन कर—। जहाँ पाँव की जूती बना कर पुरुष ने नारी के स्वतन्त्र अस्तित्व की इति-श्री कर दी, वहाँ उसकी पूजा कर उसने उसके पतन और अधिकार-विहीन आत्मार्पण पर नैतिक ढोंग का पर्दा डाल दिया और उसके अस्तित्व के रहे-सहे अश या नाम को भी खत्म कर दिया। पूजा के नाम पर जहाँ पुरुष चौका नहीं, वहाँ नारी के अहभाव को पोषण मिला और स्त्री-पुरुष की विषमता का कोढ़ ढँक-सा गया। पूज कर भी पुरुष ने नारी को अपनी अतृप्त काम-वासना की पूर्ति का साधन-मात्र बनाये रखा और जब तक उसके शरीर में रूप और यौवन की धुंधली-सी भाँकी तक भी रही, उसे अपने विलास-भवन से बाहर जाने की स्वतन्त्रता नहीं दी। और नारी भी इसी में सुखी तथा सन्तुष्ट रही।

• न-मालूम किन-किन कठिनाइयों और सङ्घर्षों के बाद अब जब नारी पुरुष के रग-महल का द्वार तोड़ कर बाहर आने में समर्थ हुई है, तो उसके सामने ससार एक बहुत बड़े प्रश्न-सूचक चिन्ह के रूप में मुँह बाये खड़ा है। उसे ऐसा लग रहा है कि पुरुष की विलासिता के फन्दे दूर-दूर तक फैल गये हैं। जिधर भी वह आँख उठा कर देखती है, पुरुष की वासना अजगर की तरह उसे निगल जाने को खड़ी है। युगों की पराधीनता और पुरुष-परमेश्वर की आराधना ने उसे इतना पगु और निर्बल बना दिया है कि बाहर आकर वह अपनी रक्षा करने में भी अपने-आपको असमर्थ पाती है और उसे कभी-कभी यह भी ध्यान हो आता है कि पुरुष के विलास-भवन के अलावा उसके लिए ससार में और कोई सुरक्षा का स्थान ही नहीं। तो

क्या वह फिर पुरुष के उसी विलास-भवन की रानी बनेगी, जिसकी यन्त्र-णाओ से छुटकारा पाने के लिए उसने अब तक सङ्घर्ष किया है ? या सदा के लिए उससे मुक्ति पाने के लिए वह बाहर के सभी खतरों और चुनौतियों का दृढ़ता और आत्म-विश्वास के साथ सामना करेगी ?

अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्णय उसे आज स्वयं करना है । सूर्योदय से २-३ घण्टे पहले उठ कर और सूर्यास्त के ४-५ घण्टे बाद तक पति और सन्तान की सेवा तथा पालन-पोषण में लगे रहना ही उसके और समाज के लिए अधिक हितकर और उपयोगी है या इससे परे भी उसकी कुछ उपयोगिता, दायित्व और कर्तव्य है ? पुराने नियम और बन्धन, पद्धतियाँ और प्रणालियाँ ही नारी के लिए उत्तम है या उनका एकदम मूलोच्छेद कर वह अपने लिए एक नये समाज, नये घर और नये ससार का निर्माण करेगी ? अपने स्वार्थ, जीवन के हित और मानव-कल्याण की दृष्टि से नये युग की आवश्यकता पुरुष की अपेक्षा नारी को ही अधिक है और इसी लिए हम आशा करते हैं कि उसे इस दिशा में विशेष तत्परता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है ।

नई संस्कृति क्यों ?

आज दुनिया बदल रही है और उसके साथ ही बदल रहा है जीवन का दृष्टिकोण भी । जो दिन हम बिता चुके हैं, अब हमें उनके अनुभव से लाभ उठाने की अन्त-प्रेरणा हुई है । अब तक के नियम, क्रम, व्यवस्थाएँ और इतर प्रणालियाँ हमें सुख, शान्ति और समृद्धि के साथ-ही-साथ कुछ ऐसी दिशाओं में भी ले गई हैं, जहाँ हमने एक-दूसरे से लड़ने, एक-दूसरे को ठगने और धोखा देने की आदतें डाल ली हैं । मौजूदा सम्प्रदायों और संस्कृतियों ने हमें मानव कम रक्खा है और राक्षस अधिक बना दिया है । परिणाम यह हुआ है कि आज मानवता के नाम पर हम मानवता का नग्न-नृत्य देख रहे हैं । विश्व अशान्ति, शोषण, विषमता और विग्रह से कराह

रहा है। यह बड़ा ही दुखद और करुण दृश्य है, जिसे न-मालूम हम कितने वर्षों से देखते आये हैं। अब हम उसे देखते-देखते उकता गये हैं और चाहते हैं कि अपनी त्रुटियों और खामियों से लाभ उठाये। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आज हमें एक नई सस्कृति और नई सभ्यता की आवश्यकता है।

जो सस्कृति आज है—और युगों से चली आ रही है—उसमें सभी कुछ खराब है, ऐसा हम कदापि नहीं कहते। जिस नई सस्कृति का हम निर्माण करने जा रहे हैं, वह सर्वत सन्तोषप्रद और दोष-रहित होगी, ऐसी बात भी नहीं है। पर हम हृदय से यह महसूस करते हैं कि एकाधिक युगों से जो सस्कृति हम देखते आ रहे हैं, उसमें उस प्राचीनता की गहरी छाप है, जो अपनी उपयोगिता खत्म करने के कारण मर चुकी है और जिसकी हमें अब मुतलक कोई जरूरत नहीं है। जब तक प्राचीनता से हमारा सम्बन्ध रहेगा, हम जीवन को, समाज को और विश्व को नये दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। परिणामतः हम उन भगडो-भमेलों से ऊपर उठ कर कुछ भी कर या सोच नहीं सकते, जो प्राचीन इतिहास और सस्कृति का आधार रहे हैं। अस्तु—

हम सुधार में नहीं, क्रान्ति और विनाश के वाद होनेवाले नव-निर्माण में विश्वास करते हैं। नई सस्कृति के निर्माण की बात हम इसीलिए इतने जोर के साथ कह रहे हैं कि उसमें सुधार की अब कोई गुञ्जाइश ही नहीं रह गई है। वह तो उस फूटे वर्तन की भाँति है, जो सैकड़ों बार सुधार कर अब ऐसा विगड गया है कि उसे बदले बिना काम ही नहीं चल सकता। अब उसे और सुधारा नहीं जा सकता। यह हम मानते हैं कि नई सस्कृति का निर्माण काफी समय, परिश्रम और अनुभव-सापेक्ष है। पर इसी डर से हम उसे कब तक टालते जायेंगे? आज नहीं तो कल, हमें इस कार्य को आरम्भ करना ही पड़ेगा। फिर क्यों न आज ही उसे आरम्भ किया जाय?

जीवन के नये दृष्टि-कोण और नई सस्कृति को हम सामूहिक रूप में

देखना चाहते हैं—आज-कल की संस्कृतियों की भाँति विषमताओं और नवीनताओं की एक तालिका के रूप में नहीं। हर देश, जाति और समाज की संस्कृति पृथक् हो, यह हमारी कुछ समझ में न आनेवाली बात है। भाषा, जाति और देश के साथ संस्कृति का बदल जाना इस बात का द्योतक है कि हम अभी एक नहीं हो पाये हैं—अनेक हैं। और जब तक हम अनेक रहेंगे, लडाई, झगडे, शोषण, अपहरण आदि को मिटाना सम्भव नहीं। इसी अनेकता और पृथकता को मिटाने के लिए हम एक ऐसी नई संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें सच्चे रूप में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सिद्धान्त निहित हो और जो हमें भाषा, जाति और देश के दायरों में बाँटनेवाली विनाशकारी प्राचीनता से एकदम मुक्त हो। भौगोलिक विषमताओं से हमारी जाति और स्वार्थ कैसे बदल जाते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आया। यही बात बहुत-कुछ लिङ्ग-भेद के रूप में भी कही जा सकती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पृथक्करण और विषमताओं की जितनी दीवारें हम खड़ी कर चुके हैं, उन सब को मिस्मार कर हमें एक नई संस्कृति की नींव डालनी चाहिए।

नई संस्कृति और नारी

संस्कृति की नींव सबसे पूर्व हमारे घरों में ही पड़ती है, जिनकी एकमात्र स्वामिनी है नारी। नई संस्कृति के निर्माण में नारी का अधिक सहयोग और दायित्व रहेगा और रहना भी चाहिए—इसलिए नहीं कि अब तक उसके निर्माण में पुरुष का विशेष हाथ रहा है, बल्कि इसलिए कि नारी ही अधिक पीडित, शोषित और वञ्चित है। अतः भावी संस्कृति के निर्माण में उसका विशेष हाथ रहना इसलिए भी आवश्यक है कि वह अपने स्थान, अधिकारों और दायित्व का स्वयं निर्णय एवं निर्माण करे, ताकि आगे चल कर फिर हमें यह कहने का मौका न मिले कि हमारा नैतिक पतन नारी के पीडन और शोषण का अमिश्रण है। नर और नारी

की शारीरिक विषमता इतनी अहम नहीं है, जितनी कि सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक। समाज ने तो उसे नौकरानी से लेकर वेश्या तक बना डाला है। नीति ने कुत्सा और राजनीति ने अपाहिज। यह स्थिति क्या घोर अन्याय, अपमान और अमानुषिकतापूर्ण नहीं है? क्या यह मानवता और उसकी कही जानेवाली सस्कृति का अपमान नहीं है? इस स्थिति में सुधार करने की माँग करना अब दकियानूसीपन ही नहीं उपहासास्पद भी है। फिर हम क्या अनुचित कहते हैं यदि हमारा यह विश्वास है कि इस सस्कृति का मूलोच्छेद कर हमें नये सिरे से एक नई सस्कृति का निर्माण करना चाहिए। वर्तमान स्थिति अब और सह्य नहीं है।

इस छोटे से लेख में यह वताना सम्भव नहीं कि नई सस्कृति में नारी को अपने लिए किन-किन बातों और व्यवस्थाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अधिकारों की लड़ाई नारी-आन्दोलन का मुख्य आधार माना जा सकता है। पर अब नई सस्कृति के निर्माण में उससे ऊपर उठ कर ही काम करना होगा। मत-भेद और सङ्घर्ष की मनोवृत्ति को लेकर इस दिशा में बढ़ना घातक होगा। रूस की स्त्रियाँ ऊँचे-से-ऊँचे दायित्वपूर्ण पदों पर बे-रोक-टोक काम कर सकती हैं, ब्रिटेन की स्त्रियाँ पार्लियामेण्ट में बैठ कर मत दे सकती हैं, लेकिन फ्रान्स की स्त्रियों को मताधिकार भी प्राप्त नहीं है और भारत की स्त्रियाँ तो घर से बाहर निकलने, उदर-पोषण और विवाह आदि के लिए भी पुरुष के अधीन हैं। नई सस्कृति में इस प्रकार की नीचतापूर्ण विषमता का नाम तक नहीं होगा। नारी केवल इसलिए पुरुष से दुर्बल और अयोग्य नहीं समझी जायगी कि वह 'नारी' है—हाड-मास के वजन में पुरुष से कम है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में नारी का स्थान पुरुष से कम और निम्न न होगा। वह नटी या तितली नहीं, मानवी समझी जायगी। अपने कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व और अधिकारों का निर्णय वह स्वयं करेगी। उसे कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय भी वह स्वयं करेगी। पुरुष चौकता है तो चौंके, पर अपने जीवन का विधान

वह स्वयं बनायगी—अलग नहीं, पुरुष की सलाह और सहायता से; आदेश से नहीं ।

हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि नई सस्कृति के निर्माण में नारी का विशेष हाथ रहे और पुरुष का कम या कुछ भी नहीं । इस प्रकार विषमता का अन्त सम्भव नहीं और नारी के बदले शायद पुरुष ताडना और अवमानना का शिकार बने । हम तो चाहते हैं कि दोनों के सलाह-सहयोग से नई सस्कृति का निर्माण हो और उसमें मौजूदा विषमताओं के कीटाणु न हो । ऐसा होने से दुनिया की आधी से अधिक कठिनाइयाँ, स्वतः मिट जायँगी । सारी बुराइयों की जड़ तो यह विषमता ही है । हो सकता है कि हमारी यह बात आज केवल एक वहक ही समझी जाय, पर यह कभी सत्य न हो सकेगी, ऐसा तो कदापि नहीं कहा जा सकता ।

नये युग की नारी

कहना न होगा कि नये युग की नारी बड़ी तीव्र गति से उन्नति के मार्ग में बढ़ रही है। रूढ़िवादी पुरुष उसके इस सर्वतोमुखी विकास से न केवल आश्चर्यान्वित ही होकर रह गया है, बल्कि किसी हद तक चौंका भी उठा है। उसे आज अपने भविष्य और अस्तित्व की चिन्ता है। यह है भी स्वाभाविक—क्योंकि पुरुष ने युगो से उसे अपना गुलाम बना कर रक्खा है, उसका मनमाना उपभोग किया है। उसने कल्पना-जगत् में एक बड़े ही लुभावने और सुनहरे स्वप्न की सृष्टि कर रखी थी—कि नारी मेरे मनोरञ्जन की गुडिया है, वह मेरे हाथ की कठपुतली है, अपना पेट पालने के लिए वह मुझ पर निर्भर करती है, अपनी रक्षा के लिए भी वह मुझ पर ही अवलम्बित है, फिर मुझे छोड़ कर भला वह जा कहाँ सकती है ?

पर समय के प्रवाह ने उसके इस स्वप्न को आज न सिर्फ छिन्न-भिन्न ही कर दिया है, बल्कि उसके जीवन में—घर और समाज में—क्रान्ति का एक तूफान-सा खडा कर दिया है। वह भौचक होकर इस समाज-व्यवस्था के—जिसे उसने 'मीठी-मीठी गप्प और कडवी-कडवी थू' के सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर मनमाने ढङ्ग से कायम किया था—आमूल-चूल परिवर्तन को देख रहा है। नारी ने आज उसके खिलाफ जेहाद बोल दी है। उसकी स्वार्थ-पूर्ण बातों, नियमों और धर्म कहे जानेवाले वाक्-जाल को नारी ने फूँक मार कर उड़ा दिया है। उसकी मिथ्या धारणाओं और दुराकांक्षाओं को नारी ने बीज-रूप में ही मसल दिया है। उसकी स्वेच्छाचारिता और अपनी गुलामी को नारी ने अपने पाँवों से रौंद डाला है।

और कोई उपाय न देखकर आज पुरुष ने धर्म, सम्प्रज, सभ्यता और सस्कृति की दुहाई देना आरम्भ किया है। उसमें शायद यह सोचने की

बुद्धि ही नहीं रह गई है कि अब वह समय दूर नहीं है जब नये युग की नारी अपने लिये—और परोक्ष रूप से पुरुष के लिए भी—एक नये समाज, नई सभ्यता और नई सस्कृति का निर्माण करने जा रही है। उस नये समाज में पुरुष का क्या स्थान होगा और नारी का क्या, इसका निर्णय अकेला पुरुष या अकेली नारी नहीं, बल्कि दोनों मिल कर अपनी सुविधा और हितों को दृष्टि में रख कर करेंगे। वह नई सभ्यता क्या होगी, इसका निर्णय भी पुरुष और नारी दोनों मिल कर ही करेंगे। हमारी वह नई सस्कृति क्या और कैसी होगी, इसका निर्णय भी मनु, तुलसी, पण्डे अथवा पुरोहित, मौलवी या पादरी नहीं, नारी और पुस्तक ही मिलकर करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि हमारे समाज, सभ्यता और सस्कृति में कोई अच्छी बात है ही नहीं और उन्हें सर्वांश में तिलाञ्जलि दे देनी चाहिये। इनमें पुरानेपन के वावजूद कुछ वाते अच्छी हैं, जिनसे हम जीवन की नई परिपाटी का निर्माण करने में यथोचित लाभ उठा सकते हैं। पर इनकी अधिकांश वाते अब एकदम असामयिक हो गई हैं। वे एक ख़ोस समय के लिये थीं, जो युग हुए बीत चुका। अब उन्हें सड़े-गले पुराने तावीज की तरह गले से लटकाये फिरने का मोह हमें त्याग देना चाहिये। समय की पुकार और अपनी आवश्यकताओं को देख कर मनुष्य अपने समाज, सभ्यता और सस्कृति में सदा परिवर्तन करता रहा है। यह प्रकृति की ही प्रेरणा से होता रहा है। आज परिवर्तन की यह जिम्मेदारी सर्वांश में नहीं तो अधिकांश में नारी ने अपने ऊपर ली है, क्योंकि वर्तमान समाज, सभ्यता और सस्कृति में पुरुषपन की ही अधिक बू है। पुरुष के स्वार्थों का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। पर इससे पुरुष को घबराना नहीं चाहिये। अपने लिये उसने युगों से जिन सुविधाओं की विरासत लिखा रखी है, अब नारी को उसमें हिस्सा देनेमें उसे झिझकना नहीं चाहिये, क्योंकि उसकी झिझक, अप्रसन्नता या विरोध नारी को आगे बढ़ने से, अधिकारों और जिम्मेदारियों में हिस्सा बँटाने से रोक नहीं सकते। नारी ने कदम उठाया

है और अब वह शक्ति-भर आगे बढ़ कर ही दम लेगी। पुरुष के लिए अच्छा यही है कि वह नारी के विकास-भाव का आदर और स्वागत करे तथा उसके आगे बढ़ने में सहायता और सहयोग दे, ताकि दोनों का जीवन ऊँचा उठ सके और दोनों मिल कर एक नवीन 'लौकिक-स्वर्ग' की सृष्टि करने में समर्थ हो।

दूसरा पहलू

पर नये युग की नारी के विकास का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे यदि हम नारी, पुरुष और समाज की भलाई चाहते हैं, तो अधिक काल तक नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। उसके विकास के चकाचौंध कर देनेवाले प्रकाश में हमें कुछ धुँधलापन या कालिमा की एक क्षीण-रेखा का आभास भी हो रहा है। उन्नति के जिस मार्ग पर वह आज आँख मूँद कर बेखौफ दौड़ी जा रही है, उसमें हमें अनेक गढों और अवरोधों की आशङ्काएँ हो रही हैं। हो सकता है, कल सम्भवतः सत्य सिद्ध होनेवाली ये शङ्काएँ आज हमें भ्रम या दकियानूसीपन ही जान पड़े, पर क्या हर्ज है, अगर उनसे बचने का उपाय पहले से ही सोच लिया जाय। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें कह देना चाहिये कि नये युग की नारी सर्वतोमुखी विकास के भ्रम में, उसकी उत्कट महत्वाकांक्षा के प्रवाह में, कहीं-कहीं, किसी अंश तक अपने उचित मार्ग को छोड़ कर गलत दिशा की ओर भी चल पड़ी है। बिना किसी दलील या आधार के हमारा मुँह बन्द करने के लिये कहा जा सकता है कि हम पुरुष होने के नाते शायद स्त्रियों की उन्नति को फूटी आँखों भी देखना पसन्द नहीं करते या उनके विकास के विरोधी हैं या हमें उन्हें आगे बढ़ते देखकर जलन और कुठन होती है, इसीलिये हम उन्हें हतोत्साहित करने पर उतारू हो गये हैं। ऐसा खयाल करनेवालों के लिये हमारे पास कोई दलील या कैफियत नहीं है। अधिक-से-अधिक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ऐसा सोचना हमारे साथ अन्याय करना होगा। इस समस्या पर हमने स्त्रियों को ग्लाम बनाये रखनेवाले पुरुष की हैसियत

से कभी विचार नहीं किया है। वैसा करना कूप-मण्डूकता या अदूर-दर्शिता के विज्ञापन से अधिक कुछ नहीं है, ऐसा हमारा खयाल है।

इस प्रश्न को हमने नारी और पुरुष के युग्म-हित, समाज की वस्तु-स्थिति और जीवन के पार्थिव आधार की दृष्टि से ही समझने की कोशिश की है। नहीं कह सकते, इसमें हमें कहाँ तक सफलता मिली है। पर हमारे कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है नारी आगे न बढ़े। वह जरूर बढ़े, किन्तु इतनी लापरवाही से आगे भी न बढ़े कि उसे खाई-खन्दक तक का ध्यान न रहे। हमारे जीवन में पग-पग पर गढ़े (Pitfalls) हैं, उनसे बचकर चलना ही नारी की बुद्धिमत्ता और उसके आदर्श सिद्धान्तों की सफलता है। किन्तु विकास, उन्नति और समानाधिकार आदि की प्रबल महत्वाकांक्षाओं के प्रवाह में वह जाना नारी के लिए हे भी स्वाभाविक ही। जिस प्रकार बहुत दिनों के रोगी को रोग-शय्या से उठने पर बड़ी भूख लगती है और यदि इस अवसर पर जरा समय और नियंत्रण से काम न लिया जाय, तो वह जरूरत से ज्यादा खा जाता है, जिसका परिणाम उसके लिये बलवर्द्धक या स्वास्थ्यकर न होकर हानिकार ही होता है। यही हाल किसी हद तक आज नये युग की नारी का भी है। युगो तक वह पर्दे, घर की चूहारदीवारी या समाज के रीति-रिवाजों के आडम्बर में कैद रही है आज एक जमाने के वाद उसने बाहर आकर स्वच्छन्दता से स्वतन्त्रता के वातावरण में साँस ली है। घर के बाहर का जीवन उसे प्रिय लगा है—बाहरी दुनिया उसके लिये एक अजीब आकर्षण और सम्मोहन लिये हुए है। उसे ऐसा जान पड़ रहा है मानो सब दिशाएँ—जीवन के सब क्षेत्र—हाथ बढ़ा कर उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। वह भी चाहती है कि वह सब तरफ जाय, सब-कुछ करे, जिधर उसे जाना चाहिये, उधर जाय और जिधर न जाना चाहिये, उधर भी जाय, जो उसे करना चाहिये वह करे और न करने लायक भी जो-कुछ उसके जी में आवे, करके देखे। आखिर इसमें

बुराई क्या है ? सदियों की गुलामी और समाज के बन्धनों में जकड़े रहने के कारण आज उसके हृदय में यह प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है कि जो पुरुष करे, वह मैं क्यों न करूँ ? मानो आज उसने सारे ससार को चुनौती दे दी है कि दुनिया में कोई ऐसा कोना न रहे, जो सिर्फ पुरुष के लिये हो और नारी के लिये नहीं। दुनिया में कोई ऐसा काम न रहे, जो सिर्फ पुरुष कर सके और नारी नहीं। होसला-अफजाई के लिये पुरुष नारी की या स्वयं नारी अपनी पीठ भले ही ठोक ले, पर अन्त में यह विकृत स्पर्धा उसे अपने चरमलक्ष्य तक पहुँचाने में शायद सफल न होगी, ऐसा हमारा अनुमान है।

जीवन के जिस मार्ग में वह आज बड़ी तीव्रगति से बढ़ी जा रही है, कौन कह सकता है कि कल जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाने पर, अपनी गलती महसूस कर, उसे वापस लौटना नहीं पड़ेगा ? आगे बढ़ कर पीछे लौटना अपमान नहीं तो क्या उसके लिये ग्लानि और दुःख का हेतु न होगा ? तब क्यों न वह आज ही फूँक-फूँक कर पाँव आगे धरे। एक कदम और आगे बढ़ाने से पहले गम्भीरतापूर्वक यह सोच ले कि उसका हित-अहित कहाँ तक उससे प्रभावित होगा ? सम्भव है, उसकी यह धारणा हो कि जिस पुरुष ने उसे चिर-काल तक गुलाम बनाये रखा, वह उसका हितैषी या पथ-प्रदर्शक कैसे हो सकता है ? अतः वह पुरुष की बात क्यों माने ? किसी हद तक उसकी यह धारणा ठीक भी है, पर वह स्वयं तो अपना हिताहित सोच सकती है। कल उसने पर्दा छोड़ा, आज घर छोड़ा और मुमकिन है, कल वह 'पति' कहे जानेवाले पुरुष को भी अपना शत्रु नहीं तो प्रतिस्पर्धी समझ कर छोड़ दे, हालाँकि इसकी सम्भावना अभी बहुत ही कम देख पड़ती है। जब वह 'पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलम्बी' होने के लिए निकल पड़ी है, तो उसे अपना हिताहित भी सोचना ही पड़ेगा।

अब हम नये युग की नारी जीवन के जिन विभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर हुई है, पृथक्-पृथक् रूप से उन पर प्रकाश डालेंगे। हमारा प्रयत्न सिर्फ

यह दिखाना होगा कि नये युग की नारी ने जो असाधारण उन्नति की है, उसमें जहाँ-तहाँ 'विकास की विकृति' के कीटाणु भी हैं या नहीं ? सभी क्षेत्रों में वह आगे बढ़ी है, पर कहीं-कहीं वह ज़रूरत से ज्यादा और गलत दिशा की ओर भी चल पड़ी है। सबसे प्रथम हम शिक्षा की ही बात लेते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में

नारों ने सबसे अधिक क्रान्ति की है। इस क्षेत्र में वह कभी-कभी पुरुष से भी आगे बढ़ गई है। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि अक्सर और सुविधाएँ मिलने पर नारी पढ़ने में भी पुरुष से कम नहीं है, वह उसकी बराबरी कर सकती है और उससे आगे भी निकल सकती है। कई वार उसने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वप्रथम रह कर पुरुष के मिथ्या गर्वको खर्व किया है। अपनी इस सफलता पर नारी को गर्व हो सकता है और पुरुष को प्रसन्नता भी, पर देखना तो यह है कि उसकी विश्वविद्यालय की यह सफलता, अच्छे-अच्छे प्रशसापत्र और प्रमाण-पत्र और पढ़ाई में तेज रहने के कारण मिले हुए पदक और पारितोषिकों ने उसके 'जीवन की सफलता' में कहाँ तक योग दिया है ? अँगरेजी, इतिहास, गणित, विज्ञान या दर्शन में बी० ए०, एम० ए० की डिग्री या डॉक्टरेट प्राप्त करनेवाली महिलाओं के जीवन ने समाज को अथवा स्वयं उन्हें क्या लाभ पहुँचाया है ?

उत्तर स्पष्ट है—उच्च शिक्षा प्राप्त कर नये युग की नारी ने अपने लिये एक नया मार्ग खोज निकाला है और वह है 'नौकरियों की दौड़।' इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा ने नारी को अधिक स्वतन्त्र व स्वावलम्बी, विचारशील और पार्थिव दृष्टि से उन्नत एवं समृद्ध बना दिया है। पर यदि हमारा अनुभव गलत और भ्रान्तिपूर्ण नहीं है, तो कहना पड़ेगा कि वह 'स्त्रीत्व' और 'मातृत्व' से कुछ दूर-सी हट गई या हट रही है। घर और गहस्थी के कामों से उसे एक प्रकार की घृणा नहीं तो अस्चि-सी

अवश्य हो गई है। एक तरह से घर उसके लिये जीवन का प्रधान क्षेत्र न रह कर नहाने-धोने और सोने की जगह-मात्र रह गया है। भोजन उसे होटल या बाजार में मिल जाता है। चाय या नाश्ते के लिये रैस्टोराँ, काफे आदि की कमी नहीं है। सुबह पार्क या बाग और शाम को क्लब या टेनिस-कोर्ट उसके मनोरंजन के लिये है ही। दिन सारा स्कूल, दफ्तर या अस्पताल में बीत जाता है और शाम क्लब, सिनेमा, पार्टी या सैर-सपाटे में। वस नित्य-क्रियाओं से निवृत्त होने और रात को सोने के लिये उसे 'घर' की आवश्यकता जरूर है। नित्य-क्रियाओं से निवृत्त होने की सुविधा तो अब बाहर भी प्राप्त होने लगी है और यदि पाश्चात्य देशों की भाँति हमारे देश में भी 'रात्रि-क्लबों' का प्रचार बढ़ा, तो शायद सोने के लिए घर लेना भी कभी अनावश्यक और फजूलखर्ची समझा जाने लगेगा। अस्तु—

यह स्थिति भारत के बड़े-बड़े गहरो में रहनेवाले उच्च शिक्षा-प्राप्त धनी परिवारों की है। पर मध्यम श्रेणी की और साधारण पढी-लिखी नारी पाश्चात्य सभ्यता की दृष्टि से अभी इतनी आगे नहीं बढ़ सकी है। मोटर, टेनिस का रैकेट, क्लबों की चुहलबाजियाँ और फैशन-परस्ती उसका जी जरूर लुभाती है, पर अर्थाभाव उसे आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसी नारी पढ-लिखकर भी नई रोशनी की सभ्यता के खयाल से 'अधकक्षरी' ही रह जाती है। कभी-कभी वह अपने लिये इस विशेषण का प्रयोग देखकर अपने को कुण्ठित अथवा ग्लानि-गलित भी महसूस करती है, पर कुछ भिन्न और कुछ आर्थिक-अडचनों के कारण वह इस कलङ्क को एकदम धो नहीं सकती। इसीलिये उसका बाहरी जीवन चद घण्टों का ही है, अधिकांश समय उसे घर में ही बिताना पड़ता है। इसी मजबूरी के कारण उसका अपने घर से थोड़ा-सा सम्बन्ध बना रह गया है और उसने इसे एकदम पति या नौकर के हाथों नहीं सौंप दिया है।

हो सकता है, हमारे इस कथन में किसी हद तक अत्युक्ति हो। पर

हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यह बात १०० फीसदी स्त्रियों के सम्बन्ध में नहीं कह रहे। अपवाद सब देशों में सब समय होते रहे हैं, पर आम धारणाएँ बहुमत के आधार पर ही बनाई जाती हैं। हम समझते हैं कि इसमें तो दो मत होने की विशेष सम्भावना नहीं है कि उच्च या साधारण शिक्षा-प्राप्त स्त्रियों के मन में घर और गृहस्थी के प्रति किसी हद तक उदासीनता का भाव आ गया है। कहीं-कहीं इसका कारण आलस्य और अकर्मण्यता है, तो कहीं-कहीं तर्क (या कुतर्क ?) और Business Viewpoint ! इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के सम्बन्ध में हानि और लाभ बतलाये जा सकते हैं, क्योंकि दलीलवाजी की सीमा निर्धारित करना असम्भव है। पर इस विवाद में न पंड कर हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि उच्च या साधारण शिक्षा-प्राप्त नारी को घर और गृहस्थी में आज 'जीवन का रस' नहीं देख पड़ रहा है। पाठक-पाठिकाओं को भ्रम न हो, अतः हम अपनी यह बात फिर दोहरा दे कि हमारा मतलब यह नहीं है कि सब शिक्षिता स्त्रियों की घर-गृहस्थी का यही हाल है। बहुत से ऐसे शिक्षित दम्पति भी हैं, जो साधारणतया बड़े सुखी और सन्तुष्ट हैं। पर इनकी सख्या भारत की जन-सख्या को देखते हुए बहुत कम है। अधिक सख्या उन्हीं की है जो अविश्वास, सन्देह, घृणा, अरुचि, कलह, मनमूटाव और जिल्लत का नीरस गृहस्थ-जीवन विता रहे हैं। बहुत से अलग-अलग रहने लगे हैं और बहुत से 'तलाक' का सोच-सोचकर भी रह जाते हैं। ये सब बातें प्रायः सर्वसाधारण तक पहुँचने नहीं पाती। बहुत से शिक्षित दम्पति तो मन-ही-मन में परस्पर कुत्ते-विल्ली का-सा स्वभाव होने पर भी लोक-लाज के डर से ऊपर से घर के बाहर बड़े खुश और हिले-मिले देख पड़ते हैं। किन्तु वास्तविक सुख और शान्ति कितने शिक्षित परिवारों में है, यह कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है।

इससे हमारा मतलब यह कदापि नहीं है कि स्त्री को शिक्षा देनी ही

नये युग की नारी

नहीं चाहिये, या शिक्षिता स्त्री घर-गृहस्थी के काम की नहीं रहती। ऐसा खयाल करना अपनी सङ्कीर्णता और मूर्खता का ही इजहार करना होगा। पर यह जरूरी है कि शिक्षा पात्र की आवश्यकता और उपयोगिता को देख कर दी जाय। एक ही प्रकार की शिक्षा सब लोगों के लिये सब समय हितकर नहीं हो सकती। जहाँ तक हम समझ पाये हैं, स्त्रियों को आजकल जो शिक्षा दी जा रही है, वह सर्वाश में उनके उपयुक्त नहीं है। हमारे घर या गृहस्थी की अशान्ति का एकमात्र कारण यही है। स्त्री पर 'स्त्रीत्व' और 'मातृत्व' की गुस्तम जिम्मेदारियाँ हैं और इन्हीं को सम्यक् रूप से निभा सकने योग्य शिक्षा उसे मिलनी चाहिये, इनसे विमुख करनेवाली शिक्षा नहीं। इस दृष्टि से आजकल स्त्रियों को जो शिक्षा मिल रही है, वह एक प्रकार से कुशिक्षा ही है। फिर यदि कॉलेज से बी० ए० या एम० ए० होकर निकलनेवाली युवती स्त्रीत्व या मातृत्व की जिम्मेदारी को न समझे, भार-रूप या जी का जञ्जाल समझे, घर-गृहस्थी के कामों से रस न ले, तो इसमें बेचारी नारी का क्या दोष? जो शिक्षा स्त्री में स्त्रीत्व या मातृत्व की भावना जागृत कर सकती थी, वह तो उसे दी ही नहीं गई। फिर यदि उनके प्रति उसकी उदासीनता या अपेक्षा-भाव हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या?

स्त्री के उपयुक्त शिक्षा कैसी हो, यह एक पृथक् लेख का विषय है। इस समय तो हम केवल यही बताना चाहते हैं कि अशिक्षा के अधकार से निकल कर आज नये युग की नारी शिक्षा के जिस प्रकाश-क्षेत्र में बढी और बढ रही है, वह उसके लिये सर्वथा उपयुक्त नहीं है। इसका कारण चाहे दिशाभ्रम हो, चाहे दुर्दमनीय महत्वाकांक्षा और चाहे पुरुष की बराबरी करने की स्पर्धा, पर है यह उसके लिये किसी हद तक गलत मार्ग। इस बात पर उसे आज भली भाँति विचार कर लेना चाहिये। पर हम यह भी नहीं कहते कि वर्तमान शिक्षा का मार्ग उसके लिये एकदम गलत ही है और इससे उसे लाभ कुछ नहीं हुआ है।

४

आर्थिक क्षेत्र में

वास्तव में देखा जाय तो इसमें शिक्षा के कारण ही नारी का प्रवेश हुआ है। पढ़-लिख कर उसने अपने अस्तित्व और अधिकारों को समझा है। पुरुषों के अत्याचारों का मुकाबिला करने और उनकी अधीनता से मुक्त होकर समाज और घर में अपना उचित स्थान प्राप्त करने की भावना उसमें जाग्रत हुई है। पर इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ उसे यह हुआ है कि आज वह किसी अश तक अपनी जीविका के लिये अनिवार्यतः एकमात्र पुरुष पर ही निर्भर नहीं रही है। कुत्ते-बिल्ली की तरह पुरुष टुकड़ा फेंके, तभी उसका पेट भरे, यह अब अतीत की गाथा हो गई है। गाय-भैंस की तरह घर के खूँटे से बँधी रहकर वह पुरुष के लिये दिन-भर मजदूरनी की तरह काम करे, कष्ट, अवहेलना और अपमान सहें, रूखा-सूखा खाय और मोटा तथा फटा-पुराना पहने, इसमें उसने नये परिवर्तन एवं सशोधन कर लिये हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि उसके प्रति पुरुष के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया है। मन में सशङ्कित एवं भयभीत होने पर भी वह नारी को आदर और समानता की दृष्टि से देखने लगा है, हालाँकि अभी इसमें स्वाभाविकता की अपेक्षा कृत्रिमता की ही बू अधिक है। पर शिक्षित होकर और आर्थिक-क्षेत्र में प्रवेश कर नारी ने पुरुष को 'सीघा' कर दिया है, उसके होश-हवास दुरुस्त कर दिये हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

हम यह मानने को तैयार नहीं कि नारी के आर्थिक-क्षेत्र में प्रवेश करने से पुरुष को किसी हद तक बेकारी का शिकार होना पडा है। जो लोग यह दलील देते हैं, वे एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में नारी के प्रवेश को बन्द या कम करना चाहते हैं। आर्थिक-क्षेत्र में भी नारी ने केवल नौकरियों के विभाग में ही प्रवेश किया है। उन अगणित व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्रों में, जिन पर अभी भी पुरुष का एकाधिकार है, अभी तक उसका प्रवेश

प्रायः बिल्कुल नहीं हुआ है; बल्कि यो कहना चाहिये कि उनकी ओर अभी उसने ध्यान ही नहीं दिया है। नौकरियों में भी नारी ने अपने लिये अभी केवल अध्यापिका, डॉक्टरनी, नर्स, धाय, आदि के कामों को ही चुना है—~~प्राइवेट-सेक्रेटरी, टाइपिस्ट, क्लार्क, वॉर-मेड, दुकानपर~~ सौदा बेचने, बुकिङ्ग अथवा टेलीफोन-ऑपरेटर आदि की ओर भारतीय नारी विशेष रूप से आकृष्ट नहीं हुई है; यद्यपि पश्चिमी देशों में ये नौकरियाँ एक प्रकार से नारी के लिये ही सुरक्षित हो चुकी हैं। विशेषज्ञों ने प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इन कामों में विशेष शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता न होने से ये नारी के लिये विशेष उपयुक्त हैं। हमारी समझ में भारतीय नारी को भी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिये।

✕ आर्थिक क्षेत्र में नारी का प्रवेश उसके अपने लिये, पुरुष के लिये और वस्तुतः समाज के लिये बड़ा ही हितकर सिद्ध हुआ है। अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि स्त्रियों और बच्चों का डलाज जितनी अच्छी तरह नारी (डॉक्टरनी) कर सकती है, पुरुष (डॉक्टर) नहीं। छोटे बच्चों को जिस प्यार से नारी पढ़ा सकती है, पुरुष नहीं। प्रायः देखा जाता है कि पुरुष की प्रकृति कठोर होने से उसके हँसने पर भी बच्चे भयभीत ही रहते हैं। 'मास्टर जी पीटेंगे' यह डर बहुत से बच्चों के स्कूल न जाने का एक मुख्य कारण है। इसीलिये पश्चिमी देशों में आजकल किडरगार्टन या माटीसोरी की शिक्षा के लिये प्रायः स्त्रियाँ ही रक्खी जाती हैं, पुरुष नहीं। ज्यो-ज्यो स्त्री-शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, वयस्क कन्याओं को पढ़ाने के लिये भी नारी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। नर्स या धाय का काम तो शायद एकमात्र नारी की ही बपौती है।

हम नहीं कहते कि शिक्षा की भाँति आर्थिक क्षेत्र में भी नारी गलत मार्ग में बढ़ी है। इस क्षेत्र में वह जितनी आगे बढ़ सकती थी या जितनी उसके बढ़ने की गुंजाइश है, अभी वह उतनी नहीं बढ़ी है। पर जितनी भी वह बढ़ी है, उसका परिणाम उसके लिये विशेष अच्छा नहीं हुआ है।

नौकरियों के फेर में पड़ कर उसने थोड़ा-सा आर्थिक स्वावलम्बन जरूर प्राप्त कर लिया है, पर चाँदी के चन्द टुकड़ों के लिये वह अन्य कई प्रकार से परमुखापेक्षी हो गई है। उसके कपड़े सीने व धोने, रोटी बनाने, घर को झाड़ने-बुहारने, सँभालने-सँवारने तथा वच्चों की देख-रेख करने के लिये आज उसे 'एक दूसरे व्यक्ति' की जरूरत होने लगी है—भले ही वह व्यक्ति पति हो, नौकर या नौकरानी हो या कोई सगा-साथी। थोड़े से आर्थिक स्वावलम्बन के लिये उसने कितना बड़ा परावलम्बन अपने सिर लाद लिया है, यह शायद वह अभी ठीक-ठीक सोच या समझ नहीं पाई है। दिन-भर नौकरी करके वह जो पैसे जुटा पाती है, वे नौकरो के वेतन, कपड़ों की धुलाई-सिलाई, मकान-भाड़ा और ऐसे ही अन्य खर्चों में चले जाते हैं, वास्तव में देखा जाय तो यह स्वावलम्बन उसके लिये बड़ा महँगा है। भले ही वह समझे कि घर के काम-धन्धों से उसका पिण्ड छूट गया, नौकर सब-कुछ कर देते हैं और वह आराम से रहती है। पर ज़रा विचारपूर्वक देखा जाय तो इस तरह का स्वावलम्बन आर्थिक, नैतिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके लिये बड़ा हानिकर है। यह स्वावलम्बन उसके मातृत्व या स्त्रीत्व के कर्तव्य-पालन के मार्ग में एक हद तक बाधक सिद्ध होता है। सच पूछा जाय तो इससे नारीत्व का शनै-शनै ह्रास होता जा रहा है। इससे नारी अपने पवित्र और प्रतिष्ठित स्थान से कुछ हट-सी गई है।

हमारा यह आशय कदापि नहीं है कि नारी इस क्षेत्र में प्रवेश ही न करे अथवा विशेष आगे न बढ़े। हमारा कहना तो यह है कि इस क्षेत्र में वह इतनी आगे भी न बढ़ जाय कि उसे अपना, अपने घर और बाल-वच्चों का अपनी स्थिति का तथा अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का कोई ध्यान ही न रहे। आर्थिक स्वावलम्बन चाँदी की चादर वन उसके समूचे जीवन को—उसके अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग को—आच्छादित न कर ले। अर्थार्जन उसकी जीविका का साधन भले ही हो जाय, किन्तु उसके जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। नारी-जीवन की महत्ता और ध्येय

को हम धुँधला या चाँदी के टुकड़ों पर कुर्बान होता नहीं देख सकते । हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि पुरुष के जीवन की कुञ्जी नारी के हाथ में है । उसके उत्थान और पतन का प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण वही हो सकती है । उसकी महत्ता और ध्येय का अक्षुण्ण रहना ही, उसके, पुरुष के और सुतरा समाज के लिये गर्व और गौरव का हेतु हो सकता है ।

सामाजिक क्षेत्र में

नारी का प्रवेश उसकी शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन का प्रतीक है । सामाजिक क्षेत्र को हमने उसकी शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र से पृथक् इसलिये माना है कि पुरुष की दीर्घकालीन अधीनता से मुक्त होने के लिये उसे शिक्षित और स्वावलम्बी होने के साथ ही कुछ अतिरिक्त प्रयत्न भी करना पड़ रहा है । इस क्षेत्र में उसे अपना सुधार करने, अपनी बुराइयों और कमजोरियों को दूर करने तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने और सुरक्षित रखने के लिये एक नवीन प्रयत्न और अनथक परिश्रम करना पड़ रहा है । घर की भाँति समाज में भी पुरुष ने उसे दबाकर रक्खा है, कभी उभरने का अवसर नहीं दिया । समाज के नियमों और पद्धतियों का जाल उसने कुछ ऐसा बिछाया है कि नारी को उसकी अधीनता और रूढ़िवाद से मुक्त होकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करने का अवसर ही न मिले । नारी की सामाजिक दुरवस्था एक प्रकार से पुरुष का बहुत बड़ा स्वार्थ बन गई है । वह चाहता है, सोचता है और भरसक प्रयत्न करता है कि नारी अपनी इस स्थिति से ऊपर न उठ सके । विचार-सङ्कीर्णतावश आज उसके मन में यह शङ्का उठ खड़ी हुई है कि समाज में अगर नारी का प्रभुत्व हो गया, तो उसकी दुराकाशाओं और पागविक-मनोवृत्ति का—जिसका कि वह अब आदी हो गया है—एकवारगी खात्मा हो जायगा । शब्दान्तर में कहा जा सकता है कि अधिकारों के लिये आज उसमें और नारी में एक जवरदस्त जट्टोजहद चल रही है । दोनों इस

वात के लिये प्रयत्नशील हूँ कि घर और जीवन में प्रभुत्व 'भेरा' रहे। उसके इस जीवन-संग्राम या स्पर्धा का क्षेत्र आज का समाज है।

समाज में नारी अभी अपनी स्थिति संभाल या सुदृढ़ नहीं कर पाई है। कह सकते हैं कि उसका एक पाँव अभी घर में है और दूसरा घर के बाहर—समाज में। घरवाला पाँव भी वह उठाकर समाज में रख सकेगी या समाजवाला पाँव उठाकर उसे घर में रखना होगा, इसका निर्णय उसकी शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन का भविष्य ही करेगा। इस समय घर से वह पाँव उठा चुकी है और समाज में पाँव रख भी चुकी है, पर मजबूती से नहीं। हमारे समाज का ढाँचा ही कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि नारी यहाँ अपने दोनों पाँव दृढ़तापूर्वक जमा कर खड़ी हो सकेगी, इसमें कई तरह की आशङ्काएँ और कठिनाइयाँ हैं। नारी को सफलता मिल रही है, मिलने की गुञ्जाइश भी है, पर वह कब तक कृतकार्य होगी या न होगी, यह कहना अभी कठिन है।

शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होकर भी समाज की बहुत-सी शृङ्खलाओं से आज नारी बच नहीं सकती है। समाज की सबसे कड़वी गोली—जिसे मन या बेमन से उसे निगलना ही पड़ता है—है 'विवाह'। पुरुष ने समाज का जो विधान बनाया है, यह उसकी सबसे बड़ी वेडी है। जब कभी अपवाद-स्वरूप नारी ने इस वेडी को पाँव में डालने से, इस कड़वी गोली को निगलने से, इन्कार किया है, समाज ने—जो आज एकमात्र पुरुष की कूटनीति का जाल-भर है—वदनाम कर, खिल्ली उड़ा कर, आरोप और अभियोग लगा कर उसे इतना कठोर दण्ड दिया है कि वह कहीं की नहीं रह गई है। कई बार तो इससे तड़क आकर या तो उसे बलि का बकरा बनना पड़ा है या फिर पुरुष की गुलामी को स्वीकार करना पड़ा है। विवाह ने समाज और पुरुष के बीच में नारी के निस्तार का कोई तीसरा मार्ग ही नहीं रखा है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि नारी विवाह को एकदम तिलाञ्जलि ही दे दे। यह तो सर्वथा

असम्भव, अव्यावहारिक और अहितकर होगा। पर हम यह जरूर कहेंगे कि उसे इसमें आमूल-चूल परिवर्तन अवश्य करना होगा—यदि उसे स्वाभिमान और इज्जत के साथ जीना है। क्योंकि हमारे समाज के केवल कान हैं, आँखें नहीं, शायद हृदय भी नहीं। इन चीजों का समावेश उसमें नये युग की नारी को ही करना होगा।

यदि हम यह नहीं कहे कि सामाजिक क्षेत्र में भी नारी एक गलत दिशा की ओर बढ़ रही है, तो यह तो जरूर कहेंगे कि वह उस ओर जाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन से उसने जो स्वच्छन्दता प्राप्त की है, पुरुष आज उससे अनुचित लाभ उठाने पर उतारू हो चला है। इस बार पुरुष ने पार्श्विक बल, आर्थिक प्रलोभन, धर्म या समाज के कानूनों का सहारा न लेकर एक नई चाल चली है। इस बार उसने अपने आपको स्वतन्त्र, स्वच्छन्द या स्वावलम्बी कहनेवाली शिक्षिता नारी को पश्चिम के सब्ज बाग दिखाये हैं, उनकी गुलाबी छाया दिखाकर उसने नारी को गलत दिशा में 'आगे बढ़ाने' की कोशिश की है और नारी भी पुरुष के हृदय में छिपी हुई 'शरारत' को भली भाँति न पहचान सकने के कारण उस ओर चल पड़ी है। हम नहीं कहते कि पुरुष नारी का शत्रु है। पर जिस पुरुष ने नारी को सदियों तक अपनी दासी और मन बहलाने की गुड़िया बना कर रक्खा है, वह उसका प्रथम श्रेणी का हितू कब और कैसे हो सकता है? जहाँ तक समाज और अधिकारों का प्रश्न है, पुरुष नारी का प्रतिस्पर्धी है। उसके चंगुल से मुक्त होने का उपाय नारी को स्वयं सोच निकालना है। यह भ्रम या नासमझी नहीं तो क्या है कि नारी यह विश्वास कर बैठी है कि पुरुष स्वयं उसे अपने चंगुल से मुक्त होने का गुर बतायगा। पुरुष ने कहा—'शुभे! हम तुम्हें पूजेंगे, तेरा आदर करेंगे, तू हमारे घर की लक्ष्मी है, हम तुम्हें समाज में अपने बराबर स्थान और अधिकार देंगे।' इस लुभावने वाक्-जाल में फँस कर नारी ने अपने ऊपर उठने और आगे बढ़ने का प्रयत्न एक प्रकार से छोड़ दिया है। आज

वह पुरुष का हाथ पकड़ कर जिस ओर बढ़ी जा रही है, उस ओर जाने में उसकी अपेक्षा पुरुष का ही स्वार्थ अधिक है। हमारा अपना तो यह खयाल है कि पश्चिम की सभ्यता और वहाँ की वस्तु-स्थिति भारतीय नारी को आगे बढ़ने में न तो विशेष सहायता दे सकेगी और न उसका उचित रीति से मार्ग-प्रदर्शन ही कर सकेगी। अस्तु—

नये युगकी बननेवाली सभ्यता ने नई रोशनी ने, जीवन के नये दृष्टिकोण ने जहाँ नारी में आगे बढ़ने और ऊपर उठने का अदम्य उत्साह, अपार साहस और असीम महत्वाकांक्षा को उत्पन्न किया है, वहाँ उसमें कुछ ऐसे विषैले कीटाणु भी छोड़ दिये हैं—या ये स्वयं उत्पन्न हो गये हैं—जो आगे चल कर शायद 'ग्रनिष्ट' का रूप धारण करे। यह हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ यही कह रहे हैं कि प्रासार कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं। सम्भव है, बहुत से भाई और बहन—विशेष कर बहने—शायद हमारे इस कथन से सहमत न हों। जो कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में नारी आगे पाँव बढ़ाये, वह पहले भलीभाँति विचार ज़रूर कर ले।

नारी, विवाह और समाज

कुछ समय पूर्व-'चाँद' में श्री सन्तरामजी वी० ए० ने 'हिन्दू-समाज पर वैवाहिक-सकट'-शीर्षक लेख लिखकर देशका ध्यान जीवन और समाज की एक अतीव महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट किया था। उसमें विद्वान लेखक ने बहु-विवाह से समाज को होनेवाली हानि की ओर सङ्केत करते हुए बतलाया है कि तलाक की प्रथा जारी किये बिना एक पत्नीत्व की प्रथा चल ही नहीं सकती। पर लेखक महोदय ने कदाचित् तलाक और बहु-विवाह के मूल कारण पर प्रकाश डालने की कृपा नहीं की है। वह है हिन्दू-समाज की मौजूदा दूषित विवाह-प्रणाली। आजकल होने-वाले विवाहों में से ९० प्रतिशत एकदम विफल रहते हैं। वजाय इसके कि हम अधाधुन्ध विवाह करके फिर उसे जैसे-तैसे निभाने की कोशिश करें और यह आशा करें कि उसकी प्रतिक्रिया दुःख और दुराचार के रूप में न हो, क्या ही अच्छा हो अगर हम उसे अधिक सोच-समझ कर करें और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की सम्भावना ही कम कर दें।

नारी की पराधीनता

हिन्दू-समाज पर वैवाहिक सङ्कट आज से नहीं, एक लम्बे युग से आया हुआ है। जिन किवदन्तियों पर हमारे जातीय इतिहास का आधार है, वे इतिहास के लिये विज्ञक्षण भले ही हों, पर दरअसल हमारी बुद्धिहीनता और विचार-शून्यता की ही द्योतक हैं। विवाह-प्रणाली के दोषयुक्त और विशृङ्खल होने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में स्त्रियों की पराधीनता और स्वयं उनका परावलम्बन। कहने के लिये हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा भी होती रही है, उनका आदर भी होता रहा है, उन्हें

आजादी भी खूब रही है, पर अगर जरा बारीकी से देखा जाय, तो पता चलेगा कि इस सब ढोंग की तह में रहा है पुरुष का स्वार्थ, उसकी अधिकार-लिप्सा और नारी को अपने पाँव की जूती या ढोर, गँवार और पशु की श्रेणी में रखने की अमानुषिक प्रवृत्ति। इसीलिए उसने उसे अपने विलास और सम्पन्नता के लिये मनचाहे ढङ्ग से बेचा, खरीदा, रक्खा, निकाला—गुडिया की तरह सजाया या भिखारिन बना कर घर से बाहर निकाल दिया। वह युग शिक्षा और सभ्यता का नहीं, पशु-बल का था, जिसमें प्रकृति ने ही नारी को पुरुष से दुर्बल और हीन बनाया था। अपने स्नेह और कोमलता से वह पशु-बल के धनी पुरुष-हृदय पुरुष पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी, बल्कि उसे पाशविकता की वेदी पर असहाय और विवश होकर अपनी तरुणी मानवता का बलिदान कर देना पड़ा। आप इसे नैतिक कहे या अनैतिक, पर थी यह नारी की पराजय। इस पराजय ने न सिर्फ उसके शरीर को, बल्कि मन को भी दुर्बल और साहसहीन बना दिया। उसने पुरुष की अधीनता को ही अपना सौभाग्य समझा। इसी का परिणाम है कि आज उसे इस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिये अनथक परिश्रम करना पड़ रहा है और अभी बहुत दिन करना पड़ेगा।

उसकी इस विवशताजन्य पराधीनता का पुरुष ने पूरा-पूरा लाभ उठाया और उसे सदा के लिये अपना गुलाम बनाये रखने को धर्म-विधान रचा। शास्त्र कहे जानेवाले यह ग्रन्थ मानवता के कलङ्क तो हैं ही, साथ ही पुरुष की नीचता, स्वार्थपरता और वृद्धि-भ्रष्टता के सबसे बड़े प्रमत्त भी हैं। फिर मनु और तुलसीदास-जैसे भ्रम फैलानेवाले लेखक इस पर धर्म का रङ्ग चढाने को मिल गये। नारी को कब और क्या पढाया जाय, क्या खिलाया और क्या पहनाया जाय, कब और किससे उसका विवाह किया जाय, इस सब के निर्णय का एकाधिकार अपने लिये सुरक्षित करके पुरुष ने उसे एकदम पगु बना दिया है। उसके टुकड़ों पर पलनेवाले धर्म-गुरुओं और पुरोहितों ने इसे विधाता का लेख बनाने के

लिये लिख दिया कि बचपन में नारी (कन्या) पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे ।¹¹ कितना सुन्दर विचार और ऊँचा विधान है । गोया स्त्री कैसी ही सती, साध्वी और सदाचारिणी क्यों न हो और पिता, पति अथवा पुत्र कहा जानेवाला पुरुष कितना ही दुर्बुद्धि, दुराचारी और पतित क्यों न हो, रहना उसे उसी के अधीन होगा, क्योंकि स्वतंत्र तो वह बचपन से बुढ़ापे तक हो ही नहीं सकती ।

स्वयम्बर की विडम्बना

इसी स्वार्थ के कीड़े पुरुष ने उसके विवाह के लिये भी मनमाना विधान बना दिया । जहाँ विवाह जीवन के विकास का एक सुखद प्रकरण होना चाहिये, पुरुष ने स्त्री के लिये उसे एक बन्धन बना दिया । पिता कहे जानेवाले पुरुष ने जिससे चाहा, लडकी को ब्याह दिया, भले ही फिर वह जन्म भर भीकती रहे । प्राचीनता के हिमायती प्रायः स्त्रियों की वैवाहिक स्वतन्त्रता की दुहाई देने के लिये 'स्वयम्बर' का प्रमाण दिया करते हैं । पर सच तो यह है कि वह अपने स्वार्थ और नीचता पर पर्दा डालने की पुरुष की एक विडम्बना-मात्र है । कन्या को ऐच्छिक वर मिले, इस दृष्टि से पुरुष सदा बाधक सिद्ध हुआ है । उसने उसके लिये वर ढूँढते समय सदा अपनी प्रतिष्ठा और वैभव का खयाल पहले रक्खा है और कन्या के सुख-सामजस्य का वाद में । सती के स्वयम्बर में शिव का और सयोगिता के स्वयम्बर में पृथ्वीराज का न बुलाया जाना इस कथन के प्रमाण है । फिर स्वयम्बर में वे ही लोग बुलाये जाते थे, जो पराक्रम और वैभव में कन्या के पिता से बड़े या समान हो, नीच न हो । ऐसी व्यक्ति ही कन्या के उपयुक्त वर हो सके, यह कोई तर्क नहीं और न इसमें अक्लमन्दी का ही कोई अंश है । राम को शिव का धनुष तोड़ने के कारण और अर्जुन को तेल में परछाईं देखकर गछली की आँख में तीर मारने के कारण अद्वितीय पति समझा गया । अगर जीवन में धनुष तोड़ने और गछली की आँख

मे निशाना लगाने का ही एकमात्र काम उस समय रहा हो, तब तो हम जनक और द्रुपद की वाकई हृदय से प्रशंसा करेंगे। पर अगर जीवन में इसका गौण तथा प्रधान स्थान और-और बातों का रहा हो, तो कहना पड़ेगा कि यह सब बौद्धमपन से अधिक कुछ भी नहीं था। माना कि उस समय कलम का स्थान तलवार ने ले रखा था, पर केवल पशु-बल पर रीझ कर ही कन्या के जीवन की लॉटरी लगाना अक्लमन्दी नहीं कहा जा सकता।

वर्तमान दूषित विवाह-प्रणाली

स्त्री का सरक्षक बनने का मोह पुरुष आज भी नहीं छोड़ सका है। स्त्री की आर्थिक और बौद्धिक विवशता ने उसकी इस विडम्बना को जीवित रखने में और भी सहायता की और कर रही है। आज उसके लिये वर पुरुष ही खोजता है और वही उसकी योग्यता अथवा पात्रता का निर्णय करता है। विवाह से पूर्व कन्या को अपने भावी पति के विचारों, रुचि और श्रद्धाओं से परिचित होने का मौका मिलना तो दूर रहा, देखने तक का मौका नहीं मिलता। विवाह के बाद वर अच्छा हो या बुरा, उसे इच्छा या अनिच्छापूर्वक सारा जीवन उसीके साथ बिताना पड़ता है। इस विवाह के औचित्य पर न्याय और धर्म की मोहर लगाने के लिये हिन्दू-कानून भी मौजूद हैं, जिसके अनुसार स्त्री अपने पति को छोड़ नहीं सकती—पति भले ही उसकी कुत्ते से भी बुरी दुर्गंत करे तथा चाहे जितनी श्राद्धियाँ और कर ले। यह पक्षपात और अनौचित्य ही वर्तमान विवाह-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। A Prob

स्वयम्बर के जमाने की बात और निशानेबाजी की परीक्षाएँ आज नहीं रही। जनक और द्रुपद के वंशधर आज यह देखते हैं कि लड़के के घर में जायदाद या जमींदारी है या नहीं, वह सरकारी मुलाजिम है या नहीं, कुल और घर अच्छा है या नहीं, कोठी, मोटर या रेडियो वगैरा हो तो कहना ही क्या है। बस, लड़की को उससे ब्याह देते हैं, फिर चाहे

वह नपुंसक, चिर-रोगी, शरावी, दुराचारी और कुछ भी क्यो न हो। इस तरह जायदाद, द्रव्य और कुलीनता से लडकी के पिता की शान तो जरूर रह या बढ जाती है, पर लडकी का जीवन नरक से भी बुरा हो जाता है। वह लज्जा और सङ्कोच के मारे न विवाह से पहले कुछ कह सकती है और न वाद ही मे। न-मालूम कितनी लडकियो का जीवन इस प्रकार नष्ट हुआ और हो रहा है। लडके तो आजकल यह कहने भी लगे है, कि हम शादी से पहले लडकी को देखेगे, पर लडकियो के लिये तो यह उनकी शालीनता, साहस और सद्गुणो की सीमा के बाहर की बात है। अगर साहस करके कोई लडकी ऐसा कहे भी, तो निर्लज्ज और विगडी हुई बताकर उसका समाज मे रहना मुश्किल कर दिया जाता है। कुछ लडकियो ने साहस कर बूढे, खूसट या रोगी व्यक्तियो से विवाह करने से इन्कार जरूर किया है, पर केवल अपवाद-स्वरूप। लाखो का जीवन तो बनावटी लज्जा और सङ्कोच के कारण प्रतिदिन नष्ट होता ही है।

बहुविवाह क्यों होते है ?

यदि हम अपने समाज मे होनेवाले विवाहो की असगति और बेहदगी को ठीक-ठीक समझ ले, तो विवाह के कारण को समझने मे हमे विलम्ब नही होगा। ऊपर हम कह आये है कि हमारे यहाँ विवाह वर और वधू की इच्छानुसार नही, बल्कि उनके माता-पिता या सरक्षको की इच्छा से होते है। ऐच्छिक विवाहो मे समाज एक बहुत बडा अवरोध रहा है। लडके और लडकी के बीच मे विवाह से पूर्व समाज की एक बहुत मोटी और ऊँची दीवार खडी रहती है। जब वह हटती है, तो वे दो अपरिचित व्यक्ति अपने-आपको एक-दूसरे से विवाह के उस बन्धन मे बँधा पाते है, जिसमे विच्छेद कानूनन निषिद्ध है। फिर उनमे कितना ही शारीरिक अथवा मानसिक विपर्यय क्यो न हो, पसन्द या नापसन्द करने का अधिकार उनसे छिन जाता है और उनके सामने केवल एक यही विकल्प रह जाता

हैं कि जैसे-तैसे जीवन-भर निभा ले जायें। समाज द्वारा जवर्दस्ती थोपे गये इस सयोग को बहुत-से तो जैसे-तैसे लड-भगड कर या मन मार कर निभा ले जाते हैं, पर बहुत-से बीच ही में विफल हो जाते हैं। यह असन्तुष्ट और तङ्ग आया हुआ वर्ग ही दुवारा या तिवारा विवाह करता है।

राजा-रईसों की बात जाने दीजिए। विना परिश्रम के मिलनेवाला अपार द्रव्य उन्हें सुरा और सुन्दरी की विभिन्नताओं का खोजी बना देता है। वे बहु-विवाह करके या रखेलियाँ रखकर अपनी उद्दीप्त हुई काम-वासना की तृप्ति के लिए न-मालूम कितनी ललनाओं का जीवन नष्ट करते हैं। पर इसे हम विवाह या गार्हस्थ्य की श्रेणी में परिगणित नहीं कर सकते। किन्तु साधारणतया जिसे जीवन-निर्वाह के लिये परिश्रम करना पडता है, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल Eat, drink and be merry ही नहीं कुछ और भी है, जो विवाह को केवल काम-वासना की तृप्ति का कानूनी पासपोर्ट ही नहीं समझता, जिसके लिए विवाह न 'सब-कुछ है' और न 'कुछ भी नहीं', वह स्वभावतया एक से अधिक जीवन-साथी की इच्छा कर ही नहीं सकता। पर इस सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि वह साथी जीवन का सच्चा साथी होना चाहिए, हाड-मांस का निर्जीव पुतला नहीं। विवाह-द्वारा पति और पत्नी में जिस स्नेह और 'स्व' का आदान-प्रदान होता है, उसमें किसी तीसरे या चौथे हिस्सेदार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सुखी और सन्तुष्ट पति-पत्नी के लिए दूसरे विवाह या दूसरे से वैसा सपर्क स्थापित करने की कल्पना करना ही पाप है। अतः यह कहना कि मनुष्य शान या शौक के लिए एक से अधिक विवाह करता है, मानव-मनोविज्ञान को न समझना है। शान और शौक के लिए जो एक से अधिक विवाह करते हैं, वे देहधारी मनुष्य होने पर भी पशु हैं, वासना के कीड़े हैं। पर जो लोग समाज के अन्याय, अविचार और ज्यादाती के शिकार हैं, जो समाज-द्वारा थोपे गये विवाह पर आत्मार्पण की मोहर नहीं लगा सके, वे क्रोध, घृणा और उपेक्षा के नहीं बल्कि दया, सद्भाव और सहानुभूति के

पात्र है। श्री सतराम जी ने जिन बहु-विवाहो का उल्लेख किया है, उन्हें समाज के इसी अन्याय, अविचार और ज्यादती की प्रतिक्रिया समझ कर हम उनके साथ सहानुभूति ही प्रकट करेंगे।

समाज है क्या ?

जो भीतर और बाहर से एकरङ्ग है और रहना चाहते हैं, जिन्हें अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये ईश्वर और धर्म की शरण लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जो व्यक्ति और समष्टि के सम्बन्ध को दलालो का सौदा नहीं समझते, उनके लिये यह विचारणीय है कि 'समाज' कही जानेवाली चीज आखिर है क्या ? पाठक जरा बारीकी से 'समाज' के सस्थापको, समर्थको और स्तम्भो की प्रसलियत पर नज़र डाले। अगर उनकी अन्तर्दृष्टि और विवेकबुद्धि धोखा नहीं देती, तो वे अवश्य इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि समाज पतितो और स्वार्थियों के एक गिरोह से अधिक कुछ भी नहीं है वह दुराचार का दुर्दम दुर्ग, अन्याय का अंधेरा आगार और बुद्धिहीनता का बहुत बड़ा चिडियाघर है। वह उन स्वार्थियों का अड्डा है, जो बिना श्रम किये, बिना योग्यता और पात्रता के धर्म, ईश्वर, न्याय और समाज के हित की दुहाई देकर पाप की कमाई खाना चाहते हैं। उसमें एक पत्नी के रहते अनेक स्त्रियो से अनुचित सम्बन्ध रखने-वाले और वहन या पुत्र-वधू तक को अपनी काम-वासना का शिकार बनाने-वाले अमीरो, 'बडे' आदमियो और सुफेदपोश सुधारको के लिये स्थान है, पर जिसका द्वार खुल्लम-खुल्ला अपनी इच्छा की शादी करके सद्गृहस्थ का जीवन बितानेवाले, ढोग, मक्कारी और घूसखोरी से घृणा करनेवाले सच्चरित्रो के लिये सदा वन्द है ! विवाह के लिये स्त्री के शरीर और पुरुष की वासना की दलाली करनेवाले इन हृदय और आत्मा-विहीन लोगो का लाइसेन्स आखिर किस मर्ज की दवा है ? अगर इन लोगो का हृदय टटोल कर देखा जाय, तो पता चलेगा कि बाहर के ये सुफेदपोश सुधारक

भीतर से कितने काले और घृणास्पद एव अवाञ्छनीय चरित्र के हैं ? हमारे कहने का अभिप्राय केवल यही है कि हमें किसी चीज, व्यक्तित्व या बात की बुराई-भलाई का निर्णय करने के लिये ऐसे समाज की आड़ नहीं लेनी चाहिये । ऐसी कच्ची और थोथी नींव पर खड़े समाज से इतने बड़े उत्तरदायित्व का बोझ सम्भल भी कैसे सकता है ? मिथ्या और कल्पित आधार पर महल कैसे खड़ा किया जा सकता है ? यह तो एक घोखे की टट्टी है । इससे बुरे-भले के विवेक की आशा क्या और क्यों की जाय ?

एक जगह श्री सतरामजी ने लिखा है—“फिर जो अवस्थाएँ ऐसी हो कि उनको (?) दूसरी पत्नी करने की अनुमति देने में समाज की कोई हानि न हो, उन्हें अनुमति देने में कोई श्रापति न होनी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जायगा, तो समाज में घोर अत्याचार और अत्याचार फैलेगा ।” पर समाज विशिष्ट अवस्थाओं में दूसरी पत्नी करने की आज्ञा देता है या नहीं, इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता । जो सम्पन्न है, प्रतिष्ठित है और चार आदमियों को टुकड़ा फेंक कर या मुट्ठी गरम करके अपने साथ कर सकते हैं, उन्हें समाज से सब-कुछ करने की अनुमति मिल जाती है, या यों कहिये कि उनके हर वद और नेक फेल पर समाज अपनी स्वीकृति और अधिकार की मोहर लगा देता है । मुश्किल तो उन ‘गरीब’ कहे जानेवाले साधारण लोगों की है, जिनके विचारों और कार्यों के बीच में पाखण्ड, दिखावा, जालसाजी और दावते देने या मुट्ठी गरम करनेवाली ‘नीति’ की दीवार नहीं खड़ी है । जो मन, वचन और कर्म से सर्वथा सच्चे और पवित्र हैं, पर जिन्हें जमाने-साजी और चरित्रहीनता पर मुलम्मा चढ़ाने का आर्ट नहीं आता है, ऐसे लोग न सिर्फ समाज के अपवाद ही हैं, बल्कि उसके अन्याय और अत्याचारों से सबसे अधिक पीड़ित, सत्रस्त और अभाग्य शिकार भी हैं । यहाँ हमें अपने एक परिचित रायसाहब का स्मरण हो आता है, जिन्होंने अपनी पत्नी के जीते जी उसी की छाती पर अपनी विधवा किन्तु रूपवान पुत्र-वधू को अपनी

‘प्रेयसी’ बना रक्खा है। यह बात सब जानते हैं, पर कोई कहता कुछ इस लिए नहीं कि रायसाहब से बहुतो का काम निकलता है। न्याय, धर्म और समाज के ठेकेदार कह देते हैं कि हमे किसी के खानगी जीवन से क्या लेना है ? कोई कह देता है—यह सब दिल मिले की बात है, हम क्यों किसी के बीच में पड़े। किन्तु दूसरी ओर एक सुशिक्षित और सुधारवादी युवक है, जिसने न सिर्फ जात-पात तोड़ कर बल्कि कुमार्ग से वचाने के लिए एक वेश्या की कन्या से कानून और धर्म के अनुसार विवाह कर लिया है। लेकिन कहे जानेवाले समाज ने उसका जीना भी हराम कर रक्खा है। उस बेचारे को न कही नौकरी मिलती है और न रहने को सलीके का मकान ही। सर्वत्र उसकी निन्दा, उपेक्षा और भर्त्सना होती है। समाज के ठेकेदार कहते हैं कि उसने रण्डी की लडकी से शादी करके अपने कुल को कलङ्क लगा दिया, अपने पुरुषो की मान-मर्यादा पर पानी फेर दिया, विवाह के पवित्र आदर्श को नष्ट कर दिया आदि। ऊपर के इन दो उदाहरणो के देने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि पाठक जरा समाज की बुद्धि और दुर्बुद्धि का तथा उसके न्याय और अन्याय का विवेचन करे। ऐसी दशा में समाज की अनुमति मिलने और न मिलने का अर्थ क्या है ? उसकी वास्तविक हानि किस बात में है और लाभ किस में, यह भी इसी प्रवृत्ति से आँका जा सकता है। फिर क्या हम समाज की स्वीकृति-अस्वीकृति को अपने समाज के और देश के हित की कसौटी मान सकते हैं ? स्पष्ट रूप से हम समाज के अस्तित्व और अधिकारो को चुनौती दे रहे हैं। उसके न्याय को सिर झुका कर मान लेना बुद्धि को तिलाञ्जलि देना है।

विवाह और समाज

तो स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि एक पत्नी के होने या न होने पर विवाह करने के लिए समाज की अनुमति क्यों ली जाय ? क्या यह जरूरी है ? हम नित्य-कर्म तो समाज की अनुमति से नहीं करते। खाना-पीना

और व्यापार-व्यवसाय भी समाज से पूछ कर नहीं करते । सन्तान की उत्पत्ति और मृतक का दाह-संस्कार भी समाज से पूछ कर नहीं करते । फिर विवाह के लिए ही उसकी अनुमति जरूरी क्यों—चाहे यह पहला हो या दूसरा । पाठक कह सकते हैं कि अगर हर आदमी मनमानी करने लगे, नियम और सयम को ताक में उठा कर रख दे, तो बड़ा अनाचार और अराजकता फैल जायगी । यह ठीक है, पर केवल सीमा-हीन और असाधारण स्थिति में ही ऐसा होगा । किन्तु हम तो जिक्र कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन की साधारण स्थिति का । समाज की असलियत हम ऊपर दिखा चुके हैं । ऐसी दशा में विवाह की जिम्मेदारी उस पर डालना और उसे अनावश्यक महत्व देना समझ में न आनेवाली बात है । विवाह एक वैयक्तिक चीज है । उसमें वननेवाले पति और पत्नी के सिवा किसी तीसरे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व या वकालत की जरूरत या गुजाइश हम नहीं देखते । इन दो व्यक्तियों के बीच में जवर्दस्ती समाज को घुसेडने का स्पष्ट अर्थ यही है कि होनेवाले सम्बन्ध की जड़ में प्रत्यक्ष या परोक्ष, जाने या अनजाने में, काँटे बोये जा रहे हैं । इसका प्रमाण वे हजारों-लाखों असफल और रोमाञ्चकारी दुष्परिणामोवाले विवाह हैं, जो समाज की स्वीकृति के प्रमाणपत्र को लेकर हुए हैं । विवाह शारीरिक और मानसिक साहचर्य के लिए एक साथी को चुनना-मात्र है । पर न-मालूम क्यों, हमने इसे एक हौआ-सा बना दिया है । आज तो इसके आगे-पीछे धर्म और समाज के इतने पुछल्ले लगा दिये गये हैं कि यह एक खासा अच्छा तमाशा बन गया है । इसे तमाशा बनाने की जिम्मेदारी है कहे जानेवाले समाज पर, जिसने अपना अस्तित्व और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इसे आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने का मायाजाल-सा बना दिया है । आज तो बदकिस्मती से यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी और खर्चीली समस्या बन गई है । जो लोग इसे असाधारण महत्व नहीं देते, खूब खर्च नहीं करते और इसका ढिंढोरा नहीं पीटते, उनको समाज क्षोभ और सन्देह

की दृष्टि से देखता है। उनकी कुलीनता और 'अस्त्रियत' (न-मालूम यह क्या बला है ?) तक में शक किया जाता है और उन्हें बड़ी नीचता और कमीनेपन से बदनाम किया जाता है। नौजवानों और नवयुवतियों के साथ यह कितनी बड़ी ज्यादाती और कितना भारी अन्याय है कि या तो वे समाज कहे जानेवाले गुट्टू के न्याय और निर्णय के सामने बिना हील-हुज्जत के सिर झुका दे, अन्यथा उनका जीना दुश्वार कर दिया जाता है।

बहु-विवाह-विरोधी कानून

समाज के ठेकेदारों द्वारा होनेवाली तीव्र भर्त्सना और थोथे आन्दोलन के अलावा दूसरा प्रयत्न बहु-विवाह को कानून से रोकने के लिए किया जा रहा है। जिन महानुभाव ने केन्द्रीय-असेम्बली में इस विषय का बिल पेश किया है, उनसे हमें पूर्ण सहानुभूति है। उनके इस प्रयत्न को आदर और प्रशंसा की दृष्टि से देखा जायगा, ऐसा हमारा अनुमान है। किन्तु रक्त-विकार के कारण शरीर पर उठ आनेवाले चकत्तो को केवल मरहम लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। उनका इलाज तो उस रक्त की शुद्धि है, जिसके विगड़ जाने से उनका जन्म हुआ है। उनका अस्तित्व केवल चमड़ी पर ही नहीं है, बल्कि उनकी जड़े शरीर के खून तक है। इसी प्रकार हमारा खयाल है कि बहु-विवाह को केवल कानून से रोका नहीं जा सकता। उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वह मौजूदा दोषपूर्ण विवाह-प्रणाली तथा समाज की असंगति एवं विकृति की एक प्रतिक्रिया-मात्र है। अतः उसे रोकने का सबसे उत्तम और प्रभावपूर्ण ढङ्ग यही है कि समाज और विवाह-प्रणाली को सुधारा जाय। जिसे हम अपने हृदय की गहराई से बुरा नहीं मानते और रोकने की कोशिश नहीं करते, उसे कानून एकदम रोक सके, यह अनुभव और अनुमान के विरुद्ध है। शारदा-कानून इसका प्रमाण है।

नारी, विवाह और समाज

उपसंहार

तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्या किया क्या जाय ? इसका उत्तर साफ सीधे शब्दों में हम यही देगे कि मौजूदा विवाह-प्रणाली को सुधारा जाय और समाज के हाथों से उसके एकाधिकार को छीन कर विवाह करनेवालों को सौपा जाय । वनावटी शर्म और सद्बोध को धता वता कर युवक-युवतियों को अपनी इच्छानुसार विवाह करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए । जीवन का साथी चुनने में ऐसी कौन सी बुराई है कि शर्म की जाय ? इच्छानुसार होनेवाले विवाहों से बहु-विवाहों की बुराई स्वतः मिट जायगी और समाज में होनेवाले बहुत से पाप रुक जायेंगे । कानून या उपदेश बहु-विवाह, बुराचार और अन्यान्य बुराइयों को पूरी तरह से नहीं रोक सकते । इच्छानुसार किये गये विवाह स्थायी और सुखदायक होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है । क्या हम आशा करें कि देश के युवक और युवतियाँ इस पर गौर करेंगे ?

हिन्दू-स्त्रियों को तलाक़ का अधिकार

१९३६-४० में केन्द्रीय असेम्बली में पेश किए गए डॉ० देशमुख के हिन्दू-स्त्रियों को तलाक़ का अधिकार दिलाने के बिल की देश में काफी चर्चा हो चुकी है। पाठकों को उसके प्रस्तावों की मोटी जानकारी होगी, यही समझ कर हम यहाँ उन्हें दोहरा नहीं रहे हैं। केन्द्रीय असेम्बली में उस बिल की जो दुर्गत हुई, उसका हाल भी पाठक यथासमय दैनिक-पत्रों में पढ़ चुके होंगे। बिल की दुर्गत से हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि सरकार का रुख उसके प्रति उत्साहवर्द्धक नहीं था, या किसी दल-विशेष ने उसके सिलेक्ट-कमेटी के सुपुर्द किये जाने का विरोध किया, बल्कि इससे हमारा तात्पर्य है उन लोगों का विरोधी और उपेक्षापूर्ण रुख, जिनके अर्द्धाङ्ग कहे जानेवाले एकमात्र पीडित समाज के लिए ही इसे कानून का रूप देने के लिए केन्द्रीय असेम्बली में पेश किया गया था।

सरकार के तत्कालीन गृह-सदस्य श्री थॉर्न ने बिल के सम्बन्ध में सरकार का रुख बतलाते हुए कहा कि असेम्बली के गत अप्रैल के अधिवेशन में भूतपूर्व कानून-सदस्य सर नृपेन्द्रनाथ सरकार ने अपनी योग्यतापूर्ण वक्तृता द्वारा बिल के प्रति सरकार का जो रुख स्पष्ट किया था, वह अब भी कायम है और आगे भी रहेगा। आपको सबसे बड़ी गिकायत बिल के खिलाफ यह रही है कि उसे पेश करनेवाले (यानी स्वयं डॉ० देशमुख) के सिवा असेम्बली के एक भी हिन्दू-सदस्य ने बिल का समर्थन नहीं किया। डॉ० देशमुख ने भी बिल के सम्बन्ध में जो-कुछ कहा, वह उनकी पार्टी (कांग्रेस) की राय न होकर उनकी अपनी और उन्हीं के विचारों के कतिपय सुधार-प्रिय व्यक्तियों की ही राय थी। आपने कहा कि यदि कांग्रेस-पार्टी बिल पर अपना मत प्रकट करती, तो उसमें भी वही असम्बद्धता होती, जो बिल

पर प्रकट किये गये समाचारपत्रों और असेम्बली-मदम्यों के मतों में हैं। आगे चल कर आपने बतलाया कि विल का समर्थन असेम्बली के मुस्लिम-सदस्यों ने जरूर किया है तथा इसकी कुछ प्रशंसा उन लोगों ने भी की है, जिन पर इसका पास हो जाने पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।

हिन्दू-सदस्यों का विरोध

स्थानाभाव के कारण ऊपर हमने जो-कुछ दिया है, वह सरकार के गृह-सदस्य का अविकल भाषण न होकर उनके भाषण का माग्य-मात्र है। पर इससे यह जानने में घायद कोई कठिनाई न होगी कि नम्रन्वित विल का विरोध सरकार या असेम्बली के यूरोपियन अथवा मुस्लिम-सदस्यों द्वारा न होकर केवल हिन्दू-सदस्यों द्वारा ही हुआ। जरा और आगे बढ़ कर हमें यह भी कहना चाहिए कि कांग्रेस-पार्टी ने विल के त्तारे में पार्टी के अनुशासन या बहुमत के दकियानूनीपन के कारण जो रूख अस्तित्वार किया, वह स्पष्ट विरोध या उपेक्षा न होते हुए भी परोक्ष रूप में विल का विरोध ही था। उसके द्वारा विल का समर्थन न होने में विरोधी-पक्ष प्रबल हुआ या विरोध का पलड़ा भारी हुआ, इस बात में कोई उन्कार नहीं कर सकता। यह उम कांग्रेस पार्टी का रूख है, जो देश की सामाजिक उन्नति के लिए भी वचनबद्ध है।

स्वभावतः प्रश्न उठता है कि हिन्दुओं (यानी हिन्दू-स्त्रियों) के लिए पेश किये गये एक समाज-सुधार के विल का एक भी हिन्दू समर्थन न करे या अधिकांश हिन्दू विरोध करे, तो इसका मतलब क्या समझा जाय? क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि असेम्बली के एक हिन्दू-सदस्य के दिमाग में कुछ फितूर था, या वह बेकार था, कि अपना समय और शक्ति लगा कर असेम्बली की वकूत खराब करने के लिए व्यर्थ में एक इस तरह का विल पेश कर दिया, जिसे वे ही नहीं चाहते जिनके लिए कि उसने इतना कष्ट उठाया? या क्या इससे यह समझा जाय कि असेम्बली के हिन्दू-

सदस्य हिन्दुओं के असली प्रतिनिधि नहीं हैं और दकियानूसी विचारवाले होने के साथ-ही-साथ पुरुष होने के नाते उन्हें स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने या न देने का फैसला करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ? या उससे यह समझा जाय कि डॉ० देशमुख हिन्दू-समाज को पतित और दुर्बल बनाना चाहते हैं और विल का विरोध करनेवाले असेम्बली के हिन्दू-सदस्य ही हिन्दू-धर्म की मर्यादा की रक्षा तथा हिन्दू-समाज की उच्चता और उन्नयन के ठेकेदार हैं ?

हमारी समझ में तो इन प्रश्नों का उत्तर शायद इन्हीं में है । अगर डॉ० देशमुख के पास विल के समर्थन और प्रशंसा में देश के कोने-कोने से अधिकांशतः स्त्रियों और महिला-संस्थाओं के आये हुए पत्र और देश के विभिन्न भाषाओं के पत्रों में निकले लेख सब-के-सब भूठे या जाली नहीं हैं और उन सब के स्रष्टा स्वयं डॉ० देशमुख ही नहीं हैं, तो यह कहना या मानना कि हिन्दू या हिन्दू-स्त्रियाँ तलाक के विरुद्ध हैं, अक्ल से भैस को बड़ा मानना है । जिनमें सहज-बुद्धि की अपेक्षा धर्मान्धता अधिक है और समझ के स्थान पर स्वार्थ का विस्तार और गहराई अधिक है, उनकी बात तो हम कहते नहीं, पर कोई भी समझदार हिन्दू या हिन्दू-स्त्री तलाक के अधिकार के खिलाफ हो, यह हम नहीं मान सकते । यह बात जरूर है कि इस तरह के समझदार व्यक्ति आज हिन्दू-समाज में अल्प-संख्यको (minority) की स्थिति में ही हैं, बहु-संख्यको (majority) की श्रेणी में नहीं । पर इसमें समझ की अपेक्षा अधिक दोष और दुर्भाग्य है समाज का । इसके बावजूद यह तो कोई औचित्य नहीं कि चूँकि समाज का बहुमत स्वार्थ, नासमझी और धर्मान्धता का शिकार है, अतः उसके सारे नियम-कानून बरकरार रखे जायँ । यदि ऐसा हो, तब तो हरिजनों को मन्दिर-प्रवेश का और लड़कियों को पढ-लिख कर जीविकोपार्जन करने का अधिकार भी क्यों दिया जाय, क्योंकि हिन्दुओं का बहुमत ऐसा करने के खिलाफ है ।

रही असेम्बली के हिन्दू-सदस्यों के विरोध की बात, सो उनके सम्बन्ध में वैयक्तिक रूप से कुछ लिखना शिष्टता और उससे भी बढ़कर कानून की दृष्टि से शायद ठीक न होगा। यदि हम तलाक-विरोधी इन हिन्दू-सदस्यों में से एक-एक का अन्तर टटोले, उसके वैयक्तिक जीवन की छान-बीन करे, तो हम उसे दो में से एक श्रेणी का पायेंगे। या तो वह ऊपर बताई हुई धर्मान्ध और दकियानूसी (orthodox) श्रेणी का होगा, जो धर्म और समाज के नाम पर तलाक के प्रस्ताव का विरोध करना अपना धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और शायद पैतृक अधिकार समझता होगा, या फिर वह उस अवसर-सेवी श्रेणी का होगा, जिसे यह डर होगा कि तलाक का समर्थन करने पर भावी चुनाव में कोई 'पक्का हिन्दू' वोट न देगा। पहली श्रेणी के सदस्य अगर घृणा, क्षोभ या दया के पात्र हैं, तो दूसरी श्रेणी के सर्वथा समाज और देश के साथ द्रोह एवं विश्वासघात करनेवाले होने के नाते और भी उपेक्षा और घृणा के पात्र हैं। जिस देश और समाज के भाग्य का निर्णय करनेवाले ऐसे लोग हों, उसका ईश्वर ही मालिक है।

तलाक का अधिकार क्यों न हो ?

असेम्बली के इन अदूरदर्शी और सङ्कीर्ण-चुद्धि हिन्दू-सदस्यों से हम उन्हीं के साथ बैठनेवाले एक समझदार मुस्लिम-सदस्य श्री० अजहरअली के इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि जो सुविधा या अधिकार दुनिया के सभी देशों और जातियों की स्त्रियों को प्राप्त हैं, वे एकमात्र हिन्दू-स्त्रियों को ही क्यों हासिल न हों ? अगर दूसरे मुल्कों की स्त्रियों ने तलाक का अधिकार प्राप्त कर धर्म और समाज को रसातल नहीं पहुँचाया है, तो सदियों पहले मरे और निर्जीव हुए हिन्दू-धर्म तथा समाज को उससे क्या खतरा हो सकता है ? जो लोग तलाक-प्रथा के जारी होने से धर्म के नष्ट होने की आशङ्का करते हैं, समाज और घर की शान्ति नष्ट होने की कल्पना करते हैं, वे सच पूछा जाय तो परोक्ष रूप से यह सिद्ध करते हैं कि हमारे यहाँ अधर्म बढ़

रहा है और घर तथा समाज की अशान्ति अपनी चरम-सीमा को पहुँच चुकी है। अगर उनका धर्म साबुन के पानी के गोले से ज्यादा मजबूत और जानदार नहीं है, अगर उनके घर और समाज की शान्ति जुए के अड्डे की रौनक से ज्यादा स्थायी नहीं है और उनकी अक्ल की गाड़ी में हापड के पापडों से अधिक मजबूत पहिये नहीं लगे हैं, तब तो धर्म, समाज और देश का भला इसी में है कि वे कल नष्ट होते हो तो आज ही हो जायँ। उनकी रक्षा के लिए शेखचिल्ली के वश-वृक्ष को अधिक फैलाने की जरूरत अब नहीं रही। अस्तु—

दुनिया के जितने भी सभ्य, स्वतन्त्र और समृद्ध देश हैं, उन सब में स्त्रियों को तलाक का अधिकार प्राप्त है। किसी-न-किसी रूप में धर्म वहाँ भी आखिर है ही। घर और समाज की शान्ति भी वहाँ थोड़ी-बहुत है ही। वहाँ के लोगो को भी इनकी वैसी ही जरूरत है, जैसी कि भारत-वासियो (या कह लीजिए हिन्दुओ) को है। फिर क्या कारण है कि वे आचार-विचार, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा सत्ता-समृद्धि में हमसे कहीं बड़े-बड़े हैं? न उन देशों के सब पुरुष मजनु या तपस्वी हैं और न सब स्त्रियाँ वेश्याएँ या भिक्षुणियाँ ही। धर्म कहीं जानेवाली दुर्बुद्धि, बौडमपन, अकर्मण्यता, दुराचार और अमानुषिकता के अलावा वे इनसे किस बात में कम हैं? अपने-आपको ससार का आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक पुरुषा कह कर भी हम आज ससार के सबसे निम्न, निकृष्ट और पुराने गुलाम हैं, और वे जो कुछ हैं, हम देख ही रहे हैं। फिर समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन-सी बात है, कौन-सा कारण है, जिसके आधार पर सिर्फ हिन्दू-स्त्रियो को ही तलाक की सुविधा या अधिकार से वञ्चित रखा जाय? हमारी समझ में तो नासमझी, अदूरदर्शिता और स्वार्थान्विता के अलावा कोई ऐसा माकूल कारण, आधार या औचित्य नहीं देख पडता, जिसके सबब से हिन्दू-स्त्रियो के साथ होने वाली इस ज्यादती, अन्याय और अधिकारापहरण को जारी रखा जाय।

तलाक की आवश्यकता क्यों है ?

जो लोग यह कहते हैं कि तलाक तो किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में जायज या जरूरी नहीं होना चाहिए, उनके दिमाग में अगर निरा भुस नहीं भरा है, तो वे जरा इस बात पर गौर करे कि अगर वाकई यह जरूरी और जायज नहीं है, तो इसकी माँग क्यों है ? ससार के $\frac{1}{6}$ भाग में आज इसका प्रचलन क्यों है ? हम माने लेते हैं कि उन्हीं का कहना ठीक है और तलाक देना विल्कुल अनावश्यक और अधर्म है। लेकिन इसे कानूनन नाजायज करार देने के लिए उन्हें यह गारण्टी करनी होगी कि कहीं भी कोई विवाह दुःख, अशान्ति और असन्तोष का कारण न होगा। अगर यह हो सकना सम्भव है, तो फिर तलाक की जरूरत ही कहाँ रह जाती है ? सुख, शान्ति और सन्तोष को लात मार कर कौन स्त्री या पुरुष तलाक की इच्छा करेगा ? पर यह बात न सम्भव है और न कभी हो ही सकती है। सचाई तो यह है कि आज बहुत बड़ी सत्त्या में विवाह दुःख, अशान्ति और असन्तोष का कारण हो रहे हैं। इसीलिए समझदार लोगो ने विफल-विवाहो की प्रतिक्रिया को विशेष घातक और व्यापक रूप धारण न करने देने के विचार से तलाक की औषधि निकाली है। अगर रोग नहीं है, तो अलवत्ता औषधि की कोई जरूरत नहीं। पर अगर रोग है, तो औषधि को अस्वीकार करना मौत को बुलाने और जिन्दा रहने से इन्कार करने के सिवा और क्या है ? अत धर्म और समाज का पल्ला पकड कर चिल्लाने से पहले हमें ठण्डे दिमाग से यह सोचने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दरअसल तलाक की आवश्यकता है या नहीं ? अगर सचाई और ईमानदारी से हम यह महसूस करे कि गलती से होनेवाले या वाद में विफल सिद्ध होनेवाले विवाहो की प्रतिक्रिया को एक सामाजिक खतरा बनने से रोकना जरूरी है और ऐसा करने के लिए विवाह करने-वालो का पृथक् हो जाना भी बुरा नहीं है, तो हमें इसकी आवश्यकता को स्वीकार करने में झिझकना, शर्माना या डरना नहीं चाहिए, भले

ही फिर उसका नाम 'तलाक' हो या 'विवाह-विच्छेद' या और कुछ। लेकिन एक चीज़ की जरूरत का कायल होते हुए भी उसकी सज्ञा-विशेष से बिदकना सरासर मूर्खता है।

विवाह सहयोग और सद्भावना का एक सम्बन्ध या सौदा है। दूसरे शब्दों में उसे हम दो विपरीत सेक्स के लोगों का घनिष्ठतम मैत्री सम्बन्ध कह सकते हैं, जिसमें आपस के भेदों और पृथक्ता के लिए कोई गुञ्जाइश नहीं रह जाती। इसमें जितने आत्म-त्याग की भावना या मात्रा है, उतनी ही आत्म-तोप और प्राप्ति की भी। अपना सर्वस्व दूसरे को दे दो, पर उससे कुछ भी पाने की आशा न करो, क्योंकि यह 'स्वार्थ' है—इस तरह की बात एक खासा लुभावना और मन को भला लगनेवाला आदर्श जरूर हो सकती है, व्यावहारिकता कदापि नहीं। मनुष्य मनुष्य है और रहेगा, देवता नहीं। स्वार्थ उसका स्वभाव है। इसी पर उसके जीवन और महत्वाकांक्षाओं का सारा दारोमदार है। मैत्री में अगर स्वार्थ की भावना हो सकती है, तो वैवाहिक मैत्री में अधिक से अधिक स्वार्थ की भावना है और होनी भी चाहिए। बिना इसके मानव का विकास सम्भव नहीं। पर यह स्वार्थ एकाङ्गी कदापि नहीं है। मानव सदा कुछ देकर ही उसके बदले में पाने की इच्छा करता है। उस तरह का आदान-प्रदान सृष्टि के क्रम-विकास के लिए सर्वथा आवश्यक है। विवाह को धार्मिक या आत्मिक बन्धन मानना इस मैत्री सम्बन्ध को अनावश्यक, अनुचित और बाधक प्रतिबन्धों से जकड़ देना है। धर्म और आत्मा की दुहाई दिये बिना भी तो विवाह की उच्चता और पवित्रता को अक्षुण्ण रक्खा जा सकता है।

अगर हम यह मान कर चलते हैं कि विवाह विपरीत सेक्स के दो व्यक्तियों का एक सज्जनता का समझौता या सद्भावना और सहयोग का सम्बन्ध है, तो हमें इसके तोड़ने और फिर बनाने में कोई खास मानसिक परेशानी न होगी। अगर साधारण मैत्री-सम्बन्ध पचासों बार टूट और बन सकते हैं, तो एक-दो बार जीवन के इस घनिष्ठतम मैत्री-सम्बन्ध के

टूटने और फिर बनने से क्या गजब हो जायगा ? पर इससे हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जिस प्रकार मैत्री-सम्बन्ध रोज बनते और टूटते हैं, वैसे ही विवाह-सम्बन्ध भी नित्य बन और टूट सकते हैं। फिर मैत्री-सम्बन्ध तो हफ्ते में ५-१० बन और टूट सकते हैं, पर विवाह-सम्बन्ध न इस प्रकार बनाये ही जा सकते हैं और न तोड़े ही जा सकते हैं। इन दोनों सम्बन्धों को हम एक ही क्षितिज पर नहीं रख रहे हैं, किन्तु हम यह बतलाना चाहते हैं कि है दोनों मैत्री-सम्बन्ध ही। एक साधारण है और बिना किसी खास विचार के बन या टूट जाता है, और दूसरा काफी सोच-समझ कर, कई विशिष्ट बातों को ध्यान में रखकर बनता है। अक्सर हम देखते हैं कि विचार या स्वभाव न मिलने के कारण बहुत बार मैत्री-सम्बन्ध टूट जाते हैं या पहले जैसे आत्मीयतापूर्ण नहीं रहते। अगर यही बात न्यूनाश में विवाह-सम्बन्ध में भी हो, तो इसमें चौकने की क्या बात है ? विवाह के बाद यदि यह मालूम हो कि पति-पत्नी एक-दूसरे को न तो अधिक-से-अधिक दे सकते हैं और न एक-दूसरे से अधिक-से-अधिक प्राप्त कर सकते हैं, या दोनों साथ रह कर पूर्णतया सुखी और सन्तुष्ट नहीं हैं, तो इसमें क्या बुराई है कि वे एक-दूसरे से पृथक् हो जायँ और चाहे तो बिना साथी के रहे और चाहे तो दुबारा कोई ऐसा साथी चुन ले, जो पहले साथी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त हो।

यदि निष्पक्षता, नीति और न्याय की दृष्टि से देखा जाय, तो दुनिया में सबसे अधिक तलाक की आवश्यकता हिन्दू-स्त्रियो को ही है, क्योंकि विवाह उनके ६५ फीसदी अपनी इच्छा से नहीं होते, माता-पिता या अभिभावक उन्हें अपनी छाती का बोझ हल्का करने के लिए किसी भी पुरुष कहे जानेवाले जीव के गले बाँध देते हैं और वे शील तथा सङ्कोचवश कुछ भी नहीं कह पाती। इस तरह के विवाह करके तलाक का न रखना ठीक वैसा ही है जैसा खूब मार कर रोने न देना। इसे पुरुष की बर्बरता और अमानुषिकता का सबसे निकृष्ट और हृदयहीन कृत्य न

नये युग की नारी

और क्या कहा जाय ? जरा वारीकी से देखा जाय तो इस ड में हम पुरुष की कुत्सा और नैतिक पतन का ही आभास पायेंगे । हमें तो आश्चर्य है कि आज सभ्यता के इस युग में भी इस तरह की अमानुषिक ज्यादती को कायम रखने के लिए तलाक का विरोध करने-वाले लोग पर्याप्त सख्या में मौजूद हैं ।

हिन्दू-स्त्रियाँ क्या करें ?

पुरुष तलाक के क्यो विरोधी हैं, यह सदियों से हुए उनके नैतिक पतन और विकृत मनोवृत्ति के कारण आसानी से समझ में आ सकता है । पर आश्चर्य और हैरत हमें उस समय होती है जब हम 'देवी' शब्द से पुकारी जानेवाली हिन्दू-समाज की पीडित और गुलाम स्त्रियों को भी नैतिक और धार्मिक आधार (?) पर इसका विरोध करते देखते हैं । उनका यह विरोध ठीक वैसा ही है जैसा जेल के उस पुराने कैदी का आजीवन वही रहने का आग्रह, जो बाहर की स्वतन्त्रता की अपेक्षा जेल की 'सुविधाओं' को अधिक समझने लगता है और बाहर जाने से इन्कार कर देता है । उसमें यह समझ ही नहीं रह जाती कि जेल-जीवन के मुकाबिले में बाहर के जीवन का ठीक-ठीक मूल्य आँक सके । जब कुछ ही वर्षों की गुलामी आदमी की विवेक-बुद्धि खो देती है, तो सदियों की गुलामी, अनाचार और कूपमण्डूकता यदि भारतीय स्त्रियों को तलाक का विरोधी बना दे, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ?

पर हमें यह न भूल जाना चाहिए कि इस तरह की धर्म-भीरु स्त्रियों की सख्या काफी है, यद्यपि उनका प्रभाव काफी नहीं है और न वे काफी शिक्षित ही हैं । हिन्दू-समाज में आज काफी स्त्रियाँ सुशिक्षित हैं । उन्हीं की राय को हमें मूल्यवान समझना चाहिए और दरअसल हिन्दू-स्त्रियों के हित के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार भी उन्हीं को है । उनकी ओर से उनके लिए एक पुरुष तलाक का अधिकार

माँगे और कुछ पुरुष उसे देने से इन्कार कर दे, यह तो एक खिलवाड़-सा लगता है। हमारी समझ में तो तलाक स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आज भारतीय स्त्रियाँ उससे वञ्चित हैं, तो उन्हें स्वयं अपने पाँवों पर खड़े होना और उसे प्राप्त करना चाहिए। अपनी आज्ञादी, सुख और सुविधा का अधिकार पुरुष से माँगने का मतलब तो यह है कि वे अपने-आपको पुरुष के अधीन और उसमें कम योग्य समझती हैं। जब पुरुष और उनमें पूर्ण समानता का सम्बन्ध है, क्यों न वे स्वयं अपने इस अपहृत अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करें? वैसे तो तलाक का अधिकार उन्हें जन्म से ही प्राप्त है, पर चूँकि पुरुष ने हिन्दू-कानून, धर्म-शास्त्र और न जाने किन-किन ऊल-जलूल मन-गढन्त नियम-कानूनों का अड़झा खड़ा कर दिया है, उनके लिए इसे दूर करना निहायत जरूरी है। अच्छा हो यदि अखिल-भारतीय महिला-कॉन्फ्रेंस इस काम को अपने हाथ में ले और हिन्दू-स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिलवाने के लिए देशव्यापी आन्दोलन करे)

लेकिन विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त करने से पहले तो हिन्दू-स्त्रियों को अभी विवाह करने का ही अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इस समय सही मानो में उन्हें अपने विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। वे किसे अपने जीवन का साथी चुनें, इसका निर्णय उनके माँ-बाप या अभिभावक करते हैं और वे दान की हुई गाय की भाँति जिस पुरुष को सौंपी जाती हैं, उसीके पीछे चल देती हैं—फिर वह उन्हें चाहे पत्नी समझ कर रखे, चाहे गुड़िया समझ कर खेले, चाहे वेश्या समझ कर अपनी काम-पिपासा शान्त करे या बच्चे पैदा करने की मञ्जिन समझे। इस तरह जवर्दस्ती बनाये गये अपने अपरिचित पति के कब्जे से वे भाग न निकले, इसके लिए न्याय और नीति का आदर्श हिन्दू-कानून है, जिसमें तलाक नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके अनुसार पारस्परिक सहमति से अपवाद-स्वरूप विवाह टूट सकता है, लेकिन स्त्री को दूसरा विवाह करने का

मुतलक अधिकार नहीं है। उसके दिमाग मे कभी विवाह-विच्छेद या पुनर्विवाह (यहाँ हमारा मतलब है पहले पति के जीवित होते हुए दूसरे विवाह करने से) का विचार ही उत्पन्न न हो, इसके लिए मनु और तुलसी दास-जैसे नीतिज्ञ और महात्मा भी खूब-किस्मती से हमारे यहाँ हो गये हैं, जिन्होंने अपने भारी-भरकम दिमाग का खासा बोझ हिन्दू-नारी के लिए विधान तैयार कर हल्का किया है। इन महापुरुषो ने नारी के चिर कल्याण के लिए उसे यह पुनीत आशीर्वाद दिया है कि पति चाहे काना कुबडा, अन्धा, बहरा, लूला, लँगड़ा, या कोढी तक भी क्यों न हो, लेकिन नारी का 'धर्म' उसे पति-परमेश्वर मान कर अहर्निशि उसकी 'पूजा' करना ही है। इस तरह की खुराफात का अधिक जिक्र हम नहीं करना चाहते। हमारा एकमात्र अभिप्राय तो बदकिस्मती से 'हिन्दू' कहे जानेवाले पतितो और पाखण्डियो के घरों मे जन्म लेनेवाली बहनो का ध्यान इस अनीति और अन्याय की ओर आकृष्ट करना है। वे पहले विवाह करने का अधिकार प्राप्त करे। यह काम उन्हें स्वयं करना होगा। कोई भी सभा-सस्था उन्हें यह अधिकार नहीं दिला सकती। थोडी-सी दृढता और स्पष्ट-वादिता से सहज ही मे वे इच्छानुकूल व्यक्ति से अपना विवाह करने का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद उन्हें विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन करना चाहिए। जहाँ तक हमारा विश्वास है, ऐच्छिक विवाहो से आज-कल के विवाहो से पैदा होने-वाले दु ख, अशान्ति और असन्तोष बहुत कुछ स्वयं दूर हो जायँगे। पर जहाँ ऐसा न हो, वहाँ तलाक का अधिकार होना अनिवार्य है।

एक बात और है, जिससे हमे खास तौर से अपनी बहनो को आगाह कर देना है। तलाक के विरोधियो मे काफी बडी सख्या ऐसे लोगो की है, जो पश्चिमी देशो के कुछ अपवादो को लेकर यह दलील देते हैं कि वहाँ तलाक से क्या-क्या अनर्थ हो रहे हैं ! किसी अभिनेत्री या पुरचली स्त्री की दर्जनों 'पतियो' की मिसाल देकर वे यह बतलाते हैं कि तलाक का अधिकार मिलने

पर स्त्रियाँ उसका किस प्रकार दुरुपयोग करेगी ! प्रथम तो अपवादो को आम रिवाज नहीं माना जा सकता । फिर इस प्रकार का थोडा-बहुत दुरुपयोग तो दुनिया में हर नियम और अधिकार का होता है । इस डर से नियम-कानून सर्वथा स्थगित तो नहीं किये जा सकते और न उनके दुरुपयोग को ही एकदम रोका जा सकता है, जब तक कि उनका प्रयोग करनेवालो के दिल में ईमानदारी की भावना न हो । हर समस्या के दो पहलू होते हैं, यह हमें भूल न जाना चाहिए । प्रत्येक अच्छाई के साथ थोडी-बहुत बुराई भी रहती है । पर इसका मतलब यह नहीं कि थोडी-सी बुराई के डर से बडी-से-बडी अच्छाई से भी लाभ न उठाया जाय । अब हिन्दू-स्त्रियो में शिक्षा का काफी प्रसार हो रहा है । ऐसी हालत में उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, इसका निर्णय हमें उन्ही की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए । यदि विवाह के नाम पर उनके साथ होनेवाली ज्यादती और अन्याय को वे रोक सकी, तो धर्म की बात तो हम नहीं कह सकते, पर हमारा घर, समाज और देश अधिक सुखी और सन्तुष्ट हो जायगा, यह सुनिश्चित है । स्त्री यदि स्वतन्त्र, सुखी और सन्तुष्ट है, तो पुरुष का भी भला है, वर्ना दुराचार और सामाजिक कोढ़ का बोल-वाला जैसा आज है, वह घटने की अपेक्षा बढ़ेगा ही ।)

पूर्ण तरीको से अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाता है, तो पराजय स्वीकार करने के बदले या उससे पहले वह अपने पुराने 'जङ्गल के नियम' या 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाले उपाय का ही प्रयोग करता है ।

आधुनिक सभ्यता की बहुत-सी मञ्जिल उसने बुद्धि के साथ-साथ पशु-बल के सहारे तय की है । विज्ञान के मौजूदा युग ने एक तरह से उसकी पाशविकता पर बुद्धि की विजय लगभग घोषित ही कर दी थी, पर अनायास हमने देखा कि बुद्धि भी उसकी वज्र-मुष्टि में तिलमिला रही है और उसकी पाशविकता को चरम-सीमा से आगे बढ़ने में योग दे रही है । पहले वह हाथ-पाँव से लड़ कर अपने प्रतिद्वन्दी को हराता था । फिर बुद्धि की सहायता से उसने तीर, तलवार और तोप बनाई । और आज राइफल, मशीनगन, बम, बम-वर्षक यान, टैंक, जहरीली गैस, मृत्यु फैलानेवाले कीटाणु, जङ्गी-जहाज, टारपीडो, पनडुब्बियाँ, यू-बोट और न मालूम किन-किन वैज्ञानिक साधनों से वह अपनी पाशविकता को सजाये और अधिकाधिक भयङ्कर बनाये हुए है ।

पहले पेट भरने के लिए आदमी को लडना पड़ता था । इसे हम आजकल के मानो में एकदम 'लडाई' नहीं कहेंगे । आज तो इसे जीविकोपार्जन के लिए हाथ-पाँव मारना कहना ही ठीक होगा । अब लोग जीविकोपार्जन के लिए नौकरी या व्यापारादि करते हैं, तब शिकार और छीना-भपटी होती थी । पर जब 'मानव' नामधारी पशु के पेट की ज्वाला शान्त हो गई, तो इस नर-पिशाच ने अपनी भुजाओं की सुस्ती दूर करने तथा अपनी वढी हुई दुर्दम महत्वाकाक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने 'पडोसी' को ललकारा और उसे अपनी रण-पिपासा शान्त करने और विजय का लाभ लूटने के लिए 'शत्रु' बनाया । एक को विजित करने के बाद दूसरे को और फिर तीसरे को उसने ललकारा । इस प्रकार कुछ ही समय में उसके समर्थको और विरोधियों के पृथक्-पृथक् दल बन गये । अपने से कम बलवाले कुछ लोगो को अधीन कर वह राजा बन बैठा । फिर कुछ दुर्बल

राजाओ को हरा कर वह उनका महाराजा बन गया। फिर महाराजाओ के राजमुकुट और सिंहासनो को धूल में मिला कर वह चक्रवर्ती सम्राट् बना। फिर भी अपनी महत्वाकाक्षाओ को पूरा न करने की लज्जा और ग्लानि से आहत हो वह मिट्टी में नाक रगड़ कर मर गया, और अपना दुरा उदाहरण तथा कुख्याति छोड़ गया अपने उत्तराधिकारी के मार्ग-प्रदर्शन के लिए। उसकी पाशविकता-जन्य क्रूरता के इस विलास को 'दिग्विजय' सजा मिली और उसके नर-संहार को 'महानता' का अभिवादन। चन्द्रगुप्त और विक्रमादित्य, सिकन्दर और नेपोलियन तथा हिटलर और मुसोलिनी कोई अपवाद नहीं, इसी पाशविकता या बुद्ध्युन्माद के मूर्तरूप-भर हैं। इस क्रूर पाशविकता पर पर्दा डालने के लिए पहले अश्वमेध-यज्ञो का सहारा लिया गया और आज बढी हुई आवादी के लिए स्थान प्राप्त करने का बहाना बनाया जा रहा है। पर है यह पाशविकता के विलास और तज्जनित दुराकाक्षाओ की पूर्ति का गर्हित रूप ही।

स्त्रियाँ पीछे रह गई ?

पुरुष तो इस प्रकार विजय पर विजय प्राप्त करता गया, अपने बन्धु-परिजनो को धराशायी कर उनकी लाशो को रौदता हुआ अपनी विजय-यात्रा में आगे बढ़ता गया, अपने यश और बल के आतङ्क से आकाश-पाताल और दशो दिशाओ को कँपाता-गुंजाता गया, पर पीछे छोड़ता गया अपनी विलखती हुई माँ को, आठ-आठ आँसू रोती हुई बहन को और ज़मीन से सिर पीटती हुई व्याकुल पत्नी को। अपने विजयोन्माद में वह इतना अन्धा हो रहा था कि उसे पीछे मुड़ कर देखने की फुर्सत ही कहाँ थी ? स्त्री को उसने अग्नि को साक्षी देकर अपनी अर्द्धाङ्गिनी, जीवन-सङ्गिनी, सहचरी, सहधर्मिणी और न-मालूम क्या-क्या बनाया था। फिर अपनी इस विजय-यात्रा में वह उसे साथ रखना कैसे भूल गया ? स्त्री स्वयं उसके साथ नहीं गई या वह स्वयं उसे नहीं ले गया ?

इसका उत्तर अफलातून, सुकरात, रूसो, ईसा मसीह और मनु महाराज देते हैं। स्त्री की सारी स्वाधीनता और आत्म-निर्णय की भावना अथवा अधिकार को अपनी एडी से रगड़ कर उसने धूल में मिला दिया, लेकिन स्त्री को 'गृह की लक्ष्मी' बना दिया। स्त्री का यह लक्ष्मीपन वैसा ही था जैसा कि किसी को जेल की कोठरी में बन्द कर यह कहना कि तुम इस कोठरी के चक्रवर्ती सम्राट् हो और हम बाहर घूमने-फिरनेवाले तुम्हारे चाकर। अपनी शरीर-रचना और मानसिक स्थिति के कारण स्त्री बलात् से अपने ऊपर लादे गये इस दायित्व और अधिकार की विडम्बना को ठुकरा नहीं सकती। यदि वह पाशविक बल के विलास में पुरुष के साथ रही होती, तो शायद आज वह भी वैसी ही क्रूर और वलिष्ट होती और उसकी हीनता तथा गुलामी का इतिहास किसी और ही रूप में होता। पर पुरुष उसे अपने साथ ले कैसे जाता? वह जानता था कि जो स्त्री रङ्ग-महल में उसके हृदय की रानी है, अपने सुख और विलास के लिए जिसे वह सिर पर बिठाता और पूजता है, वह नर-संहार में उसकी कदापि सहायक न होगी। युद्ध में वह उसकी सहचरी या सहधर्मिणी न होकर पाँव की बेडी बन जायगी। स्त्री की आहो और आंसुओं ने कितने पराक्रमियों को रण-विमुख किया है, यह शायद कोई भी इतिहासकार नहीं बता सकता है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्त्रियों में आक्रमण और रक्तपात की क्रूर भावना नहीं रही है। अपवादों की बात हम नहीं कहते, परन्तु आमतौर पर उन्होंने अपने पड़ोसी का खून वहा कर आनन्द का अनुभव कभी नहीं किया। शासन उन्होंने किया है, पर उसमें भी पुरुष की अपेक्षा वे अधिक सक्षम, सहनशील और दयालु सिद्ध हुई हैं। एकछत्र रानी या महारानी बन कर भी उन्होंने विशेष ध्यान अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिया, राज्य-विस्तार और साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं। सिकन्दर, सीजर, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी पुरुष ही क्यों हुए? क्या स्त्रियाँ चाहती, तो वे ऐसी महान् नहीं हो सकती थीं? यह धारणा

सर्वथा मिथ्या है कि हृदय और शरीर की दुर्बलता के कारण स्त्री महान् होने की आकांक्षा ही नहीं कर सकती। अपवाद-स्वरूप, कुसस्कारो के कारण कई स्त्रियो ने भी ऐसा किया है, विशेषतः यूनान में। पर इसकी प्रतिक्रिया वैसी ही हुई है, जैसी कि कलिङ्ग-विजय के बाद अशोक के मन में हुई थी।

सीजर, सिकन्दर या नेपोलियन की महानता का कारण उनका अपना पराक्रम कदापि नहीं था, या सर्वांश में नहीं था। उसका प्रधान कारण तो था उसकी सैन्यशक्ति, जिसकी मदद से कोई भी स्त्री या पुरुष उन्हीं की तरह महान् हो सकता था। हाँ, इस शक्ति के पीछे दिल और हौसला जरूर बढ़ा था और वह था उन महत्वाकांक्षी वीरो का। वह एक स्त्री का भी हो सकता था। लेकिन एक स्त्री—स्त्री रहते हुए, नारी का हृदय रखते हुए—अपने मन में ऐसी महत्वाकांक्षा को कैसे पाल सकती थी, जिसकी पूर्ति इतने बड़े नर-शोणित के तर्पण से होनी थी? उसने माँ का हृदय पाया है। नौ मास तक अपने गर्भ में उसने जिसे रक्खा है, उसका खून बहाने की कल्पना ही उसके लिए मौत का पैगाम है। वह कल्याणी है। दया, प्रेम और सौंदर्य की वह देवी है, खून-खराबे से उसे वास्ता ही क्या? वह न केवल खुद लड़ाई से बचती रही है, बल्कि पुरुष को भी बचाने का प्रयत्न करती रही है। यह दूसरी बात है कि उसे इसमें आशातीत सफलता नहीं मिली।

स्त्रियाँ लड़ी है, लेकिन—

प्रस्तुत लेख का प्रारम्भ हमने हेरोडॉटस के उस उद्धरण से किया है, जिसमें स्त्रियो का लडना सिद्ध है। ऐसा ही उल्लेख हमें अपने भारतीय इतिहास में भी मिलता है। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि स्त्री न सिर्फ खुद लड़ाई से बचती रही है और पुरुष को भी बचाने का प्रयत्न करती रही है? पाठको को यह बात खटक सकती है।

पर, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि लड़ाई-लड़ाई में आकाश-पाताल का अन्तर है। लड़ाई-मात्र के स्त्रियाँ विरुद्ध रही हैं, ऐसा हम नहीं कहते। ऊपर हमने स्त्रियों को जिस प्रकार की लड़ाइयों के विरुद्ध बताया है, वे दूसरों को हरा कर अपने अधीन करने और अपना राज्य-विस्तार करने के लिए होनेवाली लड़ाइयाँ हैं। इस प्रकार की लड़ाइयाँ 'आक्रमणात्मक' (Aggressive) कहलाती हैं। ऐसी लड़ाइयाँ मानवता का कलङ्क और पाशविकता का प्रतीक मानी गई हैं। दूसरी तरह की लड़ाइयाँ हैं आक्रमणकारी से मुकाबिला करने और अपनी रक्षा करने की। इन्हें 'आत्म-रक्षात्मक' (Defensive) कहा जाता है। आत्म-रक्षा करना मनुष्य का आवश्यक धर्म, कर्तव्य एवं अधिकार है। इसके लिए हत्या तक को अपराध नहीं माना गया है। अपने राज्य-विस्तार और दूसरों की स्वतन्त्रता एवं अधिकारों के अपहरण के लिए होनेवाली चढाई और अपने अस्तित्व एवं अधिकारों की रक्षा के लिए शत्रु से लोहा लेने के कर्तव्य-पालन में क्या अन्तर है, यह कदाचित् पाठक भली-भाँति जानते हैं। एक में जितना अनौचित्य है, दूसरे में उतना ही औचित्य है।

जिन लड़ाइयों में स्त्रियों ने भाग लिया है, वे प्रधानत आक्रमणात्मक न होकर आत्म-रक्षात्मक थी। भारतीय इतिहास में ऐसे युद्धों को 'धर्म-युद्ध' सजा दी गई है, क्योंकि वे आत्म-रक्षा के मानवोचित एवं आवश्यक कर्तव्य का पालन करने के लिए हुए हैं। नेपोलियन, सीजर या सिकन्दर की तरह स्त्रियों ने केवल राज्य-विस्तार के लिए कभी हमले, चढाइयाँ या लड़ाइयाँ नहीं की। जिस जमाने में स्त्रियों के लड़ने का उल्लेख हेरोडॉटस ने किया है, यूनान के इतिहास में वह गृह-युद्धों का जमाना था। पृथक्-पृथक् नगरों के पृथक्-पृथक् राज्य थे और उनमें से जो बलवान होता था, वह अपने पड़ोसी-राज्य पर हमला कर वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता था। स्पार्टा के युद्ध इसी तरह के थे और उनमें स्त्रियों ने अपने देश (जो उस

समय नगर-राज्यो मे बँटा था) की रक्षा के लिए भाग लिया। आक्रमणो को लेकर हुई लडाइयो मे स्त्रियो का सहयोग रहा हो, ऐसा नही जान पडता। सिकन्दर या नेपोलियन की आक्रमणकारी सेना मे स्त्रियो का उल्लेख कही नही है। यही बात भारतीय युद्धो मे भाग लेनेवाली स्त्रियो के सबध मे भी लागू है। महारानी कँकेयी का सहयोग किसी आक्रमणात्मक युद्ध मे नही, बल्कि राक्षसो के विरुद्ध होनेवाले 'धर्मयुद्ध' मे था। चाँदबीबी, अहल्याबाई, लक्ष्मीबाई आदि भी आत्म-रक्षा के लिए ही लडी थी। बढ़ते हुए अधर्म, अन्याय और अत्याचारो के विरुद्ध जो धर्म-युद्ध हुए है, उनमे स्त्रियो ने अपने प्राणो को जोखिम मे डाल कर भी पुरुषो की सहायता और उत्साह-वृद्धि की है। जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह के युद्ध से विमुख होने पर उनकी महारानी द्वारा किले का दरवाजा न खुलवाना और चूडावत सरदार को अपने मोह-पाश से मुक्त करने के लिए हाडी रानी का आत्म-बलिदान करना क्या अद्वितीय आदर्श नही है? पर हमारे ही यहाँ या विदेशो मे कितनी स्त्रियो ने निरीहो और दुर्बलो पर आक्रमण करने और उन्हे गुलाम बनाने के लिए पुरुषो को उकसाया या ऐसा करने के लिए अपने प्राण दिये है?

जहाँ धर्म-युद्ध मे स्त्रियो ने अपने पतियो, पुत्रो और भाइयो को आदर, प्रेम और उत्साह से भेजा है, वहाँ उन्होने युद्धो को रोकने मे भी कोई कोर-कसर नही रक्खी है। युद्ध तो आखिर युद्ध है, फिर चाहे वह आक्रमणात्मक हो या आत्म-रक्षात्मक। नर-बलि दोनो ही मे दी जाती है। बडे पैमाने पर होनेवाले इस रक्तपात को रोकने के लिए स्त्रियो ने बडे-से-बडे अपमान को भी धैर्य और साहस के साथ पी लिया है। अपमान और जिल्लत को सहकर भी वे इस बात का भरसक यत्न करने मे लगी रही है कि नर-संहार किसी तरह रुक जाय। सीता अपने अपहरण के अपमान और वदनामी को सहने को तैयार थी, यदि रावण उन्हे सकुशल लौटा देता। वे राम-रावण युद्ध की विभीषिका को अपने कारण और अपनी आँखो से

नहीं देखना चाहती थी। रावण की रानियो ने भी उसे राम को युद्ध के लिए मजबूर न करने के लिए बहुत समझाया-बुझाया। उसकी नासमझी से युद्ध भले ही न टल सका हो, पर स्त्रियो की ओर से उसे टालने के लिए कौन सा प्रयत्न उठा रक्खा गया? इसीसे मिलता-जुलता किन्तु काफी बड़ा अपमान पद्मिनी का है, जो राजपूत-इतिहास का बहुत बड़ा कलङ्क समझा जाता है। पद्मिनी को जब मालूम हुआ कि केवल दर्पण में उसकी प्रतिच्छाया को देख कर ही अलाउद्दीन खिलजी सम्भावित युद्ध से पीछे हटने को तैयार है, किन्तु महाराणा रत्नसिंह अपने कुल की प्रतिष्ठा के खयाल से ऐसा करने को तैयार नहीं है, तो उसने महाराणा को अपनी अनुनय-विनय से इस अपमान को सहने के लिए भी राजी कर लिया। जिनका हृदय स्वच्छ और दिमाग सुलभा हुआ है, वे शायद हमारे इस कथन से सहमत होंगे कि महाराणा या उनके कुल से बढ़ कर यह पद्मिनी का अपमान था। कौन सती-साध्वी एक कुचक्री लम्पट की दुराकाक्षा पूरी करने के लिए अपने रूप-यौवन का इस तरह अनुचित दबाव में आकर प्रदर्शन करना पसन्द करेगी? पद्मिनी के हृदय की उस समय क्या हालत होगी, कैसे-कैसे भाव उस समय उस आपद-ग्रस्ता पतिव्रता के हृदय में उठ रहे होंगे—यदि कोई इसका पता लगा सके, या अनुमान-भर कर सके, तो उसे मालूम होगा कि 'पसन्द' तो यह सब कुछ पद्मिनी को भी नहीं था, पर युद्ध को टालने के लिए उसने इस निर्लज्ज निर्मम मजबूरी को भी अपनी 'पसन्द' बना लिया। कहा जा सकता है कि लड़ाई तो बाद में भी हुई और पद्मिनी को 'जौहर-व्रत' की शरण भी लेनी पड़ी, फिर पहले ही उसने खिलजी की अपमानपूर्ण माँग को ठुकरा क्यों नहीं दिया? निस्सन्देह वह ऐसा आसानी से कर सकती थी, पर शायद उसने देखा हो कि यदि मेरे थोड़ा-सा अपमान सह लेने-भर से वीर राजपूतों का रक्तपात रुक सके, तो इसमें हर्ज ही क्या है?

फ्रान्स की जोन ऑफ् आर्क भी लड़ी जरूर, लेकिन अपने देश को आक्रमणकारियों के चंगुल से निकालने के लिए। इसी उद्देश्य से पिछले

इटली-अबीसीनिया युद्ध में इथियोपियन स्त्रियो ने भी कम वीरता नहीं दिखाई। रूस की कैथेराइन और आस्ट्रिया की मेरिया थैरेसा भी लडाई के लिए प्रसिद्ध हैं, किन्तु आक्रमणात्मक लडाइयो के लिए नहीं। ब्रिटेन की महारानी मेरी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया ने भी युद्ध को टालने की कम कोशिशें नहीं कीं। एलिजाबेथ के राज्य-काल में तो स्पेनवासियो की तरफ से पग-पग पर अङ्गरेजो को उत्तेजना मिलती रही। अङ्गरेज मल्लाहो का अपमान और छेड़-छाड़ ने अङ्ग-भङ्ग तक का रूप धारण कर लिया। एलिजाबेथ ब्रिटिश जङ्गी-वेडे की धाक और शक्ति से अपरिचित नहीं थी, पर उसने भरसक यही प्रयत्न किया कि स्पेनवासियो से युद्ध न हो। अगर वह युद्ध का एलान कर देती, तो युद्ध किसी भी प्रकार अनुचित या आक्रमणात्मक नहीं होता। औचित्य पूर्णरूपेण उसके साथ था। पर वह नहीं चाहती थी कि उसे कायर कहनेवाले उच्छृङ्खल मल्लाहो को युद्ध का विगुल फूँकने का आदेश देकर वह अपने लाखों देश-वासियो को समरानल में भोक दे। उस समय एलिजाबेथ की जगह यदि कोई पुरुष होता, तो कम-से-कम आधे दर्जन युद्ध जरूर हुए होते।

आज की स्त्रियाँ क्या करें ?

ऊपर की पक्तियों में हमने बड़े संक्षिप्त और चलते हुए ढग से युद्ध के प्रति स्त्रियो के व्यापक दृष्टिकोण का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की है। स्थानाभाव के कारण जान-बूझ कर हमने विस्तार से बचने की कोशिश की है। ऐसी दशा में बहुत-सी कही जाने योग्य बातों का छूट जाना स्वाभाविक है। फिर भी पाठक इस मोटी-सी बात को तो समझ ही गये होंगे कि स्त्रियाँ स्वभाव से ही युद्ध के विरुद्ध रही हैं और हैं। उनका कार्य निर्माण और पालन-पोषण है, विनाश नहीं। जो माँ है, वह अपनी आँखों के आगे अपने ही नहीं, दूसरे के पुत्र का भी खून होते कैसे देख सकती है ? जो पत्नी है, वह अपने ही पति-जैसे सुन्दर, सुडौल युवक की लाश को, रक्त-कीच

मे लोटते हुए कैसे देख सकती है ? जो बहन है, वह कैसे अपने वीर भाई के मस्तक को धड से अलग होता देख कर चुप रह सकती है ? स्त्री के लिए तो रक्तपात या युद्ध का नाम ही डर और आतङ्क पैदा करने-वाला है ।

सभ्यता के इस युग में हमें युद्ध की तो जरूरत ही नहीं । आज जिस युग-सन्धि पर हम अपने-आपको पा रहे हैं, वहाँ तो शासक और शासित का भेद, ऊँच और नीच अथवा धनी और दीन की विषमता, वर्गों और वर्णों की कृत्रिमता, एकतन्त्र राज्य, स्वेच्छाचारिता, सिंहासन, राजमुकुट, साम्राज्य-शोषण, उत्पीडन, अधिकारापहरण आदि इस तरह अपने-आप मिट रहे हैं जैसे कि सूर्य निकलने पर कुहरा । हमारी आँखों के सामने वर्तमान और निकट भविष्य के गर्भ में एक वर्गविहीन समाज बन रहा है, जो युद्ध और उसके कारणों को अतीत की याद बना कर अपने सभ्य कहे जानेवाले अर्द्धपशु पूर्वजों के कलक के रूप में इतिहास के पृष्ठों में सजा कर भावी सन्तति के मार्ग-प्रदर्शन के लिए रक्खेगा ।

युग-परिवर्तन और नवयुग के निर्माण का यह कार्य आज जिन हाथों से हो रहा है, वे वर्ग, वर्ण या लिङ्ग का भेद नहीं जानते । भेद और विषमता को मिटाने के लिए ही तो वे आगे बढ़े हैं । पर हमारे इस अभाग्य और पिछड़े हुए गुलाम देश में अभी तक भेद और विषमता का ही बोलवाला है । इसीलिए हमने यह लेख विशेषतः स्त्रियों को दृष्टिगत रख कर लिखा है और उन्हें यह बताने की चेष्टा की है कि क्यों उन्होंने चिर-काल से युद्ध का विरोध किया है और क्यों ऐसा करना उनके लिए आवश्यक हुआ ?

आज जब नर-शोणित की प्यासी पाशविकता बज्र की तरह मानवता पर टूट पड़ी है और एक बहुत बड़ा जन-समूह समरानल में अपनी आहुति देकर कराह रहा है, क्या हम स्त्रियों से यह आशा न करे कि वे रणोन्मत्त, पागल, पुरुष-पशु को युद्ध से विमुक्त कर अनुचित और अनावश्यक रक्तपात को रोकेगी ? आज समस्त मानवता मातृ-जाति के आवाहन

की प्रतीक्षा, मे खड़ी है। उसे क्या उत्तर मिलेगा ? क्या यूरोप के पिछले दोनो महासमरो की विभीषिका फिर दोहराई जायगी ?

युद्ध के विरुद्ध ससार-भर की महिलाओ मे कितना जवर्दस्त क्षोभ है, यह अभी हाल ही की कुछ खबरों से स्पष्ट हो जाता है। युद्धकी समाप्ति से कुछ महीने पहले बर्लिन मे महिलाओ की एक सभा हुई थी, जिसमे एक सम्भ्रान्त जर्मन महिला-अधिकारिणी ने युद्ध के समर्थन मे भाषण दिया था। उसने महिलाओ से युद्ध मे सब तरह से योग देने और त्याग करने को कहा था। इससे वहाँ की पीडित-बुभुक्षित स्त्रियो मे इतनी उत्तेजना फैली कि वे उसे मारने को तैयार हो गईं। उनमे और नात्सी-सरकार की एजेण्ट महिलाओ मे खूब मार-पीट हुई और आखिर पुलिस को आकर बीच-बचाव करना पडा। इसी प्रकार की गडबडी जर्मनी के विदेश-मन्त्री की धर्मपत्नी फ्राउ रिवेन्ट्रॉप के भाषण मे भी हुई थी। वहाँ की स्त्रियो ने सक्रिय रूप से युद्ध का जो विरोध किया, उसकी खबरे हिटलर के जीते-जी हम तक पहुँच ही कैसे सकती थी ? पाठक भूले न होंगे कि इटली-अवीसीनिया युद्ध के समय बहुत-सी इटालियन स्त्रियो ने रेल की पटरी पर लेट कर सैनिको को लेकर जानेवाली गाडियो को रोकने का यत्न किया था। अमरीका की महिलाओ ने तो अपने यहाँ युद्ध-विरोधी आन्दोलन बडे जोरो से शुरू किया था और प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट के पास उनके कई मेमो-रियल पहुँचे थे कि अमरीका को वे युद्ध मे कदापि न शामिल करे। आस्ट्रिया, बोहेमिया, मोर्विया, स्लोवाकिया आदि की महिलाओ द्वारा भी युद्ध-विरोधी आन्दोलनो के गुरु किये जाने का थोडा-बहुत विवरण जव-तब मिलता रहा है। फिर भारतीय स्त्रियाँ ही मानवता की रक्षा के इस कार्य और कर्त्तव्य-पालन मे किसी से क्यों पीछे रहे ?

ससार के इतिहास मे ऐसे उदाहरण अनेक हैं, जहाँ स्त्रियो ने राज्य किये हैं, उन्होने युद्ध भी किये हैं, किन्तु केवल आत्म-रक्षात्मक ही, आक्रमणात्मक नहीं। रक्षात्मक युद्ध के लिए स्त्रियो ने त्याग और

कष्ट-सहन में कोई कसर नहीं रखी है। पिछले महायुद्ध में भी फ्रांस और ब्रिटेन के रक्षात्मक युद्ध में सहस्रो स्त्रियों ने सहयोग दिया है—कुछ ने आर्थिक अथवा युद्धोपयोगी सामग्री देकर, कुछ ने युद्ध की तैयारी में सक्रिय सेवा द्वारा और कुछ ने घायलो एव पीड़ितों की सहायता एव सेवा-शुश्रूषा कर। इस बहुमूल्य एव महत्वपूर्ण सहयोग के लिए स्त्रियों की जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है। पर यहाँ हम उनके युद्ध-सहायता-सम्बन्धी कार्यों की आलोचना करने नहीं चले हैं। इसलिए नहीं कि हम उनके रक्षात्मक युद्ध में दिये जानेवाले सहयोग की आलोचना करना आवश्यक नहीं समझते अथवा उनके कार्यों को इतना नगण्य समझते हैं कि वे हमारी आलोचना की पात्र नहीं हैं, बल्कि सचाई यह है कि हम उन लोगों की सूची में शामिल होने को उत्सुक नहीं हैं, जिन्होंने प्रशंसा कर-कर के स्त्रियों की दयाशीलता, उदारता एव युद्ध-सेवाओं का अनुचित विज्ञापन किया है। माना कि रक्षात्मक युद्ध प्राक्रमणात्मक युद्ध को रोकने के लिए ही होना है, पर मानव का रक्तपात हर रक्तपात को रोकने का उपाय भी तो श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में उसमें स्त्रियों का योग-दान उचित और आवश्यक होने पर भी तोभा और सन्तोष, गर्व और गौरव की बात नहीं रह जाती।

जीवशास्त्रियों एव विज्ञानवेत्ताओं ने युद्ध को भले ही एक भौतिक आवश्यकता के रूप में अपरिहार्य माना हो, नीतिज्ञो तथा धर्म-शास्त्रियों ने भी भले ही उसे सत्य और न्याय की स्थापना के लिए एक उचित एव आवश्यक अस्त्र अथवा उपाय माना हो, पर है तो वह पशुता का प्रतीक ही। युद्ध को किसी-न-किसी रूप में आवश्यक मान लेने पर हमारे लिए उसके पक्ष और विपक्ष को नीति और अनिति श्री तराजू से तौलना हास्यस्पद-सा हो जाता है, क्योंकि नीति और औचित्य, सत्य और न्याय की ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा तो है नहीं, जिसे सब कोई एकमत और एक स्वर से ठीक स्वीकार कर ले। युद्ध यदि आवश्यक है, तो उसके पात्र बननेवाले दोनों दलों में से

प्रत्येक के लिए यह कहना भी उतना ही आवश्यक और सुगम हो जाता है कि वह नीति, सत्य, शान्ति या अपने स्वत्वो की रक्षा के लिए लड़ रहा है। वीन वास्तव में ठीक है, इसका कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान के इस युग में युद्ध की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता को स्वीकार करना सहज-बुद्धि का अपमान करना है। हाँ, युद्ध की आवश्यकता उस समय जरूर थी, जब मनुष्य ने अपने व्यवहार-आचरण के लिए नियम-कानून और समाज-व्यवस्था की रूप-रेखा नहीं बनाई थी। उसकी बुद्धि का विकास तब इतना नहीं हुआ था कि वह अपनी कठिनाइयों को हल करने में उसकी कुछ सहायता ले सके। इसके विपरीत जीवन के लिए हिंस्र पशुओं से सङ्घर्ष करते रहने के कारण उसके शरीर का विकास इतना पर्याप्त हो गया था कि वह अपनी प्रत्येक कठिनाई को वादु-बल में ही हल करने लगा। आवश्यकता से अधिक उसके लिए यह 'मजबूरी' थी। ज्यो-ज्यो उसका मानसिक विकास होता गया, वह इस मजबूरी के प्रयोग से धीरे-धीरे हटने-सा लगा, पर अधिक चतुर हो जाने के कारण उसने इसे त्यागने के बजाय एक जरूरत के समय का साधन ममत्त कर अपनी वर्षाणी बना कर रख लिया। आज विज्ञान के इस युग में उनमें इसे और भी भयङ्कर रूप दे दिया है और अपने से दुर्बल एवं साधनहीन लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इसे सहार का एक भयङ्कर अस्त्र बना लिया है। जब बुद्धि-बल से वह अपने प्रतिद्वन्दी से जीत नहीं पाता, तो वह इन भयङ्कर अस्त्र द्वारा अपनी अभीष्ट-सिद्धि करता है।

यद्यपि आज का मनुष्य एकदम पशु से पूर्ण पशु तो नहीं हो पाया है, क्योंकि अब भी उनमें पानचिन्ता कम नहीं है और अक्सर पाकर वह अपने नग्न-रूप में भयङ्क भी उठती है, तथापि यह मान लेने में कोई तानि नहीं कि आज वह पशु बन रहा है और बुद्धिजीवी प्राणी अधिक बन गया है। यह भी मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि

अपनी, पाशविक स्थिति की अपेक्षा आज की मानवीय स्थिति में वह अधिक सुखी, शान्त और समृद्धिशाली हो गया है और उसके आस-पास के वियावान जङ्गल सुघड़ नगरो, सुरम्य खेतो और सुगन्धित उपवनो के रूप में परिणत हो गये हैं। पर साथ ही यह भी हुआ है कि पशुता से मानवता ग्रहण करने के कारण वह अपने साथ एक अनुचित लोभ अथवा मोह भी ले आया है। यह है उसकी मानवीय विकास के सब सुफलो एव सुख-सुविधाओ को स्वयं, अपने परिवार या वर्ग-विशेष ही के भोगने की सङ्कीर्ण लालसा। वह सभी को अपने समान सुखी एव सन्तुष्ट नहीं देखना चाहता। वह चाहता है कि वह औरो से अधिक सुखी रहे, बड़ा रहे, साधन एव शक्ति-सम्पन्न रहे। इस लोभ के कारण उसने अपने-आपको 'वसुधैव कुटुम्बकम्' से अलग कर एक दल या वर्ग की बनावटी सीमाओ में कैद कर लिया है और समूचे ससार की निधियाँ वही लाकर केन्द्रित करना चाहता है। पहले इस लोभ ने सामन्तवाद (Feudalism) का जामा पहना, फिर यह पूँजीवाद को अपना वाहन बना कर साम्राज्यवाद बना और फिर अपने अन्तिम भीषण रूप फाशिस्टवाद अथवा नात्सीवाद के रूप में दिखाई पडा। जब तक मनुष्य इस अनुचित और अनधिकारपूर्ण लोभ का परित्याग नहीं कर देता, युद्ध की 'आवश्यकता' उसे रहेगी ही।

पर आज उन मनुष्यो की सख्या ऐसे लोभी एव परोपजीवी मनुष्यो की अपेक्षा अधिक है, जो मनुष्य-मात्र को अपने समान सुख-सुविधा और अधिकार देने के लिए प्रस्तुत है। ऐसे लोगो के हाथो में सभी देशो में अभी तक शासन-सत्ता एव समाज की व्यवस्था नहीं आ पाई है, इसलिए भले ही वे चुप हो, अथच उन्होंने शक्ति-भर युद्ध की आवश्यकता की मिथ्या धारणा को निर्मूल कर दिया है। क्या हम सब एक-दूसरे के साथ बतौर पडोसी के या एक ही परिवार के सदस्यो के मिल-जुल कर नहीं रह सकते? यदि हम मौका पा कर अपने पडोसी का सब-कुछ हडप लेने और उसके अस्तित्व को मिटा देने की ताक में न रहे, तो ऐसा होना

कुछ भी मुश्किल नहीं ! यह कागजी योजनाओं और सन्धियों-समझौतों से नहीं, पारस्परिक प्रेम, सद्भावना और सहिष्णुता से ही हो सकता है ।

इस दिशा में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों ने अधिक काम किया है । पुरुष की अपेक्षा उनमें पशु-बल अथवा पाशविक वृत्ति कम रही है । इसी-लिए उन्हें अपने विकास और अस्तित्व-रक्षा के लिए बुद्धि पर अधिक अवलम्बित रहना पड़ा है । उनका वीर्यविक विकास भी शायद इसी वजह से उनके पुरुष-सहयोगी की अपेक्षा कुछ जल्दी और व्यापक रूप से हुआ है । चातुर्य में वे आज पुरुष से आगे हैं । यह सर्वथा दूसरी बात है कि शारीरिक, तज्जनित सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पराधीनता के कारण वे समाज की रूप-रेखा को अपने विचारों और प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं बना सकी हैं । उनको सदा पुरुष की अनुवर्तिनी हो कर ही चलना पड़ा है । आज कोरे पशु-बल का जमाना लड़ चुका है और स्त्रियों की पराधीनता के वन्धन यदि एकदम छिन्न-भिन्न नहीं हो गये, तो ढीले अवश्य पड़ गये हैं । ऐसी अवस्था में मनुष्य की पाशविक लालसा और युद्ध के भयङ्कर अस्त्र के प्रयोग के प्रति क्या उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं है ? क्या वे कुछ भी नहीं कर सकती ? इसका उत्तर हमसे अधिक अच्छा स्त्रियाँ स्वयं दे सकती हैं ।

युद्ध वर्तमान पशु-बल की उस बाढ़ के समान है, जो मानव द्वारा निर्मित सभ्यता और सस्कृति की न केवल जड़ें हिला जाती हैं, बल्कि उसके ऊपर बार-बार अथक परिश्रम से खड़े किये जानेवाले सुख और शान्ति के अधूरे भवन को मिस्मार भी कर जाती हैं । उससे मनुष्य के सदियों के परिश्रम और प्रयत्नों के फल पर कुछ ही दिनों या महीनों में पानी फिर जाता है । स्त्रियाँ यदि चाहे, तो मानव-स्वभाव की इस विकृति को—पुरुषों की पाशविक लालसा की इस क्रूर प्रतिक्रिया को—सहज ही में रोक सकती हैं । यह कार्य कठिन भले ही हो, पर असम्भव नहीं है । इसके लिए भगीरथ प्रयत्न की आवश्यकता जरूर है, पर सफलता की सम्भावना भी उतनी ही बड़ी और दृढ़ है ।

विश्व-शान्ति और स्त्रियाँ

जिस प्रकार घर की शान्ति और सुख की कुञ्जी स्त्रियों के हाथ में है, उसी प्रकार विश्व-शान्ति की कुञ्जी भी उन्हीं के हाथ में है। यह विशाल विश्व कई घरों, कई परिवारों, कई राष्ट्रों का ही एक सामूहिक रूप है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को पुरुषों ने कभी चरितार्थ किया ही या नहीं, पर स्त्रियों ने सदैव किया है। इसका कारण यह है कि स्त्री जन्म और स्वभाव से ही प्रेम, दया और शान्ति की वाहक होती है। सस्कृति या परिस्थितियाँ भले ही उसे कुछ क्रूर या कठोर बना दे, किन्तु उसके इन गुणों का सर्वथा लोप कदापि नहीं होता। दूसरी ओर पुरुष स्वभाव से ही क्रूर और कठोर होता है। 'पुरुष' शब्द ही पुरुषता या कठोरता का द्योतक है। गुणों और कोमल भावनाओं की अपेक्षा पुरुष में शारीरिक अथवा प्राणविक बल की ही अधिकता होती है। इसीलिए चिर-काल से वह क्रूर, स्वार्थी और दुःसाहसी रहा है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री का हृदय जल्दी पसीजता है और उसकी आँखें और भी जल्दी सजल हो उठती हैं। इन प्राकृतिक गुणों के ही फल-स्वरूप युद्ध की आवाज घर में, पड़ोस में, गाँव या नगर में, प्रान्त या राष्ट्र में और वस्तुतः विश्व में पुरुषों ने उठाई है और स्त्रियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी शान्ति-रक्षा का यत्न किया है। पुरुष को अपनी माँ, बहन या पत्नी को खोकर उतनी गहरी चोट नहीं लगती, उतना स्थायी दुःख नहीं होता, जितना स्त्री को अपना पुत्र, भाई या पति खोकर। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगणित देवियाँ अपने पति का वियोग सहन न कर चिता में उनके साथ सती हो गईं अथवा सारा शेष जीवन कठोर वैधव्य में आँसू बहा-बहा कर काट दिया। पर पत्नी के साथ मरनेवाले या उसके पीछे आजन्म अविवाहित

रहनेवाले पुरुष कितने हैं ? भाई के लिये वहनों ने अपने सुप्त-गुहाग और जीवन तक की परवाह नहीं की है । अधिकांश माताएँ अपने पुत्रों पर सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं, पर माता के लिये सर्वस्व त्यागनेवाले पुत्र आज कितने हैं ? यही कारण है कि पुरुषों ने स्त्रियों की विनाल-हृदयता, उदारता, प्रेम, दया और त्याग से अनुचित लाभ उठा कर उन्हें दीर्घकाल से गुलाम और अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है । किन्तु इसके बावजूद शान्ति-रक्षा के लिये जब-जब स्वार्थ-त्याग और आत्मोत्सर्ग का अवसर आया है, पुरुषों को पीछे ढकेल कर स्त्रियाँ ही आगे आई हैं । अन्तु—

उत्थान-पतन, विग्रह-सन्धि अथवा जय-पराजय का विवरण देनेवाले मानवीय इतिहास में हम जहाँ-तहाँ शान्ति के लिये किये गये स्त्रियों के प्रयत्न का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उल्लेख पाते हैं, प्राणनाशक शस्त्रों के कोलाहल में, पृथ्वी को हिला देने और कानों के पर्दे फाट देनेवाली तोपों की गडगडाहट में और मौत का पैगाम लेकर दौड़नेवाले गोले-गोलियों और वायुयानों की गडगडाहट में शान्ति के लिये उठाई गई स्त्रियों की धीमी और दबी हुई आवाज भले ही हमारे इन इतिहासकारों के कानों तक न पहुँची हो, पर पुरुष-समाज पर स्त्रियों के इन असीम उपकार का मूल्य सहज ही आँका नहीं जा सकता । आज भले ही उनकी इस बात का कोई महत्व न समझा जाय, पर जिस दिन पुरुष के निर पर में युद्ध का भूत उतर जायगा, जिस दिन वह अपने ही भाइयों का खून वहाने और अपने ही सहयोगियों के मुँह का कौर छीनने में अपनी वीरता और पुरुषार्थ की इतिश्री समझना भूल जायगा, उस दिन लिखे जानेवाले मानवीय इतिहास में स्त्रियों की यह अनुपम देन निश्चय ही स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी ।

भारत

संसार के विभिन्न देशों की स्त्रियों ने शान्ति के लिये कब और क्या प्रयत्न किये, यह जानने के लिये हमें विभिन्न देशों पर सरसरी निगाह

डालनी होगी । सबसे पहले हम भारत को ही लेते हैं । भारत में सदा से धर्म की प्रधानता रही है । यहाँ हुए विग्रहों में से अधिकांश को 'धर्म-युद्ध' की ही सजा दी गई है । महाभारत इसका एक मोटा उदाहरण है । इसमें हुए अपार धन और जन-संहार से फैली अराजकता और दुराचार ने ही कदाचित् भारतीय स्त्रियों के हृदय में शान्ति का अकुर प्रस्फुटित किया । पिछले महासमर में न-जाने कितने वश मिट गये, कितने घर बरबाद हो गये, कितनी ललनाओं का सुख-सौभाग्य छिन गया और न-जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई । मनुष्यत्व के इस घोर अपव्यय के परिणाम-स्वरूप शान्ति के जिस आन्दोलन या युद्ध-विरोधी मिशन का जन्म हुआ वह आधुनिक वैज्ञानिक ढङ्ग के प्रचार के रूप में न होकर मन्दिरों और मठों में ईश्वरोपासना के रूप में हुआ । मनुष्य द्वारा फैलाई हुई अशान्ति के जहर को कम करने में इन प्रार्थना एवं उपासना-गृहों ने बहुमूल्य सहायता दी । पर अन्धश्रद्धा और भेडियाधसान के कारण कुछ समय बाद यह चीज वास्तविक न रह कर गौण हो गई और वास्तविकता का स्थान धर्म ने ले लिया । किन्तु स्त्रियों ने शान्ति-रक्षा और युद्धावरोध का अपना कार्य किसी-न-किसी रूप में जारी ही रखा । द्रौपदी का चीर-हरण और सीता का राम को युद्ध के लिये प्रेरित करना दु साहसी पुरुष-हृदय की उस आक्रमणात्मक नीति का सक्रिय विरोध-मात्र था, जो उस समय और भविष्य के लिये विश्व-शान्ति के लिये एक सजीव खतरा था । अपने राज्य की शान्ति भङ्ग होने की आशङ्का से महारानी पद्मिनी ने अपने कुन्दन से शरीर को भस्म कर डाला । अहल्यावाई, सुल्ताना चाँदबीबी और भाँसी की महारानी लक्ष्मीवाई ने केवल शान्ति-स्थापना के लिये युद्ध किये हैं—राज्य-विस्तार या यश-प्राप्ति के लिये नहीं । इन पुरानी बातों को जान दीजिये । अभी कल की बात है, देश की खोई हुई शान्ति को पुनः प्राप्त करने के लिये हमारी देवियाँ सहस्रों की सख्या में हैंसते-हँसते गोली-लाठियों की मार और जेलों की यातनाएँ सह चुकी हैं ।

चीन

अब जरा सभ्यता और सस्कृति में भारत के समकालीन चीन में चलिए । ईसा की १६वीं शताब्दी तक वहाँ कई उलट-फेर हुये, कई राज्य बने और विगड़े, इस बीच में देश को कई चोले बदलने पड़े । पहले जब वहाँ स्त्रियों का जोर था, उन्होंने सदा शान्ति-रक्षा का यत्न किया और जिन छोटी-छोटी बातों को लेकर आज महायुद्ध हो जाते हैं, उन्हें बड़ी बुद्धिमत्ता से निपटा दिया । १९वीं शताब्दी में जब चीन पर विदेशी राष्ट्रों के आक्रमण होने लगे और बाहरी मिशनरियों द्वारा षडयन्त्र रचे जाने लगे, तो चीनी स्त्रियों ने शान्ति के लिये फिर जेहाद बोला । नाबालिग सम्राट के हाथ में देश की शान्ति को सुरक्षित न जानकर वयोवृद्धा राजमाता जू-सी ने एकान्तवास त्याग दिया और शान्ति-रक्षा के लिये चीनी स्त्रियों का सङ्गठन किया । यही क्यो, आधुनिक चीनी प्रजातन्त्र के विधाता डॉक्टर सुन्-यात्-सेन की चीन-पुनरुद्धार-समिति और सार्वजनिक राष्ट्रीय दल की सफलता का अधिकांश श्रेय भी चीनी स्त्रियों को ही है । मादाम च्याङ्गकाई-शेक ने अपने देश की शान्ति को अक्षुण्ण रखने के लिये जो-कुछ किया है, वह किसी से छिपा नहीं है । आज भी, जब कि चीन में गृह-युद्ध की आग धधक रही है और जापान की गिद्ध दृष्टि उस पर लगी है, चीन की शान्ति की बागडोर स्त्रियाँ ही संभाले हुए हैं ।

जापान

जापान का शासन चिर-काल से सैनिक मनोवृत्ति के साम्राज्यवादियों के हाथ में रहा है, जिन्होंने लोकमत को कुचलने के लिये कोई बात उठा नहीं रखी । फिर भी वहाँ की स्त्रियों ने शासकों की कोप-दृष्टि और यातनाएँ सह कर बड़े महँगे मूल्य पर शान्ति-रक्षा का प्रचार किया ही । जापान आज फिर युद्ध के लिये कमर कस रहा है, वहाँ के सहस्रो स्त्री-पुरुष अपनी पराजय का बदला लेने की मानसिक तैयारी कर रहे हैं, पर

पाठशालाओं, होटलो, नाच-घरों तथा अन्य सार्वजनिक सस्थाओं में स्त्रियाँ आज भी शान्ति के लिये आवाज उठा रही हैं। जापानी स्त्रियों के हाथ के कढ़े हुए कसीदे और जरी के काम के रूमाल, मेजपोश, थालपोश और पलङ्ग-पोश रोज हजारों की तादाद में विकते हैं, जिन पर लिखा होता है— 'ससार के सब सुखों का मूल शान्ति है।' जापानी मठों और मन्दिरों पर भी—विशेषतः जहाँ भिक्षुणियाँ रहती हैं—आज यही अथवा भगवान बुद्ध के अन्य शान्तिपूर्ण वाक्य लिखे मिलते हैं। सन् १८१७ में जब रूस, जर्मनी और फ्रान्स ने मिलकर जापान पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरह परास्त किया, तो जापानी स्त्रियों ने अपनी एडी से चोटी तक का जोर शान्ति-स्थापना के लिये लगाया और युवकों को बरबस देश की शान्ति को खतरे में डालनेवालों से लड़ने को भेजा। पर जापान ने जब शान्ति के लिये नहीं, बल्कि प्रतिहिंसा के लिये सन् १९०४ में युद्ध का विगुल बजाया, तो इन्हीं स्त्रियों ने युद्ध-विरोध के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इससे जापान के लडाकू अधिकारी फूटी आँखों भी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने हजारों ही स्त्रियों को सरे-बाजार गोली से उडवा दिया—सिर्फ शान्ति का प्रचार करने के अपराध पर।

इङ्ग्लैण्ड

अब जरा सभ्यता और विज्ञान में ससार की नाक बननेवाले पश्चिम की ओर चलिये। सबसे पहले हम इङ्ग्लैण्ड को लेते हैं। स्थिति के कारण इङ्ग्लैण्ड की शान्ति सदा खतरे में रही है। पहले इसे घरेलू झगडों से शान्ति नहीं मिली। फिर जब यह कुछ बलवान हुआ, तो इसकी दृष्टि बाहरी राष्ट्रों और उपनिवेशों पर पड़ी। किन्तु शासकों की इस मनोवृत्ति के बावजूद वहाँ की स्त्रियों ने सदा शान्ति के लिये प्रयत्न किया है। धार्मिक-दमन और उपद्रवों के अलावा आक्रमणों के परिणाम-स्वरूप इङ्ग्लैण्ड में जो युद्ध हुए हैं, उनमें से अधिकांश पुरुष-शासकों के समय में ही हुए।

एडवर्ड तृतीय ने जब कैले पर आक्रमण किया और घेरा डाल लिया, तो उनकी रानी उन्हें इस विग्रह से विमुख करने के लिये स्वयं जहाज में बैठकर युद्ध-क्षेत्र में गई थी। महारानी एलिजाबेथ, ऐन और विक्टोरिया के समय में भी शान्ति-स्थापना का विशेष प्रयत्न हुआ है। कुमारी फ्लोरेस नाइटिंगेल का नामोल्लेख किये बिना यह प्रसङ्ग अधूरा कहा जायगा। १८५४-५६ के क्रिमेयन युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा-शुश्रूषा करने के कारण कुमारी नाइटिंगेल का नाम इङ्ग्लैण्ड के इतिहास में कृतज्ञतापूर्वक उल्लिखित हुआ है। पर हमारी समझ में तो शान्ति के एक मिशनरी के रूप में उनका नाम विश्व के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। घायल सैनिकों की मरहम-पट्टी करते समय कुमारी नाइटिंगेल ने उन्हें घरवालों की याद नहीं दिलाई, घावों के कारण उनके प्रति संवेदना अथवा सहानुभूति नहीं प्रकट की, बल्कि इस गाढ़े समय में नाइटिंगेल ने उन्हें याद दिलाई युद्ध की विभीषिका की, अपार जन-संहार की, उनके अङ्ग-भङ्ग की और उनसे अनुरोध किया कि ठीक होने पर खुदा के लिये वे कभी फिर युद्ध में भाग न लें। घोर अँधेरी रात में साँय-साँय करती हुई साइबेरिया की उस बर्फीली हवा का अनुमान तो कीजिये। ऐसी हवा के भपेटों से बातें करती हुई, अपने दुबले-पतले शरीर को फर और मोटे ऊनी कपड़ों में लपेटे, हाथ में एक धीमा-सा लम्प लिये, लाशों को रौंदती और घायलों से ठोकर खाती, श्मशान बनी युद्ध-भूमि में काँपती हुई नाइटिंगेल अकेली कई रातों घूमती रही। लम्प के धीमे प्रकाश की सहायता से वह हताहत सैनिकों के चेहरे देखती जाती। जहाँ कहीं गहरे घावों या अधिक रक्त-स्राव के कारण वेहोश कोई सैनिक मिल जाता, वही वह रुक जाती और लम्प पर केटली में थोड़ा-सा पानी गरम कर उसके घावों को धोती और दवा लगाती। होश आने पर वह सैनिक को खेमे में लाती और समझाती कि देखो भविष्य में लड़ाई में मत जाना। लड़ कर इस प्रकार प्राण गँवाना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि बाद में जब इङ्ग्लैण्ड के अधिकारियों

को कुमारी नाइटिंगेल के इस युद्ध-विरोधी प्रचार का पता चला, तो उनके बहुत से प्रशसक ही उनके निन्दक बन गये और उन पर सैनिकों को बरगलाने का नीचतापूर्ण लाञ्छन भी लगाया जाने लगा ।

जर्मनी

शासन में सैनिकों का विशेष प्रभाव रहने के कारण जर्मनी में शान्ति सदा खतरों में रही है और जब-जब वहाँ की स्त्रियों ने शान्ति-रक्षा का प्रयत्न किया, उन्हें इसका गहरा मूल्य चुकाना पड़ा है । १९वीं शताब्दी में जब जर्मनी के प्रधान-मन्त्री ओटो बिस्मार्क ने खूनी और फौलादी नीति की घोषणा की और जर्मन युवकों को सामूहिक रूप से समराग्नि में भोकने का यत्न किया, तो स्त्रियों ने ही युद्ध के विरुद्ध जेहाद बोला । इसका परिणाम वही हुआ, जो किसी निरकुश स्वेच्छाचारी शासक की अवज्ञा का हो सकता था । स्त्रियों को गोलियों से भून डाला गया । विगत दोनों महायुद्धों के समय जब वहाँ की स्त्रियों ने युवकों को युद्ध-क्षेत्र में जाने से रोका, तो निरकुश कैसर ने भी उन्हें यही पुरस्कार दिया । गत महायुद्ध में जर्मन चान्सलर हर हिटलर के शासन-काल में भी उनकी युद्ध-विरोधी आवाज और आन्दोलन को जिस क्रूरता और अमानुषिकता से कुचला गया वह दैनिक-पत्रों के पाठकों से छिपा नहीं है ।

फ्रांस

फ्रांस की स्त्रियों ने शायद शान्ति के लिये सबसे अधिक प्रयत्न किया है । इसका कारण उसकी राजनीतिक स्थिति है । उसे शान्ति से रहने का अवसर बहुत कम मिला है । कभी उसका पड़ोसी जर्मनी उसे निगल जाने के लिये मुँह वाये रहा है, तो कभी डब्लुलैण्ड ने जल और स्थल से उस पर आक्रमण किये हैं । इन्हीं बाहरी सङ्घटनों के कारण फ्रांस की महिलाओं ने शान्ति का महत्व अन्य देशों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक समझा और इसके लिये उन्होंने अपना अधिकतम समय दिया है । १८७०-७१ के

जर्मन-युद्ध के बाद जब सेना और कम्यूनार्डों में शासन-सत्ता की बागडोर के लिये झगडा हुआ और युद्ध से नष्ट-प्राय फ्रांस को गृह-युद्ध की काली घटाओ ने घेर लिया, तो दोनो रणोद्यत दलो के बीच में खडे होकर फ्रांस की १४ हजार स्त्रियो ने घोषणा की कि यदि हमे अपने प्राण भी देने पडे तो कोई बात नही, पर हम देश में अन्त कलह न होने देगी । पर युद्ध का प्रमाद यो सहज और शीघ्र उतरनेवाला कहाँ ? सैनिक स्वार्थ में अन्धे हो रहे थे । उन्होने स्त्रियो की उस प्रार्थना को ठुकरा दिया । दोनो ओर से दनादन गोलियाँ बरसने लगी और देखते-देखते पैरिस की वह सडक ३० हजार स्त्री-पुरुषो की लाशो से ढँक गई । इनमे अधिकाश स्त्रियाँ ही थी । भारत की राजपूत बालाओ के जौहर को छोड कर भला ससार में इन वीराङ्गनाओ के त्याग की किससे तुलना की जा सकती है ?

रूस

यूरोपीय देशो में शिक्षा और सभ्यता की दृष्टि से रूस एक दीर्घ काल तक पिछडा हुआ देश रहा है । पर इधर पिछले कुछ वर्षों में ज़ारो के अत्याचारो और समय-समय पर होनेवाले युद्धो ने उसे शान्ति का मर्म भली-भाँति समझा दिया । क्षेत्रफल के लिहाज से एक विशाल देश होने के कारण उसके शासन-प्रबन्ध में बडी ढिलाई रही है—खासकर उसकी सेना का प्रबन्ध, सङ्गठन और शिक्षा तो बडी ही असन्तोषजनक रही है, जिसके कारण युद्धो में प्राय उसे हारना पडा है । युद्ध की हानि से हार का दण्ड कही बदतर होता है । यह दण्ड विशेषत स्त्रियो को भोगना पडा । पुरुषो को मौत के घाट उतरना पडा और वे अनाथ और निराश्रित हो अपने भाग्य को कोसने लगी । आखिर उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इन युद्धो का एकमात्र कारण है ज़ार का निकम्मा शासन, जिसका मूलोच्छेद ही देश के लिये अभीष्ट है । जारगाही का तख्ता उलटने में स्त्रियो ने पुरुषो से किसी प्रकार भी कम काम नही किया ।

स्वार्थी पुरुष भले ही उनका उपकार न माने, पर यह ध्रुव सत्य है कि यदि रूस की स्त्रियाँ सहयोग न देती, तो रूसी राज्यक्रान्ति इतनी शीघ्र सफल नहीं होती। उन दिनों मास्को और पित्रोग्राद में जो बम फेकनेवाली गुप्त सस्थाएँ बनी थी, उनमें लगभग ४५ प्रतिशत स्त्री-सदस्याएँ थी। उनके साहस का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि स्वयं ज़ार के महल में जाकर एक युवती ने बम रक्खा था, जिसे इसका गहरा ज़ुर्माना भी देना पडा। सुप्रसिद्ध भारतीय समाजवादी श्री० एम० आर० मसानी ने अभी थोड़े ही समय पूर्व रूस की यात्रा की थी। एक बार आपने अपनी रूसी मार्गदर्शिका (गाइड) से पूछा कि रूस आजकल शस्त्रीकरण क्यों कर रहा है ? तो उसने जवाब दिया—सामूहिक शान्ति के लिये। इसका राजनीतिक अर्थ चाहे जो-कुछ निकाला जाय, पर सच यही है कि वह शान्ति के लिये आज भी व्याकुल है और इसके लिये वहाँ की स्त्रियाँ अब भी सक्रिय हैं।

इटली

सिन्योर मुसोलिनी के शासन-काल में इटली का सार्वजनिक जीवन उतना ही आतङ्कपूर्ण हो गया था, जितना हिटलर के समय में जर्मनी का। मुसोलिनी की आज्ञा के विरुद्ध मुँह खोलना वहाँ मौत को निमन्त्रण देना था। पर इसकी परवा न कर स्त्रियों ने शान्ति के लिए बराबर अपनी आवाज बुलन्द की है। पिछले इटली-अबीसीनिया युद्ध के समय मकाले के पतन के बाद इटली से कुछ और सेना अफ्रीका के लिये भेजी जा रही थी। कहते हैं कि दक्षिणी इटली के एक स्टेशन से जब यह सेना जहाज में सवार होने के लिये रेल द्वारा नेपल्स बन्दरगाह को रवाना होने लगी, तो इसका विरोध करनेवाली ४५० स्त्रियाँ रेल की पटरी पर लेट गईं। इङ्गलैण्ड के एक पत्र में छपा कि मना करने पर भी जब इन्होंने मार्ग न दिया, तो इन पर गोलियों की बौछार की गई, जिसके फल-स्वरूप लगभग ३५० तो वही

ढेर हो गई और शेष बुरी तरह घायल हुई। इटली के पत्रों में यह समाचार नहीं छपा। इसके कुछ ही दिन बाद एक और ऐसी ही घटना हुई। जब अफ्रीका जानेवाले सैनिक रेल में सवार होने के लिये एक स्टेशन की ओर जा रहे थे, तो सड़क पर एक जलूस बना कर आती हुई स्त्रियों ने उनका मार्गवरोध किया और उनको युद्ध में न जाने के लिये कहा। बहुत समझाने-बुझाने पर भी जब उन्होंने सैनिकों को मार्ग न दिया, तो टेलीफोन द्वारा मुसोलिनी से सलाह ली गई, जिसने कहा कि आखिरी चेतावनी देने पर भी यदि वे मार्ग न छोड़े, तो उन्हें गोली से उडा दो। न त्रिया-हठ टल सकती थी और न मुसोलिनी की आज्ञा ही। आखिर यहाँ भी स्त्रियों को सामूहिक बलि चढानी पडी। साथ ही अवीसीनिया की स्त्रियों ने भी अपने देश की शान्ति-रक्षा के लिये जो-कुछ किया, उससे पाठक अपरिचित नहोंगे। देश की आज्ञादी के लिये वे पुरुषों के कन्धे-से-कन्धा मिलाकर बराबर लडी और मरी।

अमरीका

अब जरा विज्ञान के गढ़ अमरीका में चलिए। १८वीं शताब्दी तक तो यह एक प्रकार से विच्छिन्न और गृह-कलह के सङ्कट में ही फँसा रहा। इसके बाद यहाँ जो शान्ति स्थापित हुई, वह स्वभावतः मँहगी थी और इसीलिये वह अमरीकन लोगों के जीवन का अटल सिद्धान्त बन गई। 'मनरो-डॉक्ट्रिन' इसका एक प्रबल प्रमाण है। हाँ, गत यूरोपीय महायुद्धों में उसे शामिल जरूर होना पडा, किन्तु जिन्होंने महायुद्धों का वास्तविक विवरण पढा है, उनसे यह छिपा नहीं है कि यह किस लाचारी और स्वार्थों की रक्षा का फल था? आज बड़े वैज्ञानिक ढङ्ग से वहाँ शान्ति का प्रचार हो रहा है। प्रत्येक नगर में युद्ध-विरोधी और शान्ति-प्रचारिणी अनेक सस्थाएँ हैं, जिनमें से अधिकांश का सञ्चालन स्त्रियाँ ही करती हैं। स्थानाभाव के कारण हम शान्ति के मिशनरी के रूप में काम करनेवाली असख्य अम-

रीकन महिलाओं का परिचय यहाँ नहीं दे सकते। उदाहरण के लिये हम केवल एक भद्र महिला का थोड़ा-सा उल्लेख यहाँ करेंगे। यह है वहाँ की नेशनलिस्ट विमेज कौंसिल की उपाध्यक्षा श्रीमती स्टर्नबर्गर, जो 'शान्ति-सम्पादिका' या 'शान्ति की प्रकाशन-मन्त्रिणी' के नाम से अमरीका के घर-घर में परिचित हैं। आपकी अवस्था इस समय कोई ६६ वर्ष की है। पर आप नवयुवतियों की-सी शक्ति और फुर्ती के साथ शान्ति-प्रचार का काम कर रही हैं। आप के हिस्से में दो मुख्य काम हैं—एक तो स्कूल-कॉलेजो, आश्रमो तथा सभा-संस्थाओं में वायर-लैस, टैलीवीजन अथवा मैजिक-लैन्टर्न की सहायता से शान्ति-विषयक भाषण देना और वाद-विवाद तथा शङ्का-समाधान में भाग लेना, और दूसरा प्रमुख दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक पत्रों में शान्ति-सम्बन्धी लेख, विज्ञापन और कार्टून आदि छपवाना। इस समय आप कोई ५०० दैनिक और १३८ साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों के शान्ति-विभाग की सम्पादिका हैं। शान्ति-प्रचार आपकी दिनचर्या का एक अङ्ग हो गया है। जिस दुकान पर आप सौदा खरीदने जाती हैं, उसके दुकानदार को समझाती हैं कि देखो यदि युद्ध छिड़ गया, तो चीजों के मूल्य चढ़ जायँगे और अधिकांश लोगों के युद्ध-क्षेत्र में चले जाने से तुम्हारी बिक्री कम हो जायगी। लाभ तो दूर रहा, तुम्हारा खर्च निकलना भी कठिन हो जायगा। एक बार मिन्नेसोटा के दो अखबारों के एजेण्टों में बातचीत हो रही थी कि यदि लडाईं छिड़ जाय तो मजा है, खूब गरमागरम खबरे आयँगी, अखबार अधिक बिकेंगे और हमारी आमदनी बढ़ेगी। श्रीमती स्टर्नबर्गर कहीं उधर से गुजर रही थी। युद्ध शब्द का उल्लेख सुन कर आप उन दोनों के बीच में कूद पड़ी और बोली कि युद्ध में आदमी अधिकांशतः युद्ध-क्षेत्र में चले जायँगे और उनकी जगह दफ्तरों व कारखानों में स्त्रियों को पिसना पड़ेगा। फिर भला अखबार पढ़ने की फुर्सत किसे मिलेगी ?

ऐसे ही अनेक उदाहरण हमें अन्यान्य देशों के इतिहास में भी मिलते

हैं। हमने केवल उन्ही देशों का उल्लेख किया है, जिनका विश्व-शान्ति पर कुछ क्रियात्मक प्रभाव रहा है। वैसे तुर्की, ईरान, मिस्र और स्पेन की स्त्रियों ने भी शान्ति के लिये कुछ कम प्रयत्न नहीं किया। आयरलैण्ड की स्त्रियों ने भी अपने देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये कुछ उठा नहीं रक्खा। मैक्सिको की स्त्रियों ने तो एक बार यह प्रतिज्ञा की थी कि जीते जी वे अपने पति, भाई या पिता आदि को कभी युद्ध में न जाने देगी।

कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की शान्ति के लिये स्त्रियों ने बड़ी कीमती कुर्बानियाँ की हैं। सुख, वैभव और प्राणों का मोह कभी उनकी शान्ति की अखण्ड आराधना में बाधक नहीं हुआ। अपने घर की भाँति वे समूचे विश्व को हरा-भरा और फला-फूला देखने को उत्सुक रही हैं। आज जब ससार दो महायुद्धों की विनाश-लीला देख चुका है, इस बात की महती आवश्यकता है कि माताएँ, बहनें, पत्नियाँ और पुत्रियाँ पुरुषों को इसकी पुनरावृत्ति से विरक्त करने की सजग चेष्टा करें।

पञ्जाब की जाग्रत महिलाएँ

आज या किसी आनेवाले कल, जब भी भारतीय महिला-समाज के जागरण का इतिहास लिखा जायगा, हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि पञ्जाब-प्रात का नाम सबसे पहले आयगा। बाजारो मे, मेलो और शादियो मे शिक्षिता और सुन्दर पोशाक धारण किये पञ्जाबी बहनो को देखकर हृदय आनन्द से उछल पड़ता है। पर पञ्जाब की बहनो की जाग्रति केवल उनकी शिक्षा और पोशाक तक ही सीमित नही है; वह उनके जीवन मे, उनके घर मे, उनके प्रात मे बडी गहराई के साथ व्याप्त है।

पञ्जाब ही सर्वप्रथम क्यों ?

भारतीय महिला-समाज के जागरण मे पञ्जाब का स्थान सर्व-प्रथम है, इतना कह-भर देने से पाठको को सन्तोष न होगा। उन्हे इसका कारण जानने की भी उत्सुकता होगी। भारत के विभिन्न प्रातो मे नारी को ऊपर न उठने देने मे मुख्य कठिनाइयाँ रही है, परम्परागत रूढिवाद और सामाजिक बन्धन। पर सौभाग्य से पञ्जाब मे रूढिवाद और सामाजिक बन्धनो को अपनी जड गहराई तक पहुँचाने का अवसर नही मिला। इसका एक विशेष कारण है, जो भारत के किसी भी अन्य प्रात के सम्बन्ध मे लागू नही हो सकता। वह यह कि भारत पर उत्तर-पश्चिम से हुई चढाइयो ने पञ्जाब को सदा आवादी और बरवादी के सङ्घर्ष मे जकडे रक्खा है। आत्म-रक्षा और पेट की चिन्ता ने उसे कभी रूढियो और सामाजिक बन्धनो की ओर अधिक ध्यान देने ही नही दिया। दूसरे यवन आक्रमणकारियो का

वहुत-सा भाग पञ्जाब के पडोस में बस गया और प्रत्यक्ष या परोक्ष, इच्छा से या अनिच्छा से, पञ्जाब को उससे रोटी-बेटी का व्यवहार करना पडा। आक्रमणों का आतङ्क तो कालान्तर में शान्त हो गया, पर वह अपनी अमिट छाप पञ्जाब पर छोड गया। अपने नये पडोसियों के सम्पर्क और जीवन-संग्राम की कष्ट-साध्यता ने पञ्जाब के सामाजिक और धार्मिक बन्धनों को ढीला कर दिया। वह समय तो बीत गया, पर आज भी पञ्जाब में सामाजिक और धार्मिक बन्धन भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा अधिक ढीले, लचीले और दुर्बल हैं।

पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव

यवन-काल के बाद भारत में अङ्गरेज आये। ये लोग पूर्ववर्ती आक्रमणकारियों की भाँति उत्तर-पश्चिम से न आकर पश्चिम-दक्षिण से आये, पर इनसे पूर्व इनकी हवा पञ्जाब में पहुँच गई। यवन-राज्य के पतन और अङ्गरेजी शासन की स्थापना से पूर्व पञ्जाब में सिक्खों का प्रभुत्व रहा। पर उनका कोई विशेष और स्थायी प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना एक पृथक् मत बना लिया। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके शासन ने पञ्जाब के धार्मिक और सामाजिक बन्धनों को ढीला करने में कुछ-न-कुछ सहायता ही पहुँचाई।

पर आधुनिक पञ्जाब के सामाजिक जीवन पर अगर सबसे अधिक असर किसी का हुआ है, तो इसी पश्चिमी सभ्यता का। धार्मिक और सामाजिक बन्धनों की शिथिलता के कारण पञ्जाब ने पाश्चात्य सभ्यता को जिस शीघ्रता और सहूलियत के साथ अपना लिया, भारत के किसी दूसरे प्रान्त ने नहीं। कहीं-कहीं तो पाश्चात्य सभ्यता का यह रङ्ग इतना गहरा हो गया है कि विशुद्ध भारतीयता के प्रेमी चौक भी उठे हैं। पर यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में सब-कुछ ऐसा नहीं है, जिसे अपनाकर भारतीयता के मोह की रक्षा भी की जा सके।

शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रचार

पञ्जाब की बहनों को घर से बाहर लाने और समाज में आगे बढ़ाने का एकमात्र नहीं तो सबसे अधिक श्रेय शिक्षा को है। पञ्जाब के हर नगर, कस्बे और बड़े गाँव में कन्याओं की शिक्षा का प्रबन्ध है। पञ्जाब-सरकार ने स्वतः स्त्री-शिक्षा के प्रचार की ओर इतना ध्यान नहीं दिया, जितना स्वयं महिलाओं ने दिया और दिलवाया। आज पञ्जाब के साधारण-से-साधारण परिवार में भी कोई ऐसी कन्या न मिलेगी, जो निरक्षर हो। हमने तो देखा है कि अब लड़कों की पढाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, जितना कि लड़कियों की। यही कारण है कि आज पञ्जाब में विद्यालयों की संख्या असाधारण गति से बढ़ रही है। कॉलेजों में पढनेवाली बहनों की संख्या भी कम नहीं है, और कई बार तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का ऐसा परिचय दिया है कि पुरुष भी दङ्ग रह गये हैं।

पर यह न समझना चाहिये कि पञ्जाब की बहनों की शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। बहुत-सी बहनों ने डॉक्टरी, नर्स, अध्यापन, सिलाई-बुनाई और दन्दानसाजी में विशेष योग्यता प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का खासा अच्छा परिचय दिया है। दर्जनों बहनें विदेश हो आई हैं। अब तो प्रतिवर्ष कुछ-न-कुछ बहनें अध्यापन या डॉक्टरी की विशेष योग्यता प्राप्त करने विलायत जाती हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए श्रीमती दत्त की अध्यक्षता में पञ्जाबी युवतियों का एक दल यूरोप की सैर करके लौटा है। हम समझते हैं कि इन बहनों का भ्रमण अन्य ज्ञान-पिपासु बहनों को भी विदेश में जाकर ज्ञानार्जन करने को उत्सुक बनायेगा और पञ्जाब के स्त्री-समाज में शिक्षा की लहर और भी प्रबलता के साथ आगे बढ़ेगी।

सामाजिक उन्नति और विकास

शिक्षा ने पञ्जाब की बहनों के जीवन को आमूल-चूल बदल दिया है।

पर्दा तो वे एक युग हुआ फाड़ चुकी थी, अब जो थोटा-बहुत लोग-दिसाऊ पाखण्ड और भिन्नक थी, उसे भी बड़े नाहम के साथ उन्होंने ठुकरा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज सामाजिक जीवन में यदि स्त्रियों का पलड़ा पुरुषों से भारी नहीं है, तो हल्का भी नहीं है। वे समाज के हर क्षेत्र में पुरुष के समान भाग लेती हैं। मत्कार्यों में उसे सहयोग देती हैं और अपनी इच्छा और अधिकारों के प्रतिकूल होनेवाली बात का निर्भीकता और दृढ़ता से विरोध करती हैं। शिक्षित महिला-समाज में पुरुषों के अत्याचार और ज्यादतियाँ एक प्रकार में अतीत की गाथाएँ हो गई हैं। बचपन की गादियाँ अपने-आप उठ गई हैं, पुराने ढोंग-बतूरे लुप्त हो रहे हैं, धर्म और जाति-पाँति की विडवना मिट रही है। काफी विवाह जाति-पाँति तोड़ कर और प्रायः वर-वधू की सहमति से होते हैं। इसका एकमात्र श्रेय पञ्जावी बहनों को ही है, जिन्होंने पुरुषों का हृदय और समाज का कलेवर ही बदल दिया है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि पञ्जाव की बहनों ने पुरुषों पर विजय पाई है।

मुस्लिम बहने पिछड़ी है ।

ऊपर हम जो कुछ कह आये हैं वह अविकागत हिन्दू या सिक्ख बहनों के सम्बन्ध में ही लागू होता है। दुर्भाग्यवश पञ्जाव की मुस्लिम बहने एक प्रकार से इस नारी-जागरण के युग का अपवाद बनी हुई हैं। उनमें से साधारण घरानों की बहने तो प्रायः शिक्षा में दूर ही रहती या रखी जाती हैं। जो कुछ पढती हैं, तो वे कॉलेज तक में भी बुरका नहीं छोड़ती और फिर शिक्षा समाप्त करने के बाद तो बुरका उनके जीवन के साथ ही छूटता है। अभी पिछले दिनों पञ्जाव-असेम्बली की मुस्लिम सदस्याएँ बुरकें में ही असेम्बली में आईं और बुरकें में से ही भाषण दिये। मैं तो समझ ही नहीं सका कि पढ-लिखकर भी हमारी ये बहने बुरकें का मोह क्यों और कैसे नहीं त्याग सकी? यही कारण है कि आज पञ्जाव के सार्व-

जनिक जीवन मे केवल पुरुषो का प्राधान्य है और मुसलमानो मे स्त्री-शिक्षा हिन्दुओ और सिखो की अपेक्षा शायद दशाश भी नही है ।

कुछ मुस्लिम महिलाएँ भी ऐसी है जिन्होने पर्दे को ठुकरा दिया है और जाति के मुल्ला-मौलवियो के शोर-गुल का खयाल न कर आगे बढ रही है । बेगम शाहनवाज और लेडी अब्दुलकादिर शायद इनमे प्रमुख है । अपने व्यवहार और प्रतिभा से उन्होने न केवल पञ्जाब या भारत मे ही, बल्कि विदेशो मे भी ख्याति प्राप्त की है । हम तो कहेंगे कि जब तुर्की, मिस्र, अरब, ईरान, इराक, अल्बानिया आदि की मुस्लिम महिलाओ ने पर्दा त्याग दिया और आज वहाँ के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन मे आगे बढ रही है, तो पञ्जाब की मुस्लिम बहने गुलामी के इस चोले को उतार फेकने मे विलम्ब क्यों कर रही है ? क्या उन्हे प्रकाश और स्वतन्त्रता प्रिय नही है ?

फैशन-परस्ती का रोग

पर हमारा यह लेख अधूरा ही समझा जायगा यदि हम पजाब मे तीव्र गति से फैलनेवाली एक सक्रामक बीमारी का जिक्र न करे । वह महामारी है—'फैशन-परस्ती' । खुशबूदार तेल, पाउडर, क्रीम, स्नो, सेट, लिपस्टिक आदि का प्रचार पजाब मे बेहद बढ रहा है । कपडो और जूतो का फैशन तो इतना बढ रहा है कि वर्ष मे शायद दो-एक डिजाइन नये आविष्कार किये जाते होंगे । विवाह, उत्सव और मेलो आदि को जाने दीजिये; आमतौर पर बाजारो मे से गुजरने और प्रात-साय वायु-सेवन को जानेवाली महिलाएँ भी ऐसे चटकीले-भडकीले और बारीक कपडे पहनती है कि जिनसे उनकी 'लाज ढँकने' की मर्यादा का पालन की अपेक्षा उल्लङ्घन ही अधिक होता है । देश की दरिद्रता को ध्यान मे रखते हुए यदि पजाबी बहने फैशन-परस्ती को कम कर बङ्गाल और गुजरात की भाँति सादगी को अपना सके, तो शायद उनसे प्रान्त और देश को विशेष लाभ हो । किसी अश तक

कुछ पञ्जावी बहनो ने पाश्चात्य सभ्यता का अन्वयानुकरण करते हुए कई ऐसी बातो को भी अपनाना शुरू किया है, जो शायद भारतीय नारी के लिए शोभा और गौरव का हेतु नहीं है। क्या ही अच्छा हो यदि पञ्जाव की जाग्रत महिलाएँ इस फैशन-परस्ती के कलङ्क को धो बहावे।

नारीत्व की लाञ्छना

शास्त्रकारो ने जिस नारी को पूजनीया एव वन्दनीया बतला कर घर, परिवार और समाज के मूर्द्धन्य पर आसीन किया है, कवि ने जिसके आँचल के दूध और आँखो के पानी को कल्पना और वाग्विलास के सहारे काव्य का गौरव प्रदान किया है तथा चित्रकार ने जिसके कटि-कुच-नासिका-नयन को अधिकतम काम्य रूप देकर अपनी निर्जीव तूलिका को अमर बनाया है, वही नारी आज युद्ध-क्षेत्र से अवैध गर्भ-धारण का पाप, बलात्कार का आघात और यौन-व्याधियो की विरासत लेकर लौटी है ! आज उसे देख कर हमारे मन मे पूजा या वन्दना के भावो का उद्रेक नही होता । आज उसके निस्तेज-कृश शरीर को देख कर कवि को शृगार की प्रेरणा नही मिलती और न उसके रँगो-पुते होठो, नाखूनो या गालो को देख कर किसी चित्रकार का अपनी तूलिका ही उठाने को मन करता है । आज कल्पना और कला-लोक की वह रगीन मूर्ति मानो खण्डित होकर अनेक प्रश्नसूचक चिन्हो के रूप मे एक स्थूल यथार्थता बन हमारे सामने खडी है.। आज तो मानो उसके आँचल का दूध ही उसकी आँखो का पानी बन कर दुनिया की दया और सहानुभूति की भीख माँग रहा है । क्या उसे यह भीख मिलेगी ? पर यदि यह भीख उसे मिल भी जाय, तो क्या वह इससे अपनी अरक्षा की कुण्ठा और आशका दूर कर पायगी ? किन्तु कब तक ?

०X गत १६ फरवरी, १९४६ के 'ब्लिट्ज' मे भारतीय महिला-सहायक-दल की १०० सदस्याओ की ओर से जो पत्र छपा है, वह भारत की दुर्बल नारी की ओर से ऐसी ही भीख माँगता-सा जान पडता है । पत्र मे कहा गया है कि इन भारतीय महिलाओ को न सिर्फ रंग-भेद के कारण अपमान की कडुवी घूँटे ही पीनी पडी, बल्कि प्रलोभन देकर अथवा दवाव डाल कर

इनकी इज्जत भी लूटी गई, इन्हे पतित किया गया और इनकी रही-सही प्रतिष्ठा तथा गौरव को भी नष्ट कर दिया गया। इनमें से बहुतों को अवैध रूप से माता बनना पड़ा, बहुतों को जबरन गर्भिणी बनाया गया और बहुतों के साथ बलात्कार हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत-सी गर्मी, सुजाक आदि यौन-व्याधियों से पीड़ित हो गई हैं। बहुतों को नाचने, गाने, शराब पीने तथा अफसरो का मनोरजन करने के लिए भेजा गया। बहुत बार कई लडकियाँ शराब के नशे में बेहोश गली-सड़को पर पड़ी पाई गईं, जहाँ से उठा कर उन्हें निवास-स्थान पर पहुँचाया गया। ऐसी कई पीड़ित लडकियों को गर्भपात करवाना पड़ा और कइयों ने लज्जा एव ग्लानि के कारण आत्महत्या भी कर ली। जहाँ ये शिकायतें की गई हैं, वहाँ लडकियों की ओर से कई तथ्यों को स्वीकार भी किया गया है। लडकियों ने माना है कि झूठे वादों और गलत प्रोपेगण्डा के कारण वे अपने घरों और परिवारों से छीन ली गईं, उन्हें अस्वाभाविक वातावरण में रक्खा गया, उन पर किसी तरह का नियन्त्रण नहीं था और चारों ओर रँगरलियों का बाजार गरम था। यह बात भी स्वीकार की गई है कि बहुत-सी जवान लडकियाँ ऊँचे-ऊँचे मनसूबे लेकर दल में भर्ती हुईं और बहुत-सी जान-बूझ कर इसलिए प्रलोभनों में फँस गईं कि उन्हें किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त न थी। कुछ ने अपनी अज्ञानता भी स्वीकार की है। अस्तु।

ये बातें काफी गम्भीर हैं। अधिकारियों ने इन आरोपों की आशिक सत्यता स्वीकार करके भी बिना किसी निष्पक्ष जाँच के इन्हे अतिरजित तथा असत्य बतला दिया है। परन्तु सुप्रसिद्ध लोकसेविका श्रीमती हसा मेहता तथा श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय का समर्थन प्राप्त होने और सरकार द्वारा आशिक स्वीकृति के बावजूद इनकी खुली जाँच करवाने की अनिच्छा को देखते हुए मूल रूप से इनकी यथार्थता में सन्देह नहीं किया जा सकता। जो-कुछ भी हो, यह समस्या राजनीतिक से कहीं अधिक सामाजिक है। किन्तु हमें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि पत्रों, व्यक्तियों

एव सस्थाओं द्वारा इसे सामाजिक की अपेक्षा राजनीतिक महत्त्व ही अधिक दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रग-भेद के कारण इस दल की सदस्याओं को जिन असुविधाओं, असमानताओं एव अपमानों का शिकार होना पडा है, उनकी राजनीतिक अहमियत कम नहीं है। पर वह एक पृथक् और व्यापक प्रश्न है, जिसके शिकार केवल भारतीय महिलाएँ या फौजी ही नहीं, समस्त देशवासी है—और वह भी अकेले भारत या ब्रिटिश साम्राज्य में ही नहीं, ससार-भर में रग-भेद का मुख्य कारण भारत की राजनीतिक गुलामी है, और यह कहना गलत न होगा कि इसके अन्त के साथ ही सर्वाश में नहीं, तो अधिकांश में रग-भेद का भी अन्त हो जायगा। पर नारी के तथाकथित पतन और उसके साथ हुए बलात्कार का प्रश्न सर्वथा हमारा अपना और सामाजिक है, जिसका हल राजनीतिक स्वतन्त्रता-मात्र से ही नहीं हो जायगा। यहाँ हम उसके सामाजिक पहलू पर ही विचार करेंगे।

मानव-सृष्टि के आदि-काल से नर और नारी का स्वाभाविक सम्बन्ध पहले शारीरिक रहा है, फिर और कुछ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भूख और भोग ही दोनों का समान धर्म रहा है। इसकी पूर्ति में दोनों एक-दूसरे के साथी-सहयोगी रहे हैं। 'नियम' या 'अधिकार'—जैसे प्रश्न उनके सामने तब नहीं थे। दोनों में से किसको कम और किसको अधिक भूख-भोगेषणा महसूस होती थी और एक के सहयोग-सहायतार्थ प्रस्तुत न होने पर दूसरा क्या करता था, इस सम्बन्ध में सप्रमाण कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मानव-विकास के चक्र की प्रागैतिहासिक काल की कहानियों से यह आभास जरूर मिलता है कि प्रकृतिश अधिक बलवान होने के कारण पुरुष नारी की अपेक्षा अधिक बलात्कारी, स्वेच्छाचारी एव निरकुश रहा है। जब उसे भूख लगती, जल-थल-नभ से जो भी मिल सकता था, छीन, तोड, काट, मार, खोद या अन्य उपायों से प्राप्त कर वह अपनी क्षुधा शान्त करता था। इसी प्रकार भोग की इच्छा होने पर उसे जब, जहाँ,

जो भी नारी मिलती, उसकी इच्छा-अनिच्छा अथवा स्वीकृति-सहमति की परवाह किए बिना ही वह अपनी भोगेयता शान्त करता था। (नारी के अभाव में कई बार उसने अनेक प्रकार के अप्राकृतिक उपायो तथा पशुओं से भी ऐसा किया है।) नारी की इच्छा-अनिच्छा अथवा स्वीकृति-अस्वीकृति, उसके साथ भोग करने के अधिकार-अनधिकार तथा इस कृत्य के परिणाम आदि की चिन्ता करना तब तक वह सीखा ही नहीं था।

पर स्मरण रहे, यह आदि-काल की बात है। ऐसे आचरण को देख कर, पुरुष को केवल बर्बर अथवा बलात्कारी कहने से ही काम न चलेगा। अपने मन या इच्छा से अधिक उससे यह सब करवाना प्रकृति का काम था। अज्ञान के कारण प्रकृति पर उसका कोई वश न होकर उस पर प्रकृति का ही अधिकार था। भूख-भोगेयता के तकाजो को दबाने की न उसे कोई जरूरत देख पड़ती थी और न कभी उसने इनकी पूर्ति में कोई सामाजिक अथवा नैतिक निषेध की ही सृष्टि की। जल, थल और नभ पर किसी का अधिकार न था, अतः अपनी भूख मिटाने के लिए पशु-पक्षियों का शिकार करने अथवा कन्द-मूल-फल प्राप्त करने के मार्ग में उसे किसी प्रकार के अवरोध-विरोध अथवा प्रतिद्वन्द्विता का सामना नहीं करना पड़ता था। पर जब सुगमता और प्राचुर्य से खाल्य मिलनेवाले स्थानों पर एक से अधिक पुरुषों की दृष्टि जमी, तो बलपूर्वक उसने उत्तम स्थानों को अपने एकाधिकार में कर लिया—अर्थात् कुछ भू-भागों को पुरुष-विशेष अपनी सम्पत्ति समझने लगा। लगभग यही बात भोगेयता की तृप्ति के सम्बन्ध में भी हुई। नारी के शारीरिक एवं मानसिक अवरोधों के सिवा—जिन पर वह अपने शरीर-बल से सहज ही विजय प्राप्त कर लेता था—उसके सामने सबसे बड़ी बाधा थी दूसरे नर या नरों की प्रतिद्वन्द्विता की, जो उसीके समान अपनी भोगेयता की तृप्ति के लिए बलात्कार की शरण लेते थे। अतः नारी को 'प्राप्त' करने के लिए उसे अकसर प्रतिद्वन्द्वियों से

सघर्ष करना पड़ता था और 'विजयी' होने पर भूमि ही की तरह वह नारी को भी अपनी 'सम्पत्ति' समझ कर अधिकारपूर्वक ग्रहण करता था।

किन्तु आदि-कालीन मानव का ज्यो-ज्यो विकास होता गया, त्यो-त्यो उसके भूख-भोगेषणा की पूर्ति के ढंग भी बदलते-मुघरते गए। ज्यो-ज्यो वह 'सभ्य' होता गया, शरीर ही की तरह उसने अपने मन और शरीर के व्यापारो को भी ढँकना शुरू किया। परन्तु उसके जीवन का मूल धर्म कभी नहीं बदला, समयानुसार उसके बाह्य रूपो में परिवर्तन अवश्य होते गए। उसके अब तक के विकास का सारा इतिहास उसके जीवन के इसी मूल सत्य की नग्नता एव उसकी अभिव्यक्ति की बाह्य कुरूपता को कम करने अथवा ढँकने—नर-नारी की भूख-भोगेषणा की तृप्ति को दोनों के लिए अधिकाधिक सुगम, स्वस्थ, सुखद, स्वाभाविक, ऐच्छिक एव समान स्वातन्त्र्यपूर्ण बनाने—के प्रयास एव सघर्ष का ही इतिवृत्त है। युगातीत सघर्षों, षड्यन्त्रों एव रक्तपात के बाद उसने यह समझा कि जब सभी नर-नारी में भूख-भोगेषणा समान रूप से है, एक की उभयेषणा की तृप्ति दूसरे के मार्ग में बाधक नहीं होनी चाहिए। यह अस्वाभाविक एव अदूरदर्शितापूर्ण बाधा ही सारे सघर्ष, प्रतिद्वन्द्विता अथवा झगडों की जड़ है। इसे हम नर-नारी में व्यष्टि से समष्टि की भावना या सामाजिकता का उदय कह सकते हैं। शरीर अथवा अस्त्र-वल से लड़ कर सारे मसले हल करने के वजाय, जब मानव ने बुद्धि अथवा समझ से काम लेना शुरू किया, सघर्षों का स्थान समझौतो ने ले लिया और निरकुश स्वेच्छा-चार का स्थान आचरण के सामाजिक नियम-कानूनों ने। अब वह कितना ही भूखा क्यों न हो, किसी के भी खेत से अनाज या किसी की भी दुकान या घर से खाद्य लेकर भूख मिटाना अनुचित, गैरकानूनी और चोरी समझने लगा। सामाजिकता अथवा सामूहिक जीवन की भावना के कारण मानव-समाज में ऐसी शक्ति आ गई कि इस तरह अवैध आचरण करने-वालो को दण्डित एव बहिष्कृत किया जाने लगा। भोगेषणा की तृप्ति

के मार्ग में तो यह सामाजिक अवरोध और भी कड़ा साबित हुआ। उससे कितना भी व्याकुल होने पर नर का चाहे जिस स्थान पर और चाहे जिस नारी से उसकी इच्छा के विरुद्ध भोगेपणा की तृप्ति करना पाप और अनीति-पूर्ण समझा जाने लगा।

पर मानव-समाज इस दिशा में विशेष आगे नहीं बढ़ा। धर्म, जाति, रक्त, वर्ण आदि के नाम पर नर-नारी के बीच में अनेक नई ऊँची दीवारें खड़ी हो गईं। शरीर ही की तरह सबका बौद्धिक विकास भी एक-सा नहीं हुआ है। बकौल हेवलक एलिस के सभ्य और सस्कृत मानव बड़ा कपटी जीव हो गया है। अपने सकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को उसने अनेक देशों, जातियाँ, धर्मों, वर्णों और रक्त-श्रेणियों में बाँट दिया है। एक दिन जो निर्द्वन्द्व एव निर्वस्त्र नर-नारी पहाड़ों-जगलों-मैदानों में घूमते और बिना किसी शर्म या भिन्नक के जब और जहाँ भी इच्छा हुई अपनी भूख-भोगेपणा पूरी कर लिया करते थे, आज उन्होंने अपने बीच में न सिर्फ वस्त्राभूषणों और ईंट-पत्थरों की दीवारें ही खड़ी कर ली हैं, बल्कि देश, जाति, धर्म, कानून, वर्ग, वर्ण, दासता, शोषण आदि के रूप में न-जाने कितने विभाजक पर्दे और दीवारें भी खड़ी कर ली हैं। इनमें से कुछ का, किसी हद तक, औचित्य एव आवश्यकता स्वीकार भी की जा सकती है, पर अधिकांश ने तो नर-नारी के सम्बन्धों को काफी कटु, अस्वाभाविक एव पाशविक बना दिया है। जिस प्रकार जमीन पर 'शासक', 'सरकार' या 'राष्ट्र' के नाम पर मुट्ठी-भर लोगो ने अधिकार जमाकर उत्पादन के सारे साधनों को अपनी बपीती बना लिया है और अधिकांश लोगो को भूखो मरने पर मजबूर किया है, उसी प्रकार धर्म, जाति, रक्त, वर्ण, समाज और राष्ट्र के स्वयंभू धनी-धोरियों ने नर और नारी के सहज स्वाभाविक सम्बन्ध को भी एक खासा अच्छा व्यवसाय बना दिया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि जो वयस्क व्यक्ति पेतृक सम्पत्ति, उच्च पद अथवा अच्छी आय के न होने पर अपनी जाति, धर्म, वर्ण और समाज में अपना साथी

‘खरीदने’ की क्षमता नहीं रखते, वे दुराचरण या वेश्या-वृत्ति की शरण भले ही ले, ‘विवाह’ नहीं कर सकते। आज नर और नारी का सम्बन्ध बहुत-कुछ उनके वश के बाहर की-सी बात हो गई है। सभ्यता, सयम और सुरक्षा के नाम पर उस पर पवित्रता, धार्मिकता, नैतिकता और सच्चरित्रता का जो मुलम्मा चढाया गया है, उसने इसे एकदम कृत्रिम, खोखला और अस्वाभाविक बना दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नर और नारी का यह सहज-स्वाभाविक सम्बन्ध कानून और धार्मिक रस्म बन कर अपनी स्वाभाविकता एवं स्वतन्त्रता खो चुका है। अधिकांश घरों में तो आज यह धर्म या कानून-सम्मत बलात्कार अथवा व्यभिचार के रूप में ही कठिन साँसे लेता नजर आ रहा है।

पाषाण और धातु-युग का मानव आज कितना भी सभ्य, उन्नत एवं वैज्ञानिक विचारवाला क्यों न हो गया हो, पर पूँजीवादी समाज-व्यवस्था के कारण उसके समग्र जीवन का दृष्टिकोण एकमात्र पैसे से प्रभावित है। इस युग में मनुष्यों के तन और मस्तिष्क पैसे से खरीदे जाते हैं। जिस प्रकार धनाढ्य व्यक्ति चाहे जितने सुस्वादु व्यजन खरीद कर अपने उदर और रसना की तृप्ति कर सकता है, उसी प्रकार वह भोगेषणा की तृप्ति के लिए भी चाहे जितनी नारियों के शरीर खरीद सकता है। जिनके पास पैसा नहीं या कम है, वे वय-प्राप्त एवं स्वस्थ होने पर भी निकृष्ट एवं अप्राकृतिक उपायों का अनुसरण करते हैं। इसने नर और नारी के दृष्टिकोण को सर्वथा दूषित कर दिया है। इसीलिए आज नर के लिए नारी भोग की अन्य वस्तुओं की तरह ही एक खरीदी जा सकनेवाली चीज हो गई है। नर के इस दूषित दृष्टिकोण ने नारी को निरक्षर एवं अज्ञान-ग्रस्त रख कर आज ऐसा निर्जीव और नासमझ बना दिया है कि वह अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व एवं पृथक अस्तित्व को भूल-सी गई है। इसी भूली, खोई और अज्ञान-ग्रस्त नारी को नर ने वन्दनीया, पूजनीया, आत्मत्याग की प्रतीक और न-जाने क्या-क्या काव्यात्मक सजाएँ देकर अपनी

चिर-दासी बना लिया है। ऊपर हमने भारतीय महिला-सहायक-दल की सदस्याओं के जिन आरोपों का जिक्र किया है, वे इसी दासता, अज्ञान और रुढिगत कुसस्कारों से ग्रस्त दुर्बल और भूली-खोई नारी की चीत्कार-मात्र है। वह घर की चहारदीवारी छोड़कर बाहर युद्ध-क्षेत्र में आई, इसलिए उसे ऐसा कटु अनुभव हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। आए दिन समाज में—घरों में और घरों के बाहर—उसके साथ ऐसा ही वर्त्तव होता है, और इसके विरुद्ध इस तरह की चीत्कार अथवा अदालतों की ड्योढी नापने के सिवा उसके सामने जैसे और कोई चारा ही नहीं।

इन अभागी महिलाओं के आरोपों को ले कर जितना बड़ा राजनीतिक तूफान देश में उठा, उतना बड़ा सामाजिक भूकम्प नहीं आया। इससे यह अनुमान करना बेजा न होगा कि नारीत्व की इस तीखी लाञ्छना को भी चुपचाप सह लेने की हम लोगों में कितनी क्षमता है। जहाँ नारी देवी, गृहलक्ष्मी, माँ और न-जाने किन-किन पवित्र नामों से सम्बोधित की जाती हो, वहाँ उसका यह घोर अपमान सभा-सम्मेलनों में पास हुए चन्द प्रस्तावों और धारा-सभा में पूछे गए कुछ प्रश्नों के सिवा समाज में कोई गहरी और तीव्र प्रतिक्रिया पैदा न कर सका यह कम खेद और शर्म की बात नहीं है। पर पुरुषों से अधिक हमें इसकी शिकायत स्त्रियों से है। यह उनके अपने सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का प्रश्न है। चरित्र और नैतिकता के रुढिगत आदर्शों में विश्वास न होने पर भी हम इतना तो अवश्य ही कहेंगे कि इस युग में भी जो नारी पुरुष के बलात्कार से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, उसे किसी से इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए। एकाध लडकी के साथ किसी सैनिक ने छेड़-छाड़ या बलात्कार किया होता, तो उसे एक अकस्मात् और नारी के शारीरिक दौर्बल्य के कारण हुई दुर्घटना कह कर नजर-अन्दाज किया जा सकता था। पर जहाँ सैकड़ों जवान लडकियाँ रह रही हो और महीनों तक सामूहिक रूप से उनके साथ जोर-जबरदस्ती की जाती रहे और वे सिर्फ

भारत-रक्षा-कानून के डर से इसका भण्डाफोड न करे और न कोई सक्रिय सामूहिक विरोध ही, इस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर बहुत-सी लड़कियों का यह स्वीकार करना कि पदोन्नति के झूठे वादों, भविष्य के बड़े-बड़े मन्सूबों, किसी प्रकार का नियन्त्रण न होने और चारों ओर रँगरलियों के सामान होने आदि के कारण कई वार तो वे जान-बूझ कर इन प्रलोभनों में फँस गईं, उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। रही अज्ञानता, उपयुक्त बौद्धिक और नैतिक शिक्षा का न दिया जाना और अस्वाभाविक वातावरण, सो इनके लिए विदेशी शासन को, जो अपने स्थिर स्वार्थों एवं साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहा हो, सर्वांश में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लगभग सभी देशों की स्त्रियों ने पिछले महा-युद्ध में बहुमूल्य सहयोग दिया है। कल-कारखानों, दफ्तरों, अस्पतालों एवं युद्ध-क्षेत्रों में उन्होंने जो-कुछ किया है, उससे युद्ध जीतने में काफी मदद मिली है। पर किसी भी देश में ऐसे गम्भीर आरोप सुनने में नहीं आये।

ईमानदारी का तकाजा है कि भारतीय नारीत्व की इस लाञ्छना के मूल में हमारे देश की नारियों की जो अज्ञान-जनित बद्धमूल धारणाएँ, रुढिगत भ्रान्तियाँ और वरित्र तथा नैतिकता-सम्बन्धी मिथ्या भावनाएँ हैं, उन्हें हम स्वीकार करें, ठीक तरह से समझे और विश्लेषण के बाद उन्हें दूर करने की चेष्टा करें। जो मिथ्याभिमानी अपनी सभ्यता, सस्कृति और नैतिकता के अनुचित मोह में पड़ कर भारतीय नारीत्व को विश्व-नारीत्व से अलग, विशिष्ट एवं ऊँचा साबित करने की चेष्टा करते हैं, वे नारीत्व के सबसे बड़े और निकृष्ट शत्रु हैं। यदि हम इस कूप-मण्डूकता से तनिक ऊपर उठ सकें, तो हमें यह जानते देर न लगेगी कि अनेक बातों में श्रेष्ठ एवं उन्नत होते हुए भी भारतीय नारियाँ विश्व में सबसे अधिक गुलाम, पिछड़ी हुईं और अज्ञान-ग्रसित हैं। हम लोग जीवन, समाज, चरित्र आदि सब को आदर्शों की तुला पर ही तोलने के अभ्यासी हैं, जब कि

पूँजीवादी समाज-व्यवस्था में कोरे आदर्श थोथे ढकोसलो और दुर्बल को ठगने के अस्त्रों से अधिक कोई अस्तित्व या महत्व नहीं रखते। सहज-स्वाभाविक और सामान्य जीवन की बात हम न कभी सोचते हैं और न उस पर अमल ही करते हैं। आदर्शों के नाम पर कुछ अव्यावहारिक स्वप्नों की गठरी माथे पर लादे फिरना और एक दिन उसी के साथ चिता पर सो जाना ही मानो हमारे जीवन का सबसे ऊँचा आदर्श है। आदर्शों की कृत्रिमता के फेर में पड़ कर हम जीवन की सहज यथार्थता से मुँह मोड़ लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन दुराचार-पूर्ण, पलायनवादी, नीरस, असुखकर और भार-रूप हो जाता है तथा जब कभी उसमें परिस्थितिवश आकस्मिक आघात लगते हैं, तो हमारे आदर्शों का महल सहसा ढह पड़ता है और हमें जीवन बेकार-सा दिखाई देने लगता है। अतएव सहज सामान्य जीवन के लिए पहली आवश्यकता यह है कि हम छूँछे आदर्शों की दुम से लटकने की आकाशी वृत्ति छोड़े और जीवन को परिस्थितियों एवं समय की आवश्यकताओं के अनुसार ढालें। न नर को राक्षस और नारी को देवी समझे, न उनके प्राकृतिक सम्बन्ध को धर्म और नैतिकता के मुलम्मे से अवाच्छनीय रूप से चमकीला बनाने की ही कोशिश करें।

पर इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हम जीवन में नैतिकता और सच्चरित्रता के आदर्श को सर्वथा कोई स्थान नहीं देना चाहते। उनके सही मूल्य और महत्व को किसी भी हालत में अस्वीकार नहीं किया जा सकता, पर उनके थोथे स्वरूप एवं अनावश्यक महत्व के विरोधी हम अवश्य हैं। यदि असत आदमी को ईमानदारी से मेहनत कर सामान्य जिन्दगी बसर करने का मौका मिले, तो कभी भी वह जीवन को पतित एवं गहिँत नहीं होने देगा। आदर्शों की उड़ान न भर कर भी वह दुराचारी नहीं बनेगा। बुराई और बदमाशी पर आदमी तभी उतारू होता है, जब जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति का मार्ग बन्द कर दिया जाता है।

स्वाभाविक जीवन की जहाँ गुजाइश नहीं, वही अस्वाभाविकता का विस्फोट होता है। इसे कितना ही आकस्मिक एव आघातपूर्ण क्यों न कहा और समझा जाय; पर इसके कारण और परिस्थितियाँ हम स्वयं उपस्थित करते हैं। दूसरे शब्दों में आज का समाज मनुष्य को सहज-स्वाभाविक जीवन से वंचित कर दुराचरण अथवा नैतिक स्वलन के लिए ही विवश-सा करता है।

सबसे पहली बात, जिस पर हमें ध्यान देना है, वह है नर और नारी के सगन्धों की अस्वाभाविकता। युग बदले, युग-धर्म बदला, पर हम अभी वही सदियों पहले की लीक पीट रहे हैं। आज भी हमारे देश में, अपवादों को छोड़कर, जीवन-साथी चुनने की जिम्मेदारी माँ-बाप की ही है। जहाँ लड़के-लड़की जवान और सुशिक्षित होते हैं, वहाँ भी यह जिम्मेदारी माँ-बाप अथवा सरक्षक की ही रहती है—बल्कि इसे जिम्मेदारी से अधिक वे अपना अधिकार समझते हैं, और अनेक बार तो लड़के-लड़की की इच्छा और सरक्षक के इस अधिकार-पालन में व्याघात उपस्थित होने पर जीत सरक्षक की ही होती है। कुछ लड़के-लड़की सम्पत्ति के लोभ से और कुछ माता-पिता अथवा सरक्षक का जी न दुखाने या मन न तोड़ने के मोह से अपनी 'इच्छा' की उनके 'अधिकार' पर बलि दे देते हैं। कहीं-कहीं लड़के तो सरक्षकों के इस अधिकार को चुनौती देते अथवा उसके खिलाफ वगावत करते भी हैं, पर लड़कियाँ तो अपेक्षाकृत बहुत ही कम। इस तरह विवाह के नाम पर होनेवाला उनका यह मूक बलिदान भारतीय जीवन का बहुत बड़ा कलक है।

जीवन का साथी स्वयं चुनने के खिलाफ पुरातनपन्थियों की सबसे पेटेण्ट दलील यह है कि चूँकि प्रेम अन्धा होता है, जवानी विवेकहीन होती है, यह चुनाव अनुभवी माता-पिता अथवा सरक्षक द्वारा होना ही समीचीन है। यह दलील इतनी खोखली और लगो है कि आज इसकी व्यर्थता सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी श्रेणी के लोगों का कहना है कि

चूँकि अधिकांश लडकियाँ पढी-लिखी नहीं, अतः वे जीवन-साथी के चुनाव में अपनी स्वतन्त्र इच्छा से काम नहीं ले सकती। पर शिक्षित होने पर भी बहुधा वे अपने सरक्षकों पर ही निर्भर करती हैं। इसका कारण यह है कि आजकल की अधिकांश लडकियाँ शिक्षा पाकर भी परम्परागत रूढ़ियों से मुक्त नहीं हो पाती। (यही हाल लडकों का भी है।) आर्थिक स्वावलम्बन में तो अभी वे बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। एक तो उनकी शिक्षा जैसी होनी चाहिए, नहीं होती, दूसरे जन-साधारण की भ्रान्त धारणाओं एवं सामाजिक स्तर के बहुत गिरे हुए होने के कारण पुरुष ही की तरह वे आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं हो पाती। टेलीफोन, अस्पताल, शिक्षा-विभाग आदि को छोड़ कर बहुत कम क्षेत्रों में उन्हें उपयुक्त काम मिल सकता है। अपनी पश्चिमी बहनो की तरह दफ्तर के भीतर और बाहर के अनेक कामों के लिए अभी वे अपना कृतीत्व सिद्ध नहीं कर पाई हैं। यह कहना सर्वांश में ठीक नहीं कि अवसर मिलने पर वे सब-कुछ कर सकती हैं, क्योंकि अन्य देशों की नारियों की अपेक्षा भारतीय नारी अभी आचरण और नैतिकता के अनुचित महत्त्व और पुरुषके साथ खुलकर बात-चीत करने एवं घुल-मिल सकने की भिन्नक से मुक्त नहीं हो सकी है। पढ-लिख कर वह घर से बाहर जरूर आई है, पर बाहर की आज्ञादी जैसे उसे एकदम सकटापन्न, डुरूह एवं महँगी-सी जान पड रही है।

यदि केवल अवसर मिलने का ही प्रश्न है, तो पिछले महायुद्ध ने अन्य देशों की भाँति भारतीय महिलाओं को भी काफी बड़ा अवसर दिया। देश की राजनीतिक गुलामी के कारण जन-साधारण की भावना युद्ध में विदेशी शासकों की मदद न करने की ओर ही अधिक थी, अतः जितनी शिक्षित स्त्रियाँ युद्ध-कार्यों में भाग लेने को आगे आ सकती थी, नहीं आईं। जो आईं, वे गरीब या निम्न मध्यम-श्रेणी की थीं। सामान्यतया ये शिक्षित ही थीं। पर इस सब के बावजूद इनमें से महिला-सहायक-दल में भर्ती हुई बहनो के साथ जो-कुछ-हुआ, उसे क्या कहा जाय? आर्थिक

स्वावलम्बन तो इन्हे मिला, पर अज्ञान, उच्चाकाक्षा, अस्वाभाविक वातावरण, कठिनाइयो और प्रलोभनों के कारण ये अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाईं। क्यों? जिन्हे यह नहीं मालूम कि वे क्या और क्यों पढ रही हैं, स्कूल और कालेज जाने-लेआने के लिए जिन्हे एक सरक्षक की जरूरत पडती रही है, ट्राम, बस और दफ्तरों में जो अकेली चलने में झिझकती हैं, अजनबी पुरुषों से खुल कर बात करने में जो शरमाती हैं और सबकुछ पढ कर भी नर तथा नारी के सम्बन्धों के बारे में जितना ज्ञान न-कुछ, अधूरा या भ्रान्तिपूर्ण ही रहता है, वे भला अकेली अपने पाँवों पर कैसे खड़ी हो सकती हैं? यूरोप और अमरीका की न-जाने कितनी स्त्रियाँ आज दूर देशों में अकेली रह कर बड़े-बड़े काम और जीविकोपार्जन कर रही हैं। पर कितनी भारतीय स्त्रियाँ आज, विदेशों को जाने दीजिए, अपने ही देश में अकेली रह कर सुख-शान्ति से जीवन-यापन कर पाती हैं?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय नारियों में (पर सिर्फ शहरों में ही) शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है और आर्थिक स्वावलम्बन की ओर भी उनकी प्रवृत्ति हुई है। आज उनकी स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा एवं अधिकारों के दावे भी किए जा रहे हैं। जाग्रति और लोकतन्त्र के इस युग में इनका स्वागत और समर्थन ही किया जाना चाहिए। पर स्वतन्त्रता और अधिकार माँगने से नहीं मिला करते, वे प्राप्त किए जाते हैं। उनके उपयोग और उन्हें कायम रखने के लिए नारी में क्षमता होनी चाहिए। भारतीय महिला-सहायक-दल की सदस्याओं—सब नहीं—के साथ हुए तथाकथित दुर्व्यवहार से स्पष्ट है कि यह क्षमता अभी भारतीय नारी में नहीं आई है। शिक्षा ने उसे नौकरी के लायक भले ही बना दिया हो, आत्म-विश्वास और आत्म-बल वह उसे नहीं दे सकी और न रुढिगत कुसस्कारों से उसे मुक्त ही कर पाई है। जो नारी पढ-लिखकर घर से बाहर जाती है, जीविकोपार्जन के सघर्ष में पडती है, उसे अपनी देह और चरित्र की रक्षा और चारित्रिक नैतिकता को धार्मिक तथा घर के अब तक

के कैदखाने की धारणाओं से भिन्न करके देखना-समझना होगा। हर स्त्री यदि अपनी लज्जा-रक्षा के लिए द्रौपदी की तरह कृष्ण को ही पुकारेगी, तो उसे बुरी तरह निराश होना पड़ेगा। इसी प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी यदि वह सतर्क और सम्यक् रूप से अभिज्ञ न होगी, पर-पुरुष के स्पर्श-मात्र से ही यदि अपने चरित्र अथवा सतीत्व को भ्रष्ट मानने लगेगी, तो घर की कैद से अच्छा और सुरक्षित स्थान भला उसके लिए और कहाँ होगा ?

पर क्या आज की नारी विकास-मार्ग की कठिनाइयों से डर कर फिर उसी युगातीत गुलामी में मुँह छिपा लेगी, जिसने उसे पूजनीया और वन्दनीया कहलवा कर भी पुरुष के पाँव की जूती ही बनाये रक्खा है ? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। आज उसे आगे बढ़ने—स्वतन्त्र और स्वावलम्बी होने—के अवसरों से लाभ उठाना होगा। उसे आँचल के दूध और आँखों के पानी को आत्मवल एव आत्म-विश्वास में बदलना होगा। चरित्र और नैतिकता-सम्बन्धी रुढिगत भ्रान्तियों से उसे अपने-आपको मुक्त करना होगा। अवाञ्छनीय नरों की कुचेष्टाओं को विफल करने, उन्हें दण्डित करने-कराने का साहस तथा मनोनुकूल जीवन-साथी चुनने की क्षमता एव विवेक उसे अपने में पैदा करना होगा। जीवन-क्षेत्र की फिसलती जमीन पर उसे मजबूती से अपने पाँव टिकाने होंगे और मजबूत हाथों से बलपूर्वक अपने अधिकार, समता-स्वतन्त्रता, प्राप्त करने होंगे। जब वह घर से बाहर आई है, तो उसे अपने-आपको बाहर की परिस्थितियों-आवश्यकताओं के अनुरूप भी बनाना होगा। आज का समाज शरीर नहीं, बुद्धि-बल से संचालित होता है। अतः उसे अपने-आपको शरीर या बुद्धि में पुरुष से दुर्बल समझने की भ्रान्ति त्याग कर बुद्धि से काम लेना होगा। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से भी बढ़ कर उसके लिए सच्चा विद्यालय जीवन का क्षेत्र एव सघर्ष है। अपने बुद्धि-बल और कौशल से इसमें उचित शिक्षा प्राप्त करना और सफल होना

ही उसकी सफलता कही जायगी । इसी सफलता द्वारा वह अपनी सारी अयोग्यताओं, कमियों, बाधाओं और सामाजिक तथा ग्रंथनीतिक अनाचारों से मुक्त हो स्वच्छन्दता एवं स्वावगम्यन की साँस ले सकेगी ।

जीवन-साथी का चुनाव

विवाह शायद सृष्टि के आदि-काल से ही मानव जीवन का सबसे विपम और जटिल प्रश्न रहा है। चाहने और प्रयत्न करने पर भी मनुष्य इसे उचित और सन्तोषजनक रूप में हल नहीं कर सका है। आज भी यह उसके सामने उसी रूप में उपस्थित है, जिस रूप में यह उसके कई पीढ़ियों पहले के पूर्वज के सामने था। पर इसका कारण मनुष्य की अक्षमता या अज्ञान नहीं, विवाह की गहनता है, जो उसके लिए कभी न हल होनेवाली पहली-सी बनी हुई है। हाड-मांस का पुतला यह 'मानव' न कभी अपनी कल्पनाओं को सत्य कर 'देवता' बन सका है और न ही वह धर्म तथा नीति की सीमाओं में बाँध कर भी विवाह को 'आदर्श' बना सका है। प्रयत्न तो आज भी वह इसी बात के लिए कर रहा है कि विवाह को सभ्यता और सस्कृति की ऊँची-से-ऊँची सीढ़ी पर पहुँचाये और अपनी सुनहली कल्पनाओं के स्वर्ग को पाप और प्रमाद की इस पृथ्वी पर लाये।

विवाह एक सस्कार है, जिसका शास्त्रों में विधान है। पर हमें शक है कि सस्कार और विधान बन कर भी यह सही मानी में अपनी उपयोगिता और आवश्यकता सिद्ध कर सका है? सभी विधान तो सफल नहीं होते? सस्कार हमने उसे ज़रूर बना लिया है, पर वह एक औपचारिकता से अधिक कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन के सत्य अथवा वास्तविकता के साथ यह औपचारिकता कितनी घुल-मिल सकी है, यह तो हमें अनुभव की कसौटी पर ही कस कर देखना है। माता-पिता वर-वधू का निर्वाचन—अगर इसे 'निर्वाचन' सजा दी जा सके—कर देते हैं और ब्राह्मण, मौलवी या पादरी उनका 'पाणि-ग्रहण' करा उनके 'सम्बन्ध' पर धर्म की मोहर भी लगा देता है। इसके बाद माता-पिता और विवाह

करानेवाले अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से वरी हो जाते हैं। लेकिन वर और वधू का यह 'पाणि-ग्रहण' क्या वास्तव में दो हृदयों को, शरीरों को, स्नेह-सूत्र में बाँधनेवाली एक सुखद नैतिक ग्रन्थि होती है या सिर्फ कुत्ता-घसीटी और फजीहत ही, यह तो वर-वधू ही बतला सकते हैं। जब विवाह के बाद वर और वधू जीवन के नग्न सत्य का सामना करते हैं, एक-दूसरे के इतने निकट आते हैं जहाँ किसी भी तरह के मध्यस्थ की गुञ्जाइश नहीं रहती, तब वे अनुभव करते हैं कि अपने जीवन का साथी चुनने में बड़ों के लिहाज और समाज के नियम-प्रतिबन्धों से काम लेकर उन्होंने शायद अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हमारा यह अभि-प्राय नहीं कि विवाह के मामले में बड़ों के अनुभव या सलाह से लाभ न उठाया जाय, पर यह हर हालत में वैकल्पिक होना चाहिए, लाजिमी नहीं। अपने साथी के चुनाव का अन्तिम निर्णय तो उन्हीं को करना चाहिए, जिन्हें जीवन-भर साथ रहना है।

लेकिन इस सम्बन्ध में भी यह आपत्ति की जा सकती है कि पश्चात्य देशों में तो विवाह वर-वधू की इच्छा से ही होते हैं, फिर वे असफल क्यों होते हैं? इस प्रकार की आपत्ति काफी माकूल है। आदमी जो कुछ निर्णय करता है, वह सदा-सर्वदा के लिए ठीक हो, यह जरूरी नहीं। रोज बदलने-वाली स्थिति तथा नई-नई घटनाओं और अनुभवों का हमारे जीवन पर अनिवार्यतः असर होता है और उसीके अनुसार हमारे जीवन का दृष्टि-कोण भी बदलता जाता है। आज हम जिसे ठीक समझते हैं, कल वह ठीक नहीं मालूम या कुछ कम ठीक होता है। वय के साथ ज्यो-ज्यो हमारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो हमारी बुद्धि और निर्णय-शक्ति भी सशोधित और परिमार्जित होती जाती है। परिवर्तन तो प्रकृति का अटल नियम है। विवाह की समस्या और उसके हल की भी हमें इसीके मुताबिक कतर-ब्यौत बैठानी पडती है। उचित और जरूरी यही है कि हम आज तक के अनुभवों से पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए कल का

अगला कदम बढ़ाये, ताकि पिछली गलतियों की पुनरावृत्ति होने का डर न रहे। जो लोग स्वयं अपना जीवन-साथी चुनते हैं—जिसके चुनाव की गलती की जिम्मेदारी वे अपने सिवा किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते—उन्हे किन-किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है ?

विवाह में जिन बातों का मुख्यतया ध्यान रखा जाना चाहिए, वे हैं पात्र और काल। पर पात्र से भी पहले काल विवाह में विचारणीय पहलू है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में तो जहाँ लड़की १२-१३ वर्ष की हुई और लड़के की रेख फूटी नहीं कि उनकी शादी की बातचीत शुरू हो जाती है। अभिभावक कहने लगते हैं कि अब यह शादी के लायक हो गए हैं। अगर लड़की १५-१६ और लड़का १८-२० की उम्र पार कर जाय, तब तो अभिभावकों को उनके विवाह की इतनी अधिक फिक्र हो जाती है कि कर्ज लेकर या बड़ी-से-बड़ी जोखिम उठा कर भी वे अच्छे या साधारण पात्र का विचार किये बिना उनकी शादी का 'पाप' काट देते हैं। वे अक्सर कहा करते हैं कि जवान होने पर अगर शादी नहीं की गई, तो लड़के-लड़की के विगडने का खतरा है। जवान लड़के और लड़की को इतनी आगड्ढा और भय की दृष्टि से देखा जाता है जैसे वे कोई भयङ्कर ज्वालामुखी हैं, जो न-मालूम कब फूट पड़े। माता-पिता के अलावा सभी परिचित-परिजन और पास-पड़ोसवाले भी उठते-बैठते उनके विवाह का ही जिक्र करेंगे। कभी-कभी तो दो व्यक्तियों के विवाह के लिए चिन्तित होनेवाले व्यक्तियों की सख्या का अन्दाज़ा लगाना भी कठिन हो जाता है। हर नौजवान से नाम, निवास-स्थान, शिक्षा और पेशा, जायदाद या वेतन वगैरह पूछने के बाद शादी का सवाल जरूर पूछा जाता है—वह विवाहित है या अविवाहित ? अगर विवाहित है तो कितने बाल-बच्चे हैं, और अगर अविवाहित है, तो क्यों ? अब तक शादी क्यों नहीं हुई ?

यह समझना काफी मुश्किल है कि हम लोगो ने आखिर विवाह को

इस प्रकार हौआ क्यों बना रक्खा है ? माता-पिता और पडोसियों को लडके-लडकियों के जवान होते ही उनके 'बिगड जाने' की आशङ्का क्यों होने लगती है ? अधिकांश लोगो पर विवाह का भूत इस बुरी तरह क्यों सवार है ? इन प्रश्नों पर अगर हम जरा बारीकी से विचार करे, तो हमें इनकी तह में एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा मिलेगा । यह सत्य हमारी कमजोरियों और खामियों का एक नग्न-चित्र है, जो निस्सन्देह अत्यधिक काला है । जिस नवयुवक या नवयुवती के सामने इच्छा या अनिच्छापूर्वक विवाह या बिगड जानेकी आशङ्का, बस यही दो विकल्प हो, उसे अपना भविष्य बनाने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पडता है, यह कोई भुक्त-भोगी ही बता सकता है । ज्योही वह अपने-आपको या दुनिया को समझने लायक हुआ, उसके सामने विवाह का एक ऐसा धुआँधार तूफान उठ खडा होता है कि वह उसके भीतर से आशा या प्रकाश की कोई क्षीण-रेखा भी नहीं देख सकता । उसे ऐसा मालूम होता है मानो वह जीवन-भर इस तूफान से लडेगा और लडता-लडता ही अपनी विफलता की थाती दूसरों के लिए छोड कर एक दिन शिथिल होकर सदा के लिए गिर पडेगा । यही उसके आशा और आकाक्षामय जीवन की और उसके सुनहले सपनों की दुखद इति होगी ।

X (विवाह नर और नारी के जीवन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सस्कार एवं व्यापार है) हम यहाँ विवाह को उसी रूप और अर्थ में मान कर चलते हैं, जिसमें कि वह आमतौर पर आजकल समझा जाता है । विवाह की रस्म पुरी की जाने से पहले उसकी आवश्यकता, अनिवार्यता और अहमियत को जतलाने के लिए हमारे घर, पडोस और समाज में जो वाता-चरण तैयार कर दिया जाता है, अधिकांश लडके-लडकियों को उसीकी रोशनी में अपना मार्ग तय करना पडता है । उससे ऊपर उठ कर या उसकी सीमाओं से परे कुछ देखने या करने की क्षमता और साहस बहुत कम लोगो में पाया जाता है । इसीलिए विवाहेच्छुको को विवाह का

काल लोक-लज्जा और शायद अपनी निजी कमजोरियों को देख कर ही निश्चित करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में जवान होते ही लड़के-लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है या उन्हें विवाह कर लेना पड़ता है। विवाह केवल काम-वासना की तृप्ति ही तो नहीं है। वह कुछ और भी है, जिसे शायद शब्दों में हम ठीक-ठीक न बतला सकें।¹⁰ सेक्स-सम्बन्ध या काम-वासना की तृप्ति तो विवाह के बिना भी हो सकती है—और शायद सभी कालों में होती भी रही है—लेकिन जीवन के सच्चे साथी की प्रीति और प्रेरणा द्वारा जिस जीवन-इकाई का निर्माण होता है, वह तो अच्छे विवाह के बिना सम्भव नहीं। केवल कानूनी औपचारिकता और धार्मिक रस्म ही तो विवाह नहीं है।

○ आज हमारे देश के विभिन्न वर्गों और जातियों में जो विवाह होते हैं, वे निश्चित रूप से 'ठीक समय' पर नहीं होते। यही कारण है कि अधिकांश विवाह एकदम असफल रहते हैं। आजकल हमारे यहाँ विवाह का 'ठीक समय' जवानी का आरम्भ समझा जाता है। शायद यह समझ या धारणा हमें कई पीढ़ियों से विरासत में मिली है। युवावस्था में स्वभाव-तया काम का वेग प्रबल और कुर्दमनीय होता है। इसलिए इस अवस्था में होनेवाले विवाहों का उद्देश्य काम-वासना की तृप्ति प्रधान और सस्कार या जीवन-साथी की भावना गौण हो जाती है। ऐसे विवाहों का आकर्षण जितना भी हो, उनका महत्त्व एवं सार्थकता कम है। इनमें अपने जीवन का साथी उसीको चुनने का प्रत्यक्ष या परोक्ष भुकाव रहता है, जो अधिक-से-अधिक सुन्दर और सुडौल हो, और 'कामदेव' की प्रसन्नता एवं सन्तुष्टि के लिए अधिक-से-अधिक योग दे सके। काम एक ऐसा मद है, जो शान्त होने की बजाय अधिक भडकता है, जब तक उसकी आग मानव को शिथिल कङ्काल नहीं बना देती। वह ऐसे विवाह में स्वर्ग का सुख देखता है और अपने साथी को 'प्रेम' से ओत-प्रोत कर देता है। जब तक शारीरिक सम्पर्क से पैदा होने वाला यह आकर्षण और प्रेम रहता है, विवाह उसके

लिए पश्चात्ताप का कारण नहीं बनता, पर इसके कम होते ही वह 'विवाह' को झूठ या जजाल समझने लगता है। यद्यपि समाज और कानून का डर उसे यावज्जीवन इस जजाल से पिड नहीं छुड़ाने देता, पर वास्तव में वह जीवन का सच्चा सुख और सन्तोष खो बैठता है। शारीरिक सम्पर्क की यह प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त होती है कि वह सिर्फ विवाह या वैवाहिक जीवन से विकर्षण ही पैदा नहीं करती, बल्कि घर, पडोस और सुतराम् ससार से भी एक तरह का गहरा विराग और विकण्ठा-सी पैदा कर देती है। विवाह के गलत तरीके की इस भोड़ी विफलता पर पर्दा डालने अथवा इसे जीवन की विजय और सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए हमने अपनी अहमन्यता के द्वारा वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रमों की सृष्टि कर ली है ! यह मनुष्य का दूसरों को धोखा देने के बाद अपने-आपको धोखा देने का एक कलुष प्रयत्न-मात्र है। जिस स्त्री को वह अग्नि की साक्षी देकर 'अपनाता' है और यावज्जीवन साथ रखने की 'प्रतिज्ञा' करता है, वाद में उसीको छोड़ कर जङ्गल में जाकर तपस्या करना ही उसका 'पवित्र कर्त्तव्य' और 'धर्म' हो जाता है। अगर हम इन सब बातों पर बारीकी से विचार करें तो हमें पता चलेगा कि इनकी तह में विकृत काम का विकर्षण और प्रतिक्रिया के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसमें विवाह का इतना दोष नहीं, जितना काल और पात्र के चुनाव की अनुपयुक्तता का है।

प्रश्न उठता है कि विवाह की ठीक वय क्या है ? अगर वह जवानी के उष काल में न किया जाय, तो क्या जवानी के ढल जाने पर किया जाय ? और क्या इस प्रकार किया गया विवाह वास्तव में 'विवाह' की आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा ? नीति और धर्म की तराजू पर इन बातों को नहीं तोला जा सकता। हमें तो इनको अनुभव और उपयोगिता की कसौटी पर कस कर देखना है। ऐसा करने की जरूरत इसलिए भी है कि लोहे की लकीर की तरह विवाह की वय की कोई मर्यादा निश्चित नहीं की जा सकती। हर स्थिति, स्वभाव और स्वास्थ्य वाले आदमी

के लिए इसका विभिन्न होना स्वाभाविक है। हमें तो ध्यान केवल इस बात का रखना है कि विवाह की वय या काल निश्चित करते समय क्या आधार होना चाहिए ? इस सम्बन्ध में हम फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजवादी लेखक और राजनीतिज्ञ मौ० ल्यूँ ब्लुम के अनुभव का जिक्र करने का लोभ सवरण नहीं कर सकते। मौ० ब्लुम एक यथार्थवादी है और समाजोप-योगिता के अनुभव के आधार पर ही जीवित रहने का मार्ग निश्चित करने के पक्षपाती है। विवाह की समस्या का आपने कई वर्षों तक बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और अपने अनुभवों के निचोड़ को 'Marriage' नाम की एक पुस्तक के रूप में लोगों के लाभार्थ पेश किया है। इस पुस्तक में अधिकांशतः वैयक्तिक सम्पर्क के उदाहरण दिये गये हैं और फिर उनके स्वाभाविक परिणाम दिखाये गये हैं। स्थानाभाव के कारण यहाँ हम केवल उन उदाहरणों के निष्कर्ष की ही चर्चा करेंगे। सबसे उल्लेखनीय बात आपने यह बतलाई है कि पुरुष स्वभाव से ही बहु-स्त्री-नामी (Polygamous) है। यौवन के उष काल में वास्तविक अर्थों में—मनसा, वाचा और कर्मणा—उसका एक स्त्री के प्रति सच्चा वफादार होना सम्भव नहीं। हाँ, अपवादों की गुञ्जाइश इसमें जरूर है, लेकिन वह भी बहुत कम, क्योंकि आमतौर से पुरुष एक साधारण जीव के ही स्वभाव का है। पुरुष का यह स्वभाव फ्रांस में ही हो, यह बात नहीं। कमोबेश रूप में यह बात दुनिया-भर के पुरुषों के सम्बन्ध में सत्य है। सभी देशों और सभी कालों में नर और नारी के सामाजिक सम्बन्ध अधिकतर इसी स्वभाव-प्रेरणा से बनते हैं। वहाँ किसी नवयुवती का घर के बाहर के नौजवान से मिलना अनैतिक या अवाञ्छनीय नहीं समझा जाता। विवाह से पहले वहाँ अधिकांश पुरुषों के कई-कई 'प्रेम-सम्बन्ध' होते और टूट जाते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि पुरुष का यह स्वभाव आजीवन उसे स्त्रियों का पीछा करने को ही प्रेरित करता है। युवावस्था के प्रारम्भिक काल में, जब उसकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा को पहुँची हुई

होती है, वह अपनी वासना को पूरा करने के लिए बुद्धि और धन का अधिकाधिक उपयोग करता है। पर कुछ ही समय बाद उसकी यह भूख कम हो जाती है और शारीरिक शक्ति के अपेक्षाकृत कम हो जाने से स्वभावतया वह शिथिल हो जाता है। पर शारीरिक सम्पर्क की भावना कम जरूर हो जाती है, पर एकदम कभी मरती नहीं। इस समय पुरुष के हृदय में एक नई भावना उठती है। यह है शारीरिक सम्पर्क के लिए रस-लोलुप भ्रमर का जीवन छोड़कर किसी एक सच्चे जीवन-साथी के साथ सुख और शान्ति से सात्विक जीवन बिताने की। यही भावना उसे सच्चा सद्-गृहस्थ बनाती है और ऐसा कर वह समाज की एक उपयोगी सुशिक्षित और अनुभवी इकाई के रूप में जीवन व्यतीत करता है। यौवन के इस ज्वार के ढलने में ५, १० या १५ वर्ष भी लग सकते हैं। इतने समय का अनुभव पुरुष को विवाह के असली महत्व और आवश्यकता का कायल कर देता है और वह केवल एक साथी के साथ रहने की आकांक्षा करने लगता है अर्थात् इस अवस्था में वह एक पत्नी-व्रत वाला हो जाता है। फ्रांस में पुरुष की यह मनोदशा ३० से ५० वर्ष की अवस्था के बीच में रहती है। मी० ब्लुम ने इसी अवस्था के बाद का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम बतलाया है।

उपर्युक्त उद्धरण को पढ़ कर शायद बहुत से पाठक-पाठिकाएँ लेखक को ख्वती और स्वप्नदृष्टा समझे। उन्हें यह आशंका हो सकती है कि फ्रांस का अनुकरण कर हम दुराचार और अराजकता फैलायेंगे, जो हमारे मौरूसी सदाचार की सीमाएँ छिन्न-भिन्न कर देगी। पर क्या हमारा सदाचार यही है कि पर्दे के पीछे भाई का वहन तक से और स्वसुर का पुत्रवधू तक से अनुचित सम्बन्ध हो, अनेक घर दुराचार के अड्डे बने रहे, तीर्थ-स्थानों और मन्दिरों में सधवा और विधवा कुल-वधुओं की असमत का व्यापार होता रहे? जिस उम्र में हमारे यहाँ विवाह होते हैं, वह विवाह के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ विवाह की तैयारी या जमीन तैयार

करने के लिए उपयुक्त है। विवाह का ठीक समय तो यौवन का ज्वार—काम का वेग—ढल जाने के बाद ही है। इस समय वे अधिक गम्भीर समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। हमारे यहाँ यह अवस्था ३० और ४० के बीच में समझी जानी चाहिए। बहुतों को विवाह की यह अवस्था व्यावहारिक दृष्टि से शायद ठीक न जान पड़े, क्योंकि एक तो हमारा देश फ्रांस की अपेक्षा अधिक गरम है, दूसरे वहाँ की तरह नवयुवको और नवयुवतियों में स्वतन्त्र प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होने की यहाँ कतई गुञ्जाइश नहीं। ऐसी दशा में ३०-४० वर्ष की अवस्था तक नवयुवको और नवयुवतियों का “अखण्ड ब्रह्मचारी” रहना सम्भव नहीं। यह कठिनाई वास्तव में इतनी बड़ी है, जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें सदाचार के थोथे आदर्श और मिथ्या पवित्रता की भावना पर विजय पानी होगी। सेक्स के समुचित ज्ञान और उसके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण की हमें नितान्त आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो सेक्स-ज्ञान और अपने से विरोधी लिङ्ग के व्यक्ति को समझने और उसके साथ रहने का ‘उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य’ विवाह के बाद ही शुरू होता है। इससे पहले उसका जिक्र करना भी बेशर्मी और पाप समझा जाता है। हमारी संस्कृति में मनुष्य या तो ‘देवता’ है, या फिर एकदम ‘राक्षस’। इसके बीच की कोई स्थिति—जिसमें मनुष्य न देवता हो और न राक्षस, बल्कि एक साधारण कोटि का जीव हो—तो जैसे है ही नहीं। यही कारण है कि विवाह से पहले हमें सदाचार और ब्रह्मचर्य का जामा पहन कर कृत्रिम ‘देवता’ बनकर रहना पड़ता है। इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि विवाह के बाद पुरुष निरा पशु या ‘राक्षस’ बन जाता है और नारी उसका नि सहाय वाहन। अपने घर में वह जी खोल कर बलात्कार और बाहर दुराचार करता है। पर इसे बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसका करने वाला समाज के वर्तमान विधान के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता।

ऊपर हमने विवाह की वय के बारे में जो-कुछ लिखा है, वह केवल पुरुष को ही ध्यान में रख कर। स्त्री पर वह लागू नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि हम स्त्री और पुरुष में जान-बूझ कर किसी तरह का भेद करना चाहते हैं, बल्कि दोनों का शारीरिक विकास और प्रकृति ही इतनी भिन्न है कि समय के एक ही गज से उन्हें नहीं नापा जा सकता। पुरुष में पाशविक बल की और नारी में कोमलता एवं सहज-बुद्धि की प्रधानता होती है। इसलिए नारी का जो मानसिक विकास १६-१८ वर्ष की उम्र में हो लेता है, पुरुष का शायद २०-२२ तक भी नहीं हो पाता। इसी प्रकार शरीर की गठन और बनावट में भी नारी पुरुष को काफी पीछे छोड़ जाती है। १६-१८ वर्ष की कई लड़कियाँ अकसर पूरी औरत मालूम देती हैं, जब कि २०-२२ वर्ष का नौजवान लड़का-सा ही लगता है। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का विकास पुरुष से इतना भिन्न होता है कि उन्हें यह भेद और इसका कारण स्वतः स्पष्ट मालूम होने लगता है। हमारे देश का रहन-सहन, जलवायु और कई प्रकार की धार्मिक एवं सामाजिक मर्यादाओं और प्रतिवधों के कारण हमारे यहाँ की लड़कियों का यह एहसास (Consciousness) इतना गहरा होता है कि यदि हम यह कहें कि वे वय से पूर्व ही 'नारी' बन जाती हैं—कुछ तो नारीत्व के एहसास से उनके मन और शरीर पर पड़ने वाले असर के कारण और कुछ बड़ी-बूढ़ियों की शिक्षा और आशीर्वाद के कारण—तो शायद अत्युक्ति न होगी। दुर्भाग्यवश हमारे देश की माताओं का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है। उनका अनुभव पुरानी दकियानूसी परिपाटी और दन्त-कथाओं अथवा अपनी पूर्वजों से मिली हुई सीख का इस्तज्जत रूप ही है, जिसे वे अपनी पारिवारिक विरासत के कारण घुट्टी की तरह लड़कियों के गले उतार देती हैं। एक ओर उन्हें यह 'सिर-पैर की शिक्षा दी जाती है और दूसरी ओर उनके सामने सीता तथा सावित्री का आदर्श रक्खा जाता है। भले ही उन्हें किसी भी लम्पट या मूर्ख नर-पशु के गले बाँध दिया जाय, पर

उनके मामने सीता या सावित्री बनने के आदर्श और 'पति-परमेश्वर' की सेवा करने के 'धर्म' के भिवा और कोई विकल्प नहीं रहता ।

मध्य-श्रेणी के जिन परिवारों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाता है, वहाँ अमूमन देखने में आता है कि १२-१४ या इससे अधिक की उम्र होने पर लड़कियों का स्कूल जाना बन्द करवा दिया जाता है । उनके घर से बाहर निकलने, खिडकियों से झाँकने, शृङ्गार-रस या रोमास की चीजें पढ़ने, अधिक बनाव-शृङ्गार करने और एकान्त में बैठने-हँसने-खेलने आदि पर प्रतिबन्ध-सा लगा दिया जाता है । लड़की ने इस उम्र तक चाहे चौथी-पाँचवी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की हो, चाहे मिडिल या मैट्रिक पास किया हो, शिक्षा उसकी पूर्ण हुई समझी जाती है, और तब उसके विवाह की फिक्र होने लगती है । क्या इन माता-पिताओं ने कभी यह सोचने का कष्ट भी किया है कि उनकी लड़की के मन पर— जो पढ़ने की उत्प्रेरणा रखते हुए भी पटाई से हटा ली गई है और विवाह का मतलब न समझने पर भी जिसके विवाह की बातचीत या सौदे होने लगे हैं—तथा बीतती होगी ? माना कि माता-पिता के प्रति उसका आदर, आजाकारिता और कहे जाने वाले समाज की मर्यादा उसके मुँह पर ताना लगा देते हैं, पर क्या यह शील-सकोच तथा लिहाज-मुलाहिजा उसे अपनी मारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का खून कर अपने-आपको मन, वचन और कर्म से उस अपरिचित व्यक्ति को सौंप देने के लिए भी राजी कर लेता है, जिसे उसके सबसे बड़े हितेच्छु समझे जाने वाले माँ-बाप ने उसके जीवन-साथी के रूप में चुना है ? न मालूम कितने युगों में इस मर्यादा अर्थात् अर्थात् मानवता का विवाह की बेदी पर इस नृगण दग में चरिदान होता आया है । आज भी यह अबाध गति से जारी है और पट-निव कर् भी उसके विरुद्ध आज तक नारी ने कभी सामूहिक रूप में कोई प्रभावपूर्ण विरोध या आपत्ति नहीं की ।

नौन नहीं जानता कि नारी और नावित्री ने अपने विवाह के सम्बन्ध

मे अपने पिता के आदेशों की अवहेलना की थी ? आज भी जब-तब हम ऐसी लड़कियों का विवरण पढ़ या सुन लेते हैं । लेकिन यह सख्या कितनी कम है ? करोड़ों लड़कियों में से अगर १०-२० या १००-५० ने यह 'विद्रोह' किया भी, तो इससे क्या ? हम तो यह चाहते हैं कि विवाह का निर्णय शत-प्रतिशत लड़कियाँ (और लड़के भी) स्वयं करें । अगर माता-पिताओं को उन्होंने इस चिन्ता से मुक्त कर दिया, तो शायद वे उनका और अपना जीवन अधिक सुखी और सन्तोषप्रद बना सकें और लड़कियों के मन तथा शरीर पर वह कुप्रभाव न पड़े, जो माता-पिताओं की इस चिन्ता के परिणाम-स्वरूप पड़ता है । इससे होगा यह कि लड़कियाँ होश सँभालते ही विवाह के चक्कर में पड़ने के बजाय प्रकृत रूप से अपना विकास कर सकेगी और कब तथा किससे विवाह किया जाय, इसका निर्णय भी सोच-विचार कर खुद ही करेगी । लेकिन इससे लड़कियों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है । पहले तो हमारे समाज का सङ्गठन ही इतनी दकियानूसी, अस्वास्थ्यकर और दोषपूर्ण है कि मौजूदा वातावरण में लड़के और लड़की के बीच में खड़ी माता-पिता या सगे-सम्बन्धियों की ऊँची-मोटी दीवार का सामूहिक रूप से एकदम ढाया जाना असम्भव-सा लगता है । पर जो लड़के और लड़कियाँ ऐसा करने का साहस कर सकें, उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है । उन्हें विवाह की वय और पात्र का चुनाव काफी सोच-समझ कर करना चाहिए, ताकि फिर पछताना न पड़े और अपने विवाह के सुपरिणाम को वे दूसरों के सामने उदाहरण के तौर पर रख सकें, जिससे कम साहस वालों को भी प्रेरणा मिले । चूँकि सब लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास एक-सा नहीं होता, इसलिए सब के लिए विवाह की कोई एक वय निश्चित नहीं की जा सकती । यह तो प्रत्येक के लिए पृथक्-पृथक् ही होगी । साधारणतया इसे २० से ३० तक निश्चित किया जा सकता है । ३० से अधिक इसे ३५ तक भी ले जाया जा सकता है, किन्तु २० से कम तो किसी भी दशा

मे ठीक नहीं। विवाह के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शरीर और मन से कोई भी लड़की २० वर्ष से कम वय में शायद अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाती। हमारी समझ में तो वे न्यूनतम वय भी २२-२३ वर्ष रखें, तो और अधिक अच्छा हो।

बहुत से पाठक शायद लड़कियों के विवाह की न्यूनतम और अधिकतम वय को अव्यावहारिक या बहुत अधिक कहेंगे। उनके दिमाग में विवाह की जो धारणा है, उसे देखते हुए उनका यह विचार शायद ठीक भी है। हमारे यहाँ विवाह काम-विकार के शमन का एक सस्ता साधन समझा जाता है। विवाह का विचार हमारे दिमाग में पहले-पहल शायद काम-विकार से भी उत्पन्न होता है और उस अवस्था को पहुँचने से पहले ही, जब कि हम उसके उद्वेग को शायद रोक न सके, हमारे यहाँ विवाह ही चुकते हैं, ताकि लड़के-लड़कियों के 'विगडने' की सम्भावना न रहे। पर सच तो यह है कि विवाह को कानून और धर्म के शिकजे में कस कर हम उसे 'कानूनी-व्यभिचार' से अधिक कुछ नहीं बना सके हैं। यह हमारी युगो की मानसिक गुलामी और अन्ध-विश्वास का परिणाम है। लड़के-लड़कियों के युवावस्था में पाँव रखते ही उन्हें अथवा उनके अभिभावकों को उनकी काम-विकार की शान्ति के साधन जुटाने की फिक्र होने लगती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चूँकि मनुष्य मैथुनी सृष्टि का ही एक साधारण जीव है, उसमें इस प्रकार के विकार का उत्पन्न होना सर्वथा स्वाभाविक है। पर इसका प्रथम अकुर उत्पन्न होते ही सदा के लिए इसमें डूब जाना शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए हानिकर है। माना कि हमारे देश की जलवायु उष्ण है, जिसका हमारे मानसिक-विकारों और शारीरिक विकास के साथ गहरा सम्बन्ध है, पर इससे भी अधिक असर पड़ रहा है हमारे शरीर और मन पर, हमारी परम्परागत धारणाओं, विश्वासों और तथाकथित सांस्कृतिक अन्धविश्वास का। मनुष्येतर अन्य जीवों के लिए निद्रा, आहार और मैथुन ही 'धर्म' बन गया है, पर मनुष्य-योनि की

श्रेष्ठता इसीमें है कि वह इन सबको करता हुआ भी इनमें आपादमस्तक लीन नहीं होता और इनसे ऊपर उठ कर मानवता के विकास और उन्नति के लिए कुछ और भी करता है। काम-विकार उसके लिए आनन्द और मनोरजन का सस्ता साधन न बन कर वैसा ही रहा है, जैसा कि भूख, प्यास, निद्रा आदि। काम के वेग में अनियन्त्रित रूप से बह जाने से शरीर और मस्तिष्क को ऐसा धुन लग जाता है, जो हमें दुनिया में कोई महान् कार्य करने के योग्य नहीं रखता। इसीलिए विवाह का युवावस्था के प्रारम्भ में नहीं, बल्कि ढलाव के आस-पास होना जरूरी है, क्योंकि तब तक शरीर और मन दोनों ही कुछ शिथिल और परिपक्व हो चुकते हैं, और हम अपने जीवन का उद्देश्य एवं दिशा निर्धारित कर चुके होते हैं। तब काम का विकार भी कुछ शिथिल हो जाता है, और हमें दुनिया का कुछ अनुभव भी हो जाता है।

इस प्रकार वय निश्चित कर लेने के बाद, जीवन-साथी के शारीरिक विकास और गठन तथा मानसिक-स्थिति का विचार करना आवश्यक है। वैवाहिक जीवन की सफलता या विफलता का यह एक बहुत बड़ा आधार है। यदि कोई स्त्री ३० वर्ष की होने पर भी २० से अधिक की न दीखती हो या उसके शरीर का विकास २० वर्ष की स्त्री से अधिक न हुआ हो, तो उसका २०-२२ साल के उस पुरुष से विवाह करना बुरा नहीं, जो कि भरा-पूरा जवान हो। अर्थात् साथी के चुनाव का शारीरिक पहलू वर्षों की गिनती से नहीं, बल्कि शरीर के विकास से ही मापा जाना चाहिए। आयु की विषमता व्यावहारिक जीवन में आकर खो-सी जाती है, लेकिन शरीर की विषमता अधिक ऊपर उठ आती है। कभी-कभी तो उस विषमता की प्रतिक्रिया वैवाहिक जीवन के सारे सुखों और सन्तोष पर पानी फेर देती है। अनमेल विवाहों से होनेवाले दुष्परिणाम इतने व्यापक और सर्व-विदित हैं कि उनका उदाहरण देने की यहाँ विशेष आवश्यकता नहीं। लेकिन जीवन-साथी के चुनाव में शारीरिक पहलू से भी कही

अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक पहलू। अक्सर विवाहो में लडकियों का सौन्दर्य और शिक्षा, और लडको का घर और स्वास्थ्य भर देखा जाता है। विवाह के पहले आकर्षण के रूप में इनका महत्व चाहे जितना हो, किन्तु व्यावहारिक जीवन में इनसे भी अधिक जरूरी है विचारो का साम्य, उद्देश्य की एकता और मानसिक धरातल की समता। कवि के गले फूहड़, भावुक के गले कर्कशा, स्नेह-वत्सला के गले लम्पट और कुशाग्र-बुद्धि स्त्री के गले मूढ पुरुष का मढा जाना कितना दुखद, दु सह और दुराग्रहपूर्ण है, यह कोई भुक्तभोगी ही बता सकता है। विचार न मिलने के कारण कलह, आत्म-हत्या, अनाचार और नाना प्रकार की दुर्घटनाओ की बात हम जब-तब सुनते हैं। पर क्या कभी एक क्षण का भी हमने यह विचार किया है कि इस प्रकार के विवाह मानवता का कितना बडा अहित कर रहे है ?

पात्र के चुनाव में सबसे अधिक खतरनाक और फिसली जमीन है, शारीरिक आकर्षण या वाह्य-सौन्दर्य जो हमारी विवेक-बुद्धि पर अज्ञान एव जनून का पर्दा डाल देता है और जिसके दलदल में फँस कर हम अपने जीवन-साथी को चुनने की आवश्यक बातो को उस वक्त नजर-अन्दाज कर जाते हैं। यही नहीं, उस वक्त तो हमारा दिमाग कुछ ऐसा खो-सा जाता है कि हम अपने को आकर्षित करनेवाले को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने और बडा-से-बडा पार्थिव त्याग करने को भी उद्यत हो जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सौन्दर्य एक ऐसा मद है, जिससे कोई भी नेत्रवान प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जीवन-साथी के चुनाव में वाह्य-सौन्दर्य को आवश्यक महत्व ही दिया जाना चाहिए, अत्यावश्यक या अनावश्यक नहीं। इसे अधिक महत्व देने का परिणाम कभी-कभी बडा घातक और निराशाजनक होता है। जहाँ केवल वाह्य-सौन्दर्य पर रीझ कर विवाह-सम्बन्ध किया जाता है, वहाँ उसके घटते या नष्ट होते ही शारीरिक आकर्षण का स्थान घृणा

और विकर्षण ले लेते हैं, और वैवाहिक जीवन के स्वप्नो का प्रासाद ताश के महल की तरह उसके एक ही भोके में ढह पड़ता है। सौन्दर्य का जीवन-सहचर के चुनाव में अपना एक खास स्थान और महत्व है, जिसकी सामान्यतया उपेक्षा करना अपेक्षित नहीं। किन्तु उसे एकमात्र सौन्दर्य की कसौटी पर कसना भी तो ठीक नहीं। सौन्दर्य एक आवश्यक और आकर्षक गुण अथवा विशेषता होने पर भी सब कुछ नहीं है। वैवाहिक जीवन के घेरे को बाह्य-सौन्दर्य भले ही प्रकाशमान कर दे, किन्तु जीवन के विशाल प्राङ्गण को, विश्व की सुदूर प्राचीरो से घिरे हुए जीवन-संग्राम के क्षेत्र को केवल शारीरिक सौन्दर्य ही प्रकाशमान नहीं कर सकता। यह काम आत्मा का सौन्दर्य ही कर सकता है, जिसका चमड़े की सुन्दर खलीती में होना न आवश्यक है और न अनिवार्य ही। केवल 'आँखे सेकने' वाले भ्रमर-वृत्ति के लोग सदा जीवन के सच्चे सुख और सौन्दर्य के शव पर ही खड़े-खड़े किसी दिन काल-कवलित हो जाते हैं। फिर सौन्दर्य किसी एक की बपौती तो है नहीं कि जिसे हम पसन्द करे, सदा उसीके पल्ले बँधा रहे। आज जिस सौन्दर्य से हम आकृष्ट होते हैं, कल उससे उच्चतर सौन्दर्य से क्या हम आकृष्ट न होंगे? और परसो उससे भी उच्चतम से? इस तरह का मनचलापन हमें सन्मार्ग पर कभी नहीं चलने दे सकता। भँवरो की तरह फूल-फूल का रस लेते फिरने की लम्पटता किसी भी व्यक्ति, देश और समाज को सच्चा सुख, शान्ति और सन्तोष नहीं दे सकती। ।

शरीर और मन के सम्यक् विकास के अलावा गृह-कार्यों की दक्षता और जीवन में आवश्यक व्यावहारिकता का होना भी कम जरूरी नहीं है। पर यह एक ऐसी मोटी बात है, जिसको साधारणतया सभी लोग समझते हैं। वैवाहिक जीवन में शायद इन सबसे आवश्यक बात है दो साथियों का एक-दूसरे को—उसके विकारो, कमजोरियों, गुणो, प्रवृत्तियों, रुचि, खूबियों और खामियों को ठीक-ठीक समझना। शारीरिक विकास

के साथ जिस प्रकार सौन्दर्य का आवश्यक सम्बन्ध है, उसी प्रकार मानसिक विकास, शिक्षा और गृह-कार्यों की दक्षता के साथ एक-दूसरे को भली भाँति समझने का भी बड़ा गहरा सम्बन्ध है। दो साथियों में सौन्दर्य, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, शिक्षा, कार्य-दक्षता और इतर गुणों के होने पर भी यदि एक-दूसरे को ठीक-ठीक समझने की विवेक-वृद्धि नहीं है, तो वे विवाह के सम्बन्ध में आवद्ध होकर भी उसके वास्तविक सुख और शान्ति से वंचित ही रहेंगे। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार ही यही है। सौन्दर्य, शिक्षा, सम्पत्ति या कार्य-दक्षता की कमी से थोड़ी-बहुत असुविधा या परेशानी होने पर भी काम चल ही सकता है, लेकिन पारस्परिक समझ की इस कमी से वैवाहिक जीवन भार-रूप हो जाता है। वैवाहिक जीवन अनेक भ्रान्तियों, गलतफहमियों, तलाको, असामयिक मौतों, आत्म-हत्याओं, षड्यन्त्रों, दुराचारों आदि का मूल कारण अधिकांश में इसकी कमी ही है। यह कमी केवल अशिक्षितों या अर्द्ध-शिक्षितों में ही हो, ऐसी बात नहीं है। शिक्षित भी इसके कम शिकार नहीं हैं—बल्कि अशिक्षितों की अपेक्षा वे ही इसके ज्यादा शिकार हैं। इसका सम्बन्ध बहुत कुछ आदमी के मनोवैज्ञानिक विकास एवं मनोवृत्ति से है। अक्सर देखा गया है कि छोटी-छोटी और मामूली-सी बातों पर पति-पत्नी में अन-बन हो जाती है, और कभी-कभी तो इन्हीं का परिणाम विवाह-विच्छेद तक हो जाता है। यूरोप में तो कई बार सिनेमा, सँर, घड़ी, कृत्ता, नौकर और पत्नी के कपड़ों की सिलाई तक पर विवाह-विच्छेद हो जाता है। अक्सर पति-पत्नी की गलतफहमियों का कारण एक-दूसरे की प्रकृति और आदतों से ठीक-ठीक परिचित न होना और अविश्वास या सन्देह-वृत्ति भी होते हैं। शक्की तवियत के स्त्री-पुरुष कभी-कभी एक-दूसरे पर निराधार शक करके भी अपना जीवन कष्टमय बना लेते हैं।

✱ जीवन-साथी चुनते समय रक्त और परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली

वातो पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना जरूरी है; जिन्हें आजकल के नई रोशनी के लोग विशेष महत्व नहीं देते। इससे हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि उच्च जाति या वंश वाले उच्च जाति या वंश में ही विवाह करे और निम्न जाति या वंश के निम्न जाति और वंश में ही। वंश की यह उच्चता या निम्नता तो स्वार्थी और शोषक-बुद्धि मानव की कुप्रवृत्ति का ही एक दुष्परिणाम है। वंश से हमारा तात्पर्य रक्त-सम्बन्ध से है। समान जलवायु, सभ्यता एवं सस्कृति में पले हुए व्यक्तियों में विवाह-सम्बन्ध अधिक उपयुक्त है। पर समान रक्त के व्यक्तियों में इस सम्बन्ध का होना हानिकर है। अकसर स सम्बन्ध में लोग मुसलमानों का उदाहरण दिया करते हैं, जिनमें कि चचेरे भाई-बहन में विवाह जायज माना है। प्रोफेसर रगल्स गेट्स ने इस प्रकार के विवाहों को आपत्तिजनक नहीं बताया है। यूगेनिक-सोसाइटी आज भी इन्हीं सही मानती है। रोम की प्रसिद्ध सौन्दर्य-सम्राज्ञी क्लियोपेट्रा ने अपने एक और बाद में दूसरे चचेरे भाई से विवाह किया था। डॉ० पॉल पोपेनू (कैलीफोर्निया) ने मिस्र के १८वें राजवंश के संस्थापक अहमज प्रथम का उदाहरण दिया है, जिसने अपनी बहन से विवाह किया था। इसके बाद इसकी ६-७ पुस्तों में भाई-बहन ही विवाह करते रहे, किन्तु उनमें और उनकी सन्तति में कोई खास खराबी नहीं देख पड़ी। पर दूसरी ओर डॉ० हाल्डेन ने इसका बड़ी ठोस दलीलों से खण्डन किया है। आप का कहना है कि एक ही रक्त के स्त्री-पुरुष में विवाह-सम्बन्ध होने से न सिर्फ पूर्वजों के रोग ही उन्हें विरासत में मिलते हैं, बल्कि नये-नये रोग भी पैदा हो जाते हैं और उनके तथा उनकी सन्तति के मानसिक और शारीरिक विकास पर घातक असर पड़ता है। हिटलर की मानसिक विकृति और असाधारणता का बहुत बड़ा कारण यही है। डॉ० एडकिन्सन ने समान रक्त के व्यक्तियों की ४०० सन्तानों की जाँच का यह परिणाम निकाला है कि उनमें अपने माता-पिता की शारीरिक और मानसिक विकृतियाँ न्यूनाधिक रूप में

मौजूद है। दमा, कालाज्वर, तपेदिक, बवासीर, रक्त-विकार, मिर्गी आदि रोग अधिकांश व्यक्ति अपने पूर्वजो से ही लेते हैं।

जीवन-साथी के चुनाव में परिवार का विचार भी आवश्यक है। हम लोग बचपन से जिस वातावरण और स्थिति में रहते हैं, उसका हमारी रहन-सहन और आदतों पर गहरा असर पड़ता है। विवाह के बाद यदि हम अपनी और अपने साथी की आदतों और रहन-सहन के तौर-तरीकों में विशेष व्यवधान या विपर्यय पाते हैं, तो जरा अटपटा-सा और कभी-कभी नागवार भी गुजरने लगता है। पारिवारिक अनुकूलता जीवन-साहचर्य के लिए जरूरी है। घर और उसके बाहर का जीवन हमारे जीवन-व्यवहार पर काफी असर डालता है। बचपन से २०-३० वर्ष की उम्र तक जिस वातावरण और सङ्गति में हम पलते, बड़े होते और जीवन का व्यावहारिक पाठ पढ़ते हैं, उससे एकदम विपरीत या भिन्न वातावरण में अपने-आपको जमा लेना जरा कष्टसाध्य और मानसिक क्लेश का भी कारण हो जाता है। इसलिए विवाह से पूर्व इस सम्बन्ध में भी काफी खोज-बीन कर लेना जरूरी है।

‘क्या हम ज़हर खा लें ?’

भारतीय महिला-सहायक-दल की सदस्याओं के साथ जो कुछ हुआ, उसकी गुरुता एव गभीरता को कम न मानते हुए भी कहना पड़ेगा कि परिस्थिति-विशेष में ऐसे स्वलन असंभव नहीं। उन्हें हम किसी हद तक मजबूरन हुए अपवाद भी कह सकते हैं। पर गत वर्ष के उत्तरार्द्ध में देश के विभिन्न भागों में हुए सांप्रदायिक उपद्रवों के दौरान में नारियों के साथ जो कुछ हुआ है, वह तो शायद सभ्य-संसार के इतिहास में असभ्यता और पाशविकता का एक नया अध्याय है। गत अगस्त में कलकत्ते में हुए नर-संहार और उसके बाद पूर्वी बंगाल के नोआखाली तथा त्रिपुरा जिलों में हुए उपद्रवों में लड़कियों और स्त्रियों को खास तौर पर मनमानी ज्यादतियों का निशाना बनाया गया। कलकत्ते के उपद्रव में नारियों को नगाकरके मारने-पीटने, बेइज्जत करने तथा उनके स्तन, नाक और अंग-विशेष के काटे जाने के सवाद ‘प्रत्यह’, ‘अमृत बाजार पत्रिका’, ‘लीडर’ आदि में छपे हैं। वदुत-सी विवाहित और अविवाहित स्त्रियों को गुण्डे जवरन घसीट ले गए, जिनका अभी तक भी कोई पता नहीं लग सका है। पूर्वी बंगाल में तो गुण्डे जान से मारने की अपेक्षा लड़कियों और स्त्रियों को न सिर्फ भगा ही ले गए, न सिर्फ उनके साथ बलात्कार ही किया, बल्कि धर्म-परिवर्तन कराकर उनके साथ जवरदस्ती ‘विवाह’ (?) भी कर लिए। कितनों के साथ ऐसा हुआ और कितनी अभागिने अभी भी इस तरह का ‘वैवाहिक जीवन’ बिता रही हैं, इसका केवल अनुमान-भर लगाया जा सकता है।

यह सब कैसे हुआ, यहाँ इसका थोड़ा-सा उल्लेख कर देना शायद अप्रासंगिक न होगा। पूर्वी बंगाल में हुए गुण्डेपन के जो विवरण कलकत्ते

के पत्रों में निकले हैं और जो प्रेस-ऑर्डिनेस के कारण छप नहीं सके हैं, उन सब का साराश भी यहाँ दे सकना संभव नहीं। यहाँ हम केवल कुछ चश्मदीद वक्तव्यों के उद्धरण ही देंगे। गांधी जी की लन्दन की मेजवान कुमारी म्यूरियल लीस्टर ने नोआखाली का दौरा करने के बाद दिए गए अपने वक्तव्य में कहा है—“हर शरणार्थी अपना एक-न-एक दुखद अनुभव सुनाता है। पर सबसे जघन्य थी नारियों की दुर्दशा। कड़्यों की आँखों के सामने उनके पतियों को मारा गया और जोर-जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन कर किसी हत्यारे से विवाह करना पड़ा। इनकी आँसों में मृत्यु की-सी शून्यता थी—निराशा भी नहीं, एकदम शून्यता। वे इस तरह सामने देख रही थी, मानो उनकी दृष्टि में कोई चेतना या भावना ही न हो। उन्होंने अपने आदमियों को बचाने की चेष्टा की, पर बेकार। जिन मुसलमान घरों में ये औरतें बधुएँ बना कर ले जाई गई हैं, गाँव में महायता-कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए वहाँ से उन्हें छुड़ा लाना मुश्किल हो रहा है। उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि यदि वे अफसरो से यह नहीं कहेंगी कि वे पहले की अपेक्षा अपने नए घरों में ही रहना चाहती हैं, तो उनके सम्पूर्ण परिवार को मौत के घाट उतार दिया जायगा। सहस्रों को अपने प्राणों की कीमत स्वरूप जबरदस्ती गो-भास खाना पटा और इस्लाम-धर्म स्वीकार करना पड़ा है।”

आचार्य कृपलानी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है—“कड़्यों के जबर-दस्ती विवाह हुए हैं। अभी ऐसे विवाहों की मख्या निर्धारित करना संभव नहीं। नारी-अपहरण के मामले भी हुए हैं, पर समयभाव के कारण मैं उनकी सख्या निर्धारित नहीं कर सका। इसी प्रकार बलात्कार के मामले की सख्या भी निर्धारित नहीं की जा सकती।” श्रीमती सुचेता

त्रिपुरा और नोआखाली जिलों में हुए अपराधों की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बंगाल-सरकार ने दो भारतीय सिविल-सर्विस के

कृपलानी से, जिन्होंने पूर्वी बंगाल की पीडित बहनो की सेवा-सहायता के लिए बहुत-कुछ किया, कई स्त्रियो ने अपने साथ हुए अत्याचारो का हृदयद्रावक वर्णन किया। उन्होने बतलाया कि उनके सुहाग के चिह्न-स्वरूप पहनी हुई शख की चूडियाँ फोड डाली गई और उनकी मांगो से सिन्दूर पोछ डाला गया। कई जगह तो उन्हे जमीन पर गिरा कर गुण्डो ने अपने पाँव के अँगूठे से उनकी माँग का सिन्दूर मिटा डाला। गत २४ अक्टूबर को जब वे चाँदपुर पहुँची, तो अनेक अभागिनो ने उन्हे अपनी घायल कलाइयाँ और सिर दिखाए, जिनसे क्रमश उनके सुहाग-चिह्न—शख की चूडियाँ और सिन्दूर—नष्ट कर दिए गए थे। जेवर आदि के लिए बड़े भद्दे ढग से उनकी जामा-तलागी ली गई और बहुत-सी लडकियो तथा युवतियो को गुण्डे अपने साथ भी ले गए। इनमे से कुछ वापस आ गई और कुछ अभी भी गायब है। लोगो ने बताया कि इस तरह उडाई हुई स्त्रियाँ वहाँ के दो मौतविर लोगो के घर ले जाई गईं !

आचार्य कृपलानी जब श्रीमती कृपलानी के साथ नोआखाली के पीडित क्षेत्रो का दौरा कर रहे थे, तो श्रीमती कृपलानी ने ऐसे जबरदस्ती किए गए विवाहो की ओर नोआखाली के अंगरेज जिला-मजिस्ट्रेट मि० मैकर्नी का ध्यान खीचा। उन्होने कहा कि ऐसे विवाह हिन्दू-औरतो ने स्वेच्छापूर्वक किए है। इस पर एक विशिष्ट लडकी का मामला उन्हे

सदस्यों (एक अंगरेज और दूसरा हिन्दुस्तानी) को नियुक्त किया था। अंगरेज सिविलियन ने त्रिपुरा-जिले की रिपोर्ट के दौरान में कहा है कि अकेले चाँदपुर सब-डिवीजन में ३०० और दूसरे में ४०० स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया ! ये सब अल्पसंख्यक जाति की थी और इनकी उम्र १० से ५० वर्ष तक थी। हिन्दुस्तानी सिविलियन को गुण्डो ने जाँच ही नहीं करने दी और तीन बार उस पर आक्रमण किया ! (देखिए 'अमृत बाजार पत्रिका', ८ नवम्बर का अग्रलेख।)

वताया गया । वहाँ पहुँच कर उन्होंने एक नव-विवाहिता लडकी से पूछा, तो पहले तो उसने स्वेच्छापूर्वक विवाह करने की बात कही । पर जब लडकी को कहा गया कि सारी बात सच-सच कहे, उसके परिवार का कोई कुछ न विगाड सकेगा, तब लडकी ने कहा कि उससे जबरदस्ती विवाह किया गया है । इस पर जिला-मजिस्ट्रेट ने उसका उद्धार किया ।
(‘हिन्दुस्थान स्टैण्डर्ड’, ३० अक्टूबर)

ये काण्ड एक-दो दिन हुए हो, ऐसी बात नहीं । पुलिस और फौज के पहुँच जाने पर भी ये जारी रहे । गत १३ नवंबर के अपने वक्तव्य में अखिल-भारतीय महिला-सम्मेलन की प्रमुख कार्यकर्ती श्रीमती रेणुका राय ने कहा है—“जिन क्षेत्रों में फौज पहुँच गई है और उसकी गश्त लगती है, पर जहाँ अभी तक उसका कोई कैम्प नहीं है, उसकी गश्त हटते ही लडकियाँ गायब हो जाती हैं । कई बार तो इस तरह गायब हुई लडकियाँ कुछ दिन बाद फौजी गश्तियों के आते ही फिर लौट आती हैं । बहुत बड़ी सख्या में स्त्रियों के अपहरण और उनके साथ बलात्कार किए जाने के मामले शरणार्थी-कैम्पो में पहुँचे हैं । प्राप्त सबूत से जाहिर है कि इनमें से अधिकांश स्त्रियाँ निम्न और तफमीली जातियों की ही हैं, यद्यपि ब्राह्मण और अन्य सम्भ्रान्त परिवारों की लडकियों के साथ भी ऐसा ही किया गया है । ये लडकियाँ और स्त्रियाँ ११-१२ से लेकर ५० वर्ष तक की हैं ।”

गत ११ नवम्बर को गाधीजी के दत्तपाडा पहुँचने पर आसपास के घरों से ३०० स्त्रियाँ एकत्र हो गईं, जो बराबर रो रही थी । उन्होंने गाधीजी को बताया कि गुण्डों ने उनकी माँगों का सिन्दूर और शख की चूडियाँ नष्ट कर उन्हें जबरन विधर्मी बना लिया । उनका रोना देख कर गाधीजी के साथ जो लोग थे, उनमें से कइयों की आँखों में आँसू आ गए । गत २७ अक्टूबर के ‘हरिजन सेवक’ में इसकी चर्चा करते हुए गाधीजी का यह वक्तव्य उद्धृत किया गया है—“ उन औरतों का क्या,

जिन्हें भगा कर जवरन् मुसलमान बनाया जा रहा है ? किसी के बनाने से न कोई मुसलमान बनता है, न हिन्दू, न ईसाई । लेकिन हिन्दुस्तानी औरते अपने-आप को इतनी बेबस क्यों समझे ? क्या बहादुरी मर्दों का ही इजारा है ? औरतो के हाथ में आम तौर पर तलवार नहीं रहती । भौंसी की रानी के हाथ में तलवार थी, और तलवार के जौहर में वह अपने जमाने के सब लोगो से आगे बढ़ गई थी । लेकिन सभी औरते भौंसी की रानी नहीं बन सकती । फिर भी उन्हें भगा कर ले जाने वालों को वे यह जरूर कह सकती हैं कि न तुम हमें मुसलमान बना सकते हो, न अपने घरों में डाल सकते हो । मरने का इल्म तो सब जानते हैं । सीता एक दुबली-पतली और निरपराध स्त्री थी, लेकिन महाबली रावण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका । सीता की मिसाल को हम किस्से-कहानी की बात कह कर उड़ा न दें । मैंने मिस ओलिव डोक को देखा है । वह अकेली जगली हृत्विशयो के बीच रहती थी । किसी ने उनकी तरफ आँख तक उठाने की हिम्मत नहीं की । मैं हिन्दुस्तान की औरतो में ऐसी ही सात्विक हिम्मत देखना चाहता हूँ । आज पूरबी बंगाल में फौज औरतो को बचाने की कोशिश कर रही है । लेकिन जिन्हें भगा लिया गया है, या जो फौज या पुलिस की हिफाजत के बावजूद भी भगाई जा सकती है, उनका क्या ? उन्हें अपनी हिफाजत खूद करनी होगी । उसका एक ही अच्छा रास्ता है—मरने की कला सीखना । जिसे मरना ही है, वह अपनी जीभ काट कर या साँस रोक कर भी मर सकता है ।” गांधीजी की इस बात को सुन कर डॉ० सुशीला नय्यर ने उनसे कहा कि जीभ काट कर या साँस रोक कर मरना मुमकिन नहीं । दूसरे दिन सुबह गांधीजी से मिलते वक्त डॉ० विधानचन्द्र राय ने डॉ० सुशीला नय्यर की बात की तारीफ की । डॉक्टरों मत से तत्काल प्राण-त्याग के लिए तेज जहर ही एक इलाज हो सकता है । दूसरे दिन शाम की प्रार्थना-सभा में इसका जिक्र करते हुये गांधीजी ने कहा—“अगर मरने का सीधा रास्ता ज़हर

ही हो, तो मैं कहूँगा कि बेइज्जती कराने की वनिस्वत जहर खाकर मर जाना बेहतर है। मगर मैं योग जानने वालों से इस बारे में दरयाप्त कहूँगा। मेरा खयाल है कि जहर के सिवा भी मरने का रास्ता होना चाहिये। हमने अपनी लडकियों को बेवसी की तालीम दी है। हमने उन्हें सिखाया है कि उनकी हिफाजत अपने पति के साथ या चित्ता पर ही हो सकती है।”

इसी सिलसिले में गत ३ नवम्बर के ‘हरिजन सेवक’ में गाधीजी की यह सलाह छपी है—“हमारी औरतें हुल्लड से बहुत जल्द डर जाती हैं। करीब-करीब सारी दुनिया में औरतों का यही हाल है। मैं चाहता हूँ कि हमारी औरतें बहादुर बनें। मैंने बहनों से कहा है कि वे चाहे तो खजर रख सकती हैं। अगर उससे भी वे अपनी इज्जत न बचा सकें, तो जहर खा कर मर जायें। कोई कैसा ही मर्द या औरत क्यों न हो, १०० या ५० जनों का सामना एक खजर से नहीं कर सकता। मगर जब हमारी बहनें इतनी बहादुर बन जायेंगी कि जान तक देने को तैयार हो जायें, तब वे किसी से नहीं डरेगी। उनकी रक्षा या हिफाजत भगवान् करेगा। अपनी रक्षा के दो रास्ते हैं—मारना और मरना, या बिना मारे मर जाना। मैं आप को दूसरा रास्ता बता सकता हूँ, पहला नहीं। आप जो चाहे, करे, लेकिन डरपोक न बनें। डरपोकपन से बड़ा कोई पाप नहीं।”

गाधीजी की सलाह का जिक्र करते हुए गत १५ दिसम्बर के ‘हरिजन-सेवक’ में श्री किशोरलाल मशरू वाला ने लिखा है—“जिस औरत में अपनी हिफाजत करने की ताकत और तालीम नहीं है, लेकिन जिसे अपनी पवित्रता की बहुत ज्यादा फिकर है, और जिसके दिल में जुल्म की दहगत पैदा हो गई है, उस औरत को आज, अभी क्या सलाह दी जाय ? क्या उसे यह कहा जाय कि अगर तुम्हारी इच्छा के खिलाफ तुम पर जबरदस्ती की जाय, तो तुम उससे दुखी न होना, बल्कि उसे चुपचाप सह लेना ? इसमें शक नहीं कि सतीत्व अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए अपनी जान

देने की जरूरत नहीं ? नहीं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि अगर तुम मौत का डर छोड़ दोगी, तो तुम्हें उपाय सूझेंगे । जब तक तुम्हें अपने ग्रास-पास की हवा में जुल्मों और ज्यादातियों के होने का अदेशा मालूम हो, तब तक तुम खुदकुशी का भी कोई-न-कोई साधन अपने पास रख कर घूमो । अपने शील की रक्षा और मौत का डर, ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते । इसलिए जिसे अपना शील या अपनी इज्जत बचानी हो, उसे मौत का डर पहले छोड़ना चाहिये । यह कोई कमजोरी की सीख नहीं, बल्कि कमजोर के लिये भी जो एक इलाज मुमकिन है, वही सुझाया गया है । इसका यह मतलब नहीं कि जो औरत अपनी इज्जत के लिये लड़ लेती है, या लड़ते-लड़ते मर जाती है, उसकी वनिस्वत खुदकुशी करने वाली औरत ज्यादा अच्छी है । बल्कि इसमें उस औरत की कदर जरूर की गई है, जो अपने शील को जान से ज्यादा प्यारा समझती है । और यह ठीक ही है ।”

ऊपर के उद्धरणों से दो बातें स्पष्ट हैं । पहली तो यह कि पूर्वी बगाल में दुर्बल और नि सहाय नारी को जिन अधम, जघन्य और पैशाचिक अत्याचारों का शिकार बनाया गया, वह हमारे नैतिक पतन के नग्नतम रूप का परिचायक है । कुछ विगिष्ट अपवादों को छोड़ कर ससार के किसी भी सभ्य कहे जाने वाले देश में ऐसा गर्हित और अमानुषिक बर्ताव स्त्रियों के साथ शायद ही कही हुआ या होता हो । यह कहना असत्य और कपट होगा कि इस तरह के काण्ड केवल उपद्रव के उत्तेजित वातावरण में हुए, सामान्यतया ऐसा नहीं होता । उपद्रवों के रूप में एक सामाजिक तूफान आया, जिसने समाज के गलित और सड़े अंगों पर पड़े पर्दों को एक झटके के साथ उतार फेंका और उसके असली रूप को सर्व-साधारण के सामने उघाड़ कर रख दिया । नारी के प्रति इस देश के औसत आदमियों का जो यथार्थ दृष्टिकोण है, उसका जो प्रकट तथा अप्रकट आचरण है, उसकी जो दमित इच्छाएँ व लालसाएँ हैं, उपद्रवों के वातावरण ने उसे

जी-भर खुल खेलने का मौका दिया । ऐसी जहनियत केवल तथाकथित गुण्डो की ही नहीं, पढ़े-लिखो की भी है, जिनका परोक्ष हाथ इन काण्डो के पीछे था । आये दिन हम देखते और सुनते हैं कि अमुक जवान स्त्री के साथ ऐसा हुआ, अमुक के साथ वैसा । पुरुष मानो भूखे भेडिये की तरह नारी-देह को हथियाने के लिए सब-कुछ भूल कर उस पर टूट पडता है । स्कूल-कालेजो की लडकियो, नर्सो, डॉक्टरनियो, टेलीफोन-ऑपरेटरो, अध्यापिकाओ आदि को भगाने और विगाडने के लिए आए दिन जैसे षड्यत्र होते है, उन्हे क्या कहा जाय ? धन, प्रभुता और पशु-बल के जोर से पुरुष मानो किसी भी सुन्दर स्त्री को सती-साध्वी का जीवन न विताने देने पर तुला हुआ है । शान्ति-काल मे वह पैमे, दवाव और पड्यन्त्रो से अपनी इस पैशाचिकता को सन्तुष्ट करने के यत्न करता है और भीड तथा अशान्ति के समय युद्ध, अग्निकाण्ड, शादी-गमी, मेलो, सभा-सम्मेलनो, मन्दिरो आदि की भीड तथा वाढ के समय—यह अवाध रूप से फट पडती है । पाठको को शायद विश्वास न हो, पर हमने अपनी आँखो से उन विवश स्त्रियो को भी देखा है, जिन्हे सहायता-केन्द्रो तक से अपनी असमत वचाने के लिए भाग निकलना पडा है । अस्पतालो मे बीमार स्त्रियो तथा रेल, ट्राम, बस आदि मे सफर करने वाली अकेली स्त्रियो की छेड-छाड तो जैसे पुरुषो का रोज का विना पैसो का तमाशा बन गया है । पुरुष की इस बीमारी का इलाज भी नारी को ही करना है ।

दूसरी बात जो ऊपर के उद्धरणो से स्पष्ट है, वह यह है कि भारतीय नारी आज कितनी परवश और दुर्बल है । जहाँ इस देश का पुरुष पतन की आखिरी सीढी से भी नीचे खिसकता नजर आ रहा है, वहाँ नारी अपनी पवित्र दुर्बलता के बोझ से ही मरी जा रही है । उसके सामने आज दो ही मार्ग हैं या तो पतित और पशु बने पुरुष को अपना तन और मन अर्पित कर दे या जहर खा कर अपनी इह-लीला समाप्त कर दे । इसमे नारी का दोष ही क्या ? बकौल गाधीजी के हमने उसे बेवसी की

कुछ चुनी पुस्तकें

ऐतिहासिक उपन्यास

सिंह सेनापति

◆ राहुल सांकृत्यायन ◆ मूल्य :

भगवान् बुद्ध के समय वैशाली का वज्जी जनतंत्र कितना ऐश्वर्यवा-
था, कितना आदर्श था, यह इसी एक बात से प्रगट है कि इस वज्जी रा-
के शासनतंत्र के अनुसार बुद्ध ने अपने धर्मचक्र की रूपरेखा बाँधी थी।
सघ का शासनतंत्र वज्जी शासनतंत्र ही था। उसी गौरव प्राण जनतंत्र
के प्रसिद्ध सेनापति सिंह की आत्मकथा। साथ में अतीत भारत के अने-
एकतंत्र और गणराष्ट्रों के गौरवचित्र। गांधार से लेकर वज्जी भू-
तक सारा उत्तर भारत इस ऐतिहासिक उपन्यास की पृष्ठ-भूमि है। सा-
है राहुल की औपन्यासिक कला।

जय यौधेय

◆ राहुल सांकृत्यायन ◆ मूल्य ४

‘बोल्गा से गंगा तक’ प्रसिद्ध सांस्कृतिक कहानी संग्रह की एक महत्व-
पूर्ण कहानी ‘सुपर्ण यौधेय’ के आधार पर राहुल का दूसरा ऐतिहासिक
उपन्यास। आज के जुझती तब यौधेय थे। इन जुझातियों के पूर्वज
ने किस प्रकार गणतंत्र के गौरव के लिए चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रताप-
चक्रवर्ती से लोहा लिया, कैसे वे असफल होकर भी इतिहास में अमर ह-
गये। प्राचीन भारत की गौरवगाथा। राहुल का दूसरा प्रसिद्ध ऐति-
हासिक कथा-चित्र।

अश्वपाली

◆ रामरतन भटनागर ◆ मूल्य १॥॥

बौद्ध साहित्य की प्रसिद्ध भिक्षुणी वैशाली की परमसुन्दरी ‘आश्र-
पालिका’ की जीवन-कथा के आधार पर लिखा ऐतिहासिक उपन्यास
तब बुद्ध जीवित थे और उनके महायंत्र से कपिलवस्तु, राजगृह, सारनाथ
और वज्जी देश गूँज रहे थे ‘बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि
सघ शरण गच्छामि’। २५०० वर्ष पहले के महान धर्म-परिवर्तन का
सांस्कृतिक चित्र। प्राचीन भारत की एक अमर कहानी को इतिहास
और कथा के रस के साथ यहाँ पढिये।

